

बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के विकास, निर्माण,

प्रचालन और रखरखाव के लिए

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

और

बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

के बीच

रियायत समझौता

दिनांक: 5 जुलाई 2004

विषय-सूची

1 परिभाषाएँ और व्याख्या.....	3
1.1 परिभाषाएँ	3
1.2 व्याख्या.....	8
2 परियोजना का दायरा.....	11
2.1 परियोजना का दायरा	11
3 रियायत प्रदान करना.....	12
3.1 रियायत	12
3.2 अधिकारों की मान्यता.....	12
3.3 रियायत शुल्क.....	13
4 पूर्ववर्ती शर्तें.....	15
4.1 परियोजना के लिए पूर्ववर्ती शर्तें.....	15
4.2 पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के दायित्व.....	15
4.3 पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति न होना.....	15
4.4 प्रभावी तिथि	16
5 भारत सरकार के दायित्व.....	17
5.1 भारत सरकार के दायित्व.....	17
5.2 विशिष्टता	17
5.3 समान व्यवहार.....	17
5.4 सहायता	18
5.5 मौजूदा हवाईअड्डा.....	18
6 अभ्यावेदन और वारंटियाँ	20
6.1 अभ्यावेदन और वारंटियाँ	20
6.2 लॉक-इन	21
6.3 अनुमोदन	21
6.4 अस्वीकरण	21

7 हवाईअड्डे का निर्माण.....	24
7.1 मास्टर प्लान.....	24
7.2 निर्माण और विस्तार.....	24
7.3 स्वतंत्र अभियंता	24
7.4 स्थल और सामग्री.....	24
7.5 हवाईअड्डे की शुरुआत.....	25
7.6 लाइसेंस	25
7.7 कमीशनिंग	26
8 प्रचालन और रखरखाव	27
8.1 हवाईअड्डे का प्रचालन और रखरखाव.....	27
8.2 संयुक्त समन्वय समिति	27
8.3 आरक्षित गतिविधियाँ	27
8.4 सीमा शुल्क, आप्रवासन और संगरोध.....	27
8.5	
सुरक्षा.....	28
8.6 मौसम विज्ञान सेवा	29
8.7 वीआईपी लाउंज	29
8.8 मानक	30
8.9 हवाईअड्डा व्यवसाय का प्रबंधन	30
8.10 सामान्य	
दायित्व.....	30
8.11 स्लॉट	30
8.12 भेदभाव-रहित व्यवहार.....	30
8.13 प्रचालन में व्यवधान	30
8.14 निर्माण या प्रचालन में व्यवधान.....	31
8.15 द्विपक्षीय समझौते.....	31
8.16 दिन के समय और रात्रिकालीन परिचालन.....	31
8.17 अधिकारियों के लिए पहुँच.....	31
9 प्रचालन और रखरखाव की निगरानी.....	32
9.1 निष्पादन मानक.....	32
9.2 निष्पादन मानकों की निगरानी.....	32
9.3 अभिलेख	33

10	
प्रभार.....	35
10.1 प्रभार लगाने का अधिकार रखने वाले पक्ष.....	35
10.2 हवाईअड्डा प्रभार.....	35
10.3 अन्य प्रभार.....	35
10.4 करों का भुगतान	36
11 बीमा का अनुरक्षण.....	37
11.1 रियायत अवधि के दौरान बीमा.....	37
11.2	
पॉलिसियाँ.....	37
11.3 बीमा कराने में विफलता के लिए उपाय.....	37
11.4 बीमा राशि का उपयोग.....	37
12 लेखे और लेखापरीक्षा.....	38
13 अप्रत्याशित घटना और निलंबन	40
13.1 अप्रत्याशित घटना.....	40
13.2 अप्रत्याशित घटना के परिणाम.....	40
13.3	
चूक.....	40
13.4 चूक के परिणाम.....	42
13.5 हवाईअड्डे का अंतरण.....	42
13.6 पूर्व-निलंबन दायित्व.....	43
13.7	
अवधि.....	44
13.8 निलंबन के अन्य अधिकार.....	45
13.9 उत्तरजीविता.....	45
13.10 निलंबन	45
14 समनुदेशन और प्रतिभूति.....	47
14.1 समनुदेशन और प्रतिभूति.....	47
15 दायित्व और क्षतिपूर्ति.....	48
15.1 बीआईएएल का दायित्व.....	48
15.2 कानूनी कार्यवाहियों के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान.....	48

15.3 सूचना	48
15.4 भारत सरकार द्वारा देय क्षतिपूर्ति.....	48
15.5 विधि में परिवर्तन.....	49
15.6 अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि.....	49
15.7 दायित्व	49
15.8 शमन	49
16 विवाद समाधान.....	50
16.1 बातचीत और सुलह.....	50
16.2 मध्यस्थ को संदर्भित करना.....	50
16.3 विविध	50
16.4 निर्णय/अवॉर्ड.....	50
17 जन शिकायतों का निवारण.....	51
17.1 शिकायत रजिस्टर.....	51
17.2 शिकायतों का निवारण.....	51
17.3 आरक्षित गतिविधियाँ.....	51
18 विविध.....	52
18.1 उपचार, छूट, संशोधन और सहमतियाँ.....	52
18.2 संशोधन, छूट और सहमतियाँ.....	52
18.3 संपूर्ण करार.....	53
18.4 आगे की आश्वस्ति.....	53
18.5 आंशिक अमान्यता.....	53
18.6 कोई साझेदारी नहीं.....	53
18.7 समय का अत्यधिक महत्व.....	54
18.8 समय की गणना.....	54
18.9 नोटिस.....	54
18.10 मानी गई सुपुर्दगी.....	55
18.11 शासकीय भाषा.....	55
18.12 लागू कानून.....	55
18.13 संप्रभु उन्मुक्ति.....	55
18.14 चूक पर ब्याज.....	55

अनुसूची 1 अनापत्तियाँ.....	57
अनुसूची 2 हवाईअड्डे के प्रारंभिक चरण का विवरण.....	59
अनुसूची 3 भाग 1 - हवाईअड्डा गतिविधियाँ.....	64
अनुसूची 4 अप्रत्याशित घटना की परिभाषा.....	67
अनुसूची 5 भारत सरकार के प्रत्यक्ष करार का प्रारूप.....	69
अनुसूची 6 विनियमित प्रभार.....	72
अनुसूची 7 निपटान राशि.....	74
अनुसूची 8 आरक्षित गतिविधियाँ (बीआईएएल द्वारा उपलब्ध कराया गया स्थान).....	76
अनुसूची 9 भाग 1 - विनिर्देश.....	77
अनुसूची 10 पूर्णता प्रमाणपत्र.....	87
अनुसूची 11 बीमा.....	88
अनुसूची 12 कर लाभ.....	89
संलग्नक 1.....	90

यह करार नई दिल्ली में 5 जुलाई 2004 को निम्नलिखित पक्षों के बीच किया गया है:

(1) **भारत के राष्ट्रपति**, भारत सरकार के नागरिक विमानन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से कार्य करते हुए, नई दिल्ली (जिसे आगे “**भारत सरकार**” कहा जाएगा और इस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिनी भी शामिल होंगे); और

(2) **बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित, जिसका पंजीकृत कार्यालय 36 कनिंघम रोड, बैंगलोर - 560 052, भारत में है (जिसे आगे “**बीआईएएल**” कहा जाएगा और इस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिनी भी शामिल होंगे)।

जबकि

(क) बीआईएएल की स्थापना कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच, फ्लुघाफेन ज्यूरिख एजी और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की भागीदारी से की गई है, जिनमें से प्रत्येक ने बीआईएएल में शेयरधारक के रूप में भाग लेने की सहमति दी है, ताकि कर्नाटक राज्य में बैंगलोर के निकट देवनहल्ली में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का विकास, डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता, अनुरक्षण, संचालन और प्रबंधन किया जा सके।

(ख) पक्षकार यह मानते और स्वीकार करते हैं कि हवाईअड्डा अवसंरचना और नागरिक विमानन के मामलों में भारत सरकार की विमानन क्षेत्र के लिए रूपरेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका और उत्तरदायित्व है और आगे भी होना चाहिए।

(ग) सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही परियोजना के संदर्भ में, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ऐसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नियम और शर्तें निर्धारित की जाएँ और इसलिए पक्षकार इन नियमों और शर्तों को प्रतिबिंबित करने के लिए इस रियायत करार में प्रवेश कर रहे हैं।

अब एतद्वारा निम्नलिखित रूप में सहमति की जाती है:

भाग ।

परिभाषाएँ और व्याख्या

अनुच्छेद 1

1 परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1 परिभाषाएँ

इस करार में, सिवाय इसके कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो:

“एएआई” से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अभिप्रेत है।

“एएआई अधिनियम” से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है।

“हवाईअड्डा गतिविधियाँ” से हवाईअड्डे पर या उसके संबंध में अनुसूची 3 के भाग 1 में निर्धारित गतिविधियों का प्रावधान अभिप्रेत है, जिन्हें समय-समय पर आईसीएओ के दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी कोई गतिविधि जो अनुसूची 3 के भाग 1 में परिकल्पित गतिविधियों के भौतिक रूप से समान न हो, उसके लिए पक्षकारों की पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी।

“प्रभावित पक्ष” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 13.1 में दिया गया है।

“हवाईअड्डा” से प्रारंभिक चरण से युक्त ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा अभिप्रेत है, जिसका निर्माण और संचालन बीआईएएल द्वारा कर्नाटक राज्य में बेंगलोर के निकट देवनहल्ली में किया जाना है और इसमें इसकी सभी इमारतें, उपकरण, सुविधाएँ और प्रणालियाँ शामिल हैं तथा, जहाँ परिस्थितियाँ ऐसी अपेक्षा करती हों, इसके साथ संलग्नक-1 के रूप में संलग्न मास्टर प्लान के अनुसार इसका कोई विस्तार भी शामिल है।

“हवाईअड्डा प्रभार” से अभिप्रेत है:

(i) बीआईएएल द्वारा उन सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान या उपयोग के संबंध में लगाए या अधिरोपित किए गए शुल्क, जो हवाईअड्डा गतिविधियों में शामिल हैं;

(ii) बीआईएएल द्वारा यात्रियों और कार्गो की आवाजाही अथवा हवाईअड्डे में, हवाईअड्डे पर, हवाईअड्डे से या हवाईअड्डे के ऊपर से विमान यातायात के संबंध में लगाए या अधिरोपित किए गए शुल्क; और

(iii) इस करार द्वारा हवाईअड्डा प्रभार के रूप में मानी गई कोई अन्य राशि तथा इसमें भारत सरकार, कर्नाटक सरकार या एएआई की ओर से बीआईएएल द्वारा वसूल की जाने वाली कोई भी राशि शामिल होगी।

“हवाईअड्डा उद्घाटन” से प्रारंभिक चरण के वाणिज्यिक संचालन का प्रारंभ अभिप्रेत है।

“हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि” से वह तिथि अभिप्रेत है जिस दिन हवाईअड्डा उद्घाटन होता है।

“हवाईअड्डा उद्घाटन लक्षित तिथि” से वितीय समापन के ठीक तीस (33) महीने बाद पड़ने वाली तिथि अभिप्रेत है।

“लागू कानून” से भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा लागू और प्रभावी किए गए सभी कानून, जिनके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम और अधिसूचनाएँ तथा किसी अभिलेखित न्यायालय के निर्णय, डिक्री, निषेधाज्ञा, रिट और आदेश शामिल हैं, अभिप्रेत हैं, जो इस करार की अवधि के दौरान लागू और प्रभावी हो सकते हैं।

“अनुमोदन” से सभी प्राधिकरण, सहमतियाँ, अनुमोदन, अधिसूचनाएँ और अनुमतियाँ तथा किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस, परमिट, विनिर्णय, छूट या अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है, जिसे इस करार के लिए या इसके संबंध में, जिसमें यहाँ किसी पक्षकार द्वारा किसी दायित्व के निष्पादन या किसी अधिकार के प्रयोग के लिए भी शामिल है, लागू कानून के अंतर्गत किसी प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाना आवश्यक है या जिसके साथ पंजीकरण या फाइलिंग आवश्यक है, किंतु इसमें अनापत्ति शामिल नहीं है।

“बीसीएस” से नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो अभिप्रेत है।

“बीआईएएल” से बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अभिप्रेत है।

“बीआईएएल चूक घटना” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 13.3.1 में दिया गया है।

“कानून में परिवर्तन” से इस करार की तारीख के बाद निम्नलिखित में से किसी घटना का घटित होना अभिप्रेत है (कर्नाटक सरकार के किसी कानून, किसी कर कानून (उन कानूनों को छोड़कर जो बीआईएएल और/या हवाईअड्डे को भारत सरकार की अवसंरचना नीति के अंतर्गत प्रदान किए गए किसी कर लाभ से संबंधित हैं और जैसा कि अनुसूची 12 में अधिक विशेष रूप से निर्धारित किया गया है) अथवा किसी पर्यावरणीय कानून या श्रम कानून के संबंध में नहीं):

(i) किसी मौजूदा भारतीय कानून का संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन अथवा किसी नए भारतीय कानून का अधिनियमन;

(ii) किसी ऐसे भारतीय कानून का प्रारंभ, जो अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है, सिवाय उस सीमा तक जहाँ ऐसा भारतीय कानून इस करार की तारीख से पहले अधिनियमित किया गया था और जिसकी प्रारंभ तिथि इस करार की तारीख के बाद है तथा ऐसा भारतीय कानून उस प्रारंभ तिथि

को बिना किसी महत्वपूर्ण संशोधन के प्रभावी होता है, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय या भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय कानून की व्याख्या, अनुप्रयोग या प्रवर्तन में परिवर्तन;

(iii) किसी अनापत्ति प्रदान किए जाने की तारीख के बाद ऐसी अनापत्ति से संबद्ध नियमों और शर्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन अथवा कोई नई महत्वपूर्ण शर्त या नियम जोड़ा जाना या ऐसी अनापत्ति का आंशिक या पूर्ण रूप से पूर्णतः लागू और प्रभावी न रहना।

बशर्ते कि सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण का सृजन या स्थापना (जिसमें उससे संबंधित या उसके अंतर्गत नियम और विनियम बनाना शामिल है, किंतु स्पष्टता के लिए, विनियमित प्रभारों से संबंधित किसी संशोधन और/या परिवर्तन को छोड़कर) कानून में परिवर्तन नहीं माना जाएगा।

“शिकागो कन्वेंशन” से शिकागो कन्वेंशन, 1944, जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या पूरक किया गया है, अभिप्रेत है; और शिकागो कन्वेंशन के किसी “अनुलग्नक” के संदर्भ से ऐसे अनुलग्नक का अभिप्राय होगा जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या पूरक किया गया है।

“अनापत्ति” से परियोजना के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार से प्राप्त की जाने वाली और/या भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली लिखित सहमति, लाइसेंस, अनुमोदन, परमिट, विनिर्णय, छूट, अनापत्ति प्रमाण-पत्र या किसी भी प्रकार का अन्य प्राधिकरण या अनुमति अभिप्रेत है, जिसमें इसके साथ संलग्न अनुसूची 1 में निर्धारित अनापत्तियाँ भी शामिल हैं।

“सीएनएस/एटीएम करार” से बीआईएएल और एएआई के बीच किया गया या किया जाने वाला वह करार अभिप्रेत है, जो एएआई द्वारा बीआईएएल को संचार, दिक्चालन , निगरानी/हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में है।

“रियायत शुल्क” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 3.3 में दिया गया है।

“ऋण” से परियोजना के लिए वित्तपोषण करारों के अंतर्गत बीआईएएल के ऋणदाताओं को देय बकाया ऋण अभिप्रेत है।

“आस्थगित भुगतान” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 3.3 में दिया गया है।

“डीजीसीए” से भारत सरकार के नागरिक विमानन महानिदेशक अभिप्रेत हैं।

“घरेलू हवाईअड्डा” से ऐसा हवाईअड्डा अभिप्रेत है जो भारत के भीतर स्थित किसी उद्गम बिंदु से संबंधित हवाईअड्डे तक या संबंधित हवाईअड्डे से भारत के भीतर स्थित किसी गंतव्य बिंदु तक उड़ान भरने वाले किसी वाणिज्यिक रूप से संचालित विमान की सेवा करता है।

“प्रभावी तिथि” का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 4.4 में निर्धारित है।

“मौजूदा हवाईअड्डा” से बेंगलोर में स्थित मौजूदा एचएएल हवाईअड्डा अभिप्रेत है, जो विमानपुरा, बेंगलोर में स्थित है।

“विस्तार” से संलग्नक-1 के रूप में संलग्न मास्टर प्लान के अनुसार समय-समय पर हवाईअड्डे की सुविधाओं का विस्तार अभिप्रेत है।

“वित्तीय समापन” से वह तिथि अभिप्रेत है जिस दिन वित्तपोषण करार (जहाँ तक वे प्रारंभिक चरण के विकास और निर्माण से संबंधित हैं) उसके सभी पक्षकारों द्वारा निष्पादित और सुपुर्द कर दिए गए हों तथा उनके अंतर्गत पूर्ववर्ती शर्तें उस सीमा तक पूरी हो गई हों, जो बीआईएएल को आवश्यक निधि तक तत्काल पहुँच प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक हो, केवल उसमें अपेक्षित आहरण की सूचनाएँ देने के अधीन।

“वित्तीय वर्ष” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 3.3 में दिया गया है।

“वित्तपोषण करार” से निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है: (i) ऋणदाताओं के साथ बीआईएएल के वे करार जिनके अंतर्गत बीआईएएल को ऋण उपलब्ध कराया जाता है; और (ii) ऋणदाताओं के पक्ष में प्रतिभूति दस्तावेज, प्रत्यक्ष करार और अन्य सहायक वचनबद्धताएँ, जो उपर्युक्त (i) में संदर्भित करारों के अनुसार अपेक्षित हैं।

“अप्रत्याशित घटना” का वही अर्थ है जो अनुसूची 4 में निर्धारित है।

“सामान्य विमानन सेवाएँ” से वाणिज्यिक हवाई परिवहन संचालन के अतिरिक्त विमान संचालन अभिप्रेत है।

“भारत सरकार” से भारत सरकार तथा नागरिक विमानन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देशन के अंतर्गत इसकी विधिवत अधिकृत कोई एजेंसी, प्राधिकरण, विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय या व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) अभिप्रेत है।

“भारत सरकार की चूक घटना” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 13.3.3 में दिया गया है।

“कर्नाटक सरकार” से कर्नाटक राज्य की सरकार तथा कर्नाटक सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देशन के अंतर्गत इसकी विधिवत अधिकृत कोई एजेंसी, प्राधिकरण, विभाग, निरीक्षणालय, मंत्री, मंत्रालय या व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) अभिप्रेत है।

“उद्योग की उत्तम प्रथा” से उस स्तर के कौशल, परिश्रम और विवेक का प्रयोग अभिप्रेत है जिसकी उसी प्रकार के उपक्रम में संलग्न किसी कुशल और अनुभवी संचालक से यथोचित और सामान्य रूप से अपेक्षा की जाती है और (बीआईएल के मामले में) हवाईअड्डे के निर्माण में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा संचालकों द्वारा सामान्यतः अपनाए जाने वाले मानकों का पालन करना, हवाईअड्डे के संचालन और अनुरक्षण में ऐसी उपयोगिताओं द्वारा सामान्यतः अपनाई जाने वाली प्रथाओं का पालन करना (संचालन कार्मिकों की रोजगार संबंधी नियमों और शर्तों को छोड़कर), तथा किसी लागू कानून या सीएनएस/एटीएम करार के अनुसार एएआई द्वारा संचालित और अनुरक्षित की जाने वाली प्रणालियों या उपकरणों के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के साथ असंगत न होने की सीमा तक उनका पालन करना अभिप्रेत है।

“सकल राजस्व” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 3.3 में दिया गया है।

“आईसीएओ” से शिकागो कन्वेंशन द्वारा गठित अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन या उसका कोई उत्तराधिकारी अभिप्रेत है

“आईसीएओ नीतियाँ” से “हवाईअड्डों और हवाई दिक्चालन सेवाओं के लिए प्रभार संबंधी आईसीएओ नीतियों” में निहित आईसीएओ परिषद का पहला वक्तव्य अभिप्रेत है, जिसे आईसीएओ परिषद द्वारा 22 जून 1992 को अपने 136वें सत्र की 14वीं बैठक में अपनाया गया था और तत्पश्चात 8 दिसंबर 2000 को 161वें सत्र की 18वीं बैठक में संशोधित किया गया था तथा जिसे आईसीएओ दस्तावेज 9082/6 के रूप में प्रकाशित किया गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

“स्वतंत्र सलाहकार” से ओएमएसए की शर्तों के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र सलाहकार अभिप्रेत है, जिसे या तो वित्तपोषण करारों की शर्तों के अनुसार ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित किया गया हो या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो (ऐसी स्वीकृति को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा)।

“स्वतंत्र अभियंता” से वित्तपोषण करारों की शर्तों के अंतर्गत ऋणदाताओं द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अभियंता अभिप्रेत है।

“स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण” या “आईआरए” से हवाईअड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण या हवाईअड्डा गतिविधियों के किसी पहलू को विनियमित करने के लिए स्थापित कोई अन्य विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है, जिसे (i) कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया गया हो, बशर्ते कि आईआरए का कार्य भारत सरकार के नियंत्रण में न हो, या (ii) संसद के अधिनियम या अध्यादेश अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम द्वारा स्थापित किया गया हो।

“सूचकांकित” से भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित “थोक मूल्य सूचकांक” के सूचकांक मूल्य के संदर्भ में संबंधित राशि का समायोजन अभिप्रेत है और इसमें ऐसा कोई सूचकांक भी शामिल होगा जो उक्त सूचकांक का स्थान लेता हो, तथा सूचकांकित के किसी संदर्भ का, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अर्थ पूर्ववर्ती माह की समाप्ति तक के थोक मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए समायोजन के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा।

“प्रारंभिक चरण” से अनुसूची 2 में वर्णित सुविधाओं का डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता और कमीशनिंग अभिप्रेत है।

“अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा” से ऐसा हवाईअड्डा अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित किसी उद्गम बिंदु से भारत में स्थित संबंधित हवाईअड्डे तक या भारत में स्थित संबंधित हवाईअड्डे से भारत के बाहर स्थित किसी गंतव्य बिंदु तक उड़ान भरने वाले किसी वाणिज्यिक रूप से संचालित विमान की सेवा करता है।

“भूमि पट्टा करार” से वह दस्तावेज और/या लिखत अभिप्रेत है जिसे कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीआईएएल को स्थल में पट्टेदारी के अधिकार और हित प्रदान करने के लिए किया गया है या किया जाना है।

“ऋणदाता” से वे बैंक, वित्तीय संस्थाएँ, एनबीएफसी और समान निकाय अभिप्रेत हैं जिनके प्रति प्रारंभिक चरण और किसी विस्तार के वित्तपोषण (जिसमें इन प्रयोजनों के लिए कोई पुनर्वित्तपोषण भी शामिल होगा) के लिए वित्तपोषण करारों के अंतर्गत ऋण देय है।

“प्रमुख हवाईअड्डा” से ऐसा कोई हवाईअड्डा अभिप्रेत है जहाँ वार्षिक यात्री आवागमन एक दशमलव पाँच (1.5) मिलियन से अधिक है या जिसके लिए इतनी वार्षिक यात्री आवागमन क्षमता का डिजाइन किया गया है।

“मास्टर प्लान” से बीआईएएल द्वारा तैयार किया गया और संलग्नक 1 के रूप में इसके साथ संलग्न मास्टर प्लान अभिप्रेत है।

“गैर-हवाईअड्डा गतिविधियाँ” से हवाईअड्डे पर या उसके संबंध में अनुसूची 3 के भाग 2 में निर्धारित सेवाओं का प्रावधान अभिप्रेत है।

“ओएमएसए” से बीआईएएल और फ्लुघाफेन ज्यूरिख एजी के बीच किया जाने वाला संचालन प्रबंधन सेवा करार अभिप्रेत है।

“पक्षकार” से संदर्भानुसार भारत सरकार या बीआईएएल तथा इस करार के अनुसार इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती में से कोई एक अभिप्रेत है और “पक्षकारगण” की तदनुसार व्याख्या की जाएगी।

“व्यक्ति” में (और जहाँ संदर्भ अपेक्षित हो) कोई प्राकृतिक और/या न्यायिक इकाई (जिसमें भारत सरकार या कर्नाटक सरकार शामिल हैं) भी शामिल है।

“निजी प्रवर्तक” से सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच, फ्लुघाफेन ज्यूरिख एजी और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड तथा ऐसा कोई अन्य पक्ष अभिप्रेत है, जैसा कि समय-समय पर शेयरधारक करार के अनुसार सहमति से तय किया जा सकता है।

“परियोजना” से हवाईअड्डे का डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग, अनुरक्षण, संचालन, प्रबंधन और विकास अभिप्रेत है।

“संदर्भ तिथि” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 3.3 में दिया गया है।

“विनियमित प्रभार” की परिभाषा अनुच्छेद 10.2.1 में दी गई है।

“संबंधित प्राधिकरण” में भारत सरकार, एएआई, डीजीसीए, बीसीएएस, गृह मंत्रालय का आव्रजन विभाग, वित्त मंत्रालय का सीमा शुल्क विभाग या उनकी कोई अन्य उप-इकाई अथवा साधन या लागू कानूनों द्वारा सशक्त कोई अन्य प्राधिकरण शामिल है।

“आरक्षित गतिविधियाँ” से वे कार्य और गतिविधियाँ अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी संबंधित प्राधिकरण द्वारा हवाईअड्डे पर अनुच्छेद 8.4, 8.5 और 8.6 में निर्धारित कार्यों सहित किया जाना है।

“प्रतिभूति” में कोई बंधक, गिरवी, ग्रहणाधिकार, प्रतिभूति हित या अन्य प्रभार या भार तथा कोई अन्य ऐसा करार या व्यवस्था शामिल है जिसका मूलतः वही आर्थिक प्रभाव हो।

“सेवा प्रदाता अधिकार” से कोई विशेषाधिकार, अधिकार, फ्रेंचाइज़, पट्टा या अन्य अधिकार अथवा उप-अधिकार अभिप्रेत है, जो बीआईएएल या किसी सेवा प्रदाता अधिकार धारक द्वारा अनुच्छेद 3.2.2 के अनुसार प्रदान किया गया हो।

“सेवा प्रदाता अधिकार धारक” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो समय-समय पर किसी सेवा प्रदाता अधिकार को धारण करता हो।

“निपटान राशि” से अनुसूची 7 के अनुसार परिकलित राशि अभिप्रेत है।

“शेयरधारक करार” से कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एएआई, सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच, फ्लुघाफेन ज्यूरिख एजी, लार्सन एंड टुब्रो और बीआईएएल के बीच 23 जनवरी 2002 को किया गया करार अभिप्रेत है।

“स्थल” से वह भूमि अभिप्रेत है जिसमें भूमि पट्टा करार के अनुसार बीआईएएल का पट्टेदारी हित है या होगा और जिसका क्षेत्रफल लगभग 4300 एकड़ है, जिस पर, जिसके नीचे और जिसके ऊपर हवाईअड्डे का निर्माण किया जाना है।

“विनिर्देश” से अनुसूची 9 के भाग 1 में निर्धारित हवाईअड्डे के निर्माण के विनिर्देश अभिप्रेत हैं।

“मानक” से अनुसूची 9 के भाग 2 में निर्धारित हवाईअड्डे के संचालन और अनुरक्षण के लिए निष्पादन मानक अभिप्रेत हैं।

“राज्य सहायता करार” से कर्नाटक सरकार और बीआईएएल के बीच किया गया या किया जाने वाला करार अभिप्रेत है।

“कर” या **“करों”** से सभी प्रकार के ऐसे कर, लेवी, अधिरोपण, शुल्क, प्रभार, कटौती या रोकड़ कटौती अभिप्रेत हैं, जो लगाए, अधिरोपित, एकत्र, रोके या निर्धारित किए गए हैं या किए जाने हैं, साथ ही उनसे उत्पन्न होने वाला या उनसे संबंधित सभी ब्याज, दंड, दावे या अन्य दायित्व अभिप्रेत हैं।

“समाप्ति राशि” से अनुच्छेद 13.4.1 के अनुसार परिकलित राशि अभिप्रेत है।

“अंतरण तिथि” से वह तिथि अभिप्रेत है जिस दिन बीआईएएल अनुच्छेद 13.5 के अनुसार हवाईअड्डे का कानूनी और लाभकारी स्वामित्व भारत सरकार या उसके नामित व्यक्तियों को हस्तांतरित करता है और हवाईअड्डे का कब्जा सौंपता है।

“उपयोगकर्ता विकास शुल्क” से “प्रस्थान करने वाले यात्रियों से यात्री सुविधाओं, सेवाओं और सुविधाजनक साधनों के प्रावधान के लिए वसूल किया जाने वाला शुल्क और जिसका उपयोग हवाईअड्डे पर सुविधाओं के विकास, प्रबंधन, अनुरक्षण, संचालन और विस्तार के लिए किया जाएगा” अभिप्रेत है।

“जानबूझकर की गई चूक” से किसी पक्षकार द्वारा इस करार के अंतर्गत अपने किसी दायित्व का जानबूझकर या लापरवाहीपूर्वक उल्लंघन या उसकी उपेक्षा अभिप्रेत है, किंतु इसमें उचित जाँच के बाद सद्भावपूर्वक किए गए निर्णय की त्रुटि या भूल अथवा उद्योग की उत्तम प्रथा के

अनुसार कार्य करने की आवश्यकता से उत्पन्न दायित्व के उल्लंघन या उपेक्षा अथवा उल्लंघन को दूर करने में विफलता शामिल नहीं है।

“कार्य” से प्रारंभिक चरण और/या किसी विस्तार के डिजाइन, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग और/या विकास के लिए आवश्यक या उसके संबंध में या उससे जुड़े हुए किए जाने या निष्पादित किए जाने वाले कार्य अभिप्रेत हैं।

1.2 व्याख्या

इस करार में, सिवाय इसके कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो:

1.2.1 संसद के किसी अधिनियम या किसी अधिनियम की किसी धारा, या अनुसूची, या अन्य उपबंध के संदर्भ को उस विशेष समय पर, उसमें उस समय लागू किसी संशोधन, विस्तार या पुनः अधिनियमन तथा संबंधित अधिनियम या उपबंध के अंतर्गत बनाए गए या उससे वैधता प्राप्त करने वाले उस समय लागू सभी नियमों, आदेशों या विनियमों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा;

1.2.2 “निर्णय” के संदर्भ में भारतीय क्षेत्राधिकार में किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई आदेश, निषेधाज्ञा, निर्धारण, डिक्री या अन्य न्यायिक अथवा मध्यस्थ उपाय शामिल है जो अंतिम और बाध्यकारी हो;

1.2.3 “कानून” के संदर्भ में सामान्य कानून, भारत का संविधान तथा कोई डिक्री, निर्णय, विधान, निर्देश, आदेश, अध्यादेश, विनियम, उप-विधि, संविधि, अधिसूचना, परिपत्र, दिशानिर्देश, नियम, सांविधिक लिखत या अन्य विधायी उपाय शामिल है, जिसका पालन बीआईएएल के लिए कानून के अनुसार आवश्यक है (और “विधिसम्मत” तथा “गैर-विधिसम्मत” की तदनुसार व्याख्या की जाएगी);

1.2.4 एकवचन के संदर्भ में बहुवचन भी शामिल होगा और इसके विपरीत भी;

1.2.5 “दिन” के संदर्भ में कैलेंडर दिवस अभिप्रेत है;

1.2.6 किसी विशेष अनुच्छेद, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ, अनुसूची या संलग्नक का संदर्भ, सिवाय इसके कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, इस करार में या इसके किसी ऐसे अनुच्छेद, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ, अनुसूची या संलग्नक का संदर्भ होगा;

1.2.7 शीर्षक सुविधा के लिए डाले गए हैं और निर्माण के प्रयोजनों के लिए उनकी उपेक्षा की जाएगी;

1.2.8 इसके साथ संलग्न अनुसूचियों में परिभाषित शर्तों का अर्थ, जब इस करार में अन्यत्र प्रयुक्त किया जाए, अनुसूचियों में उन्हें दिया गया अर्थ होगा;

1.2.9 इस करार की अनुसूचियाँ इस करार का हिस्सा हैं और पूर्ण रूप से प्रभावी होंगी, मानो उन्हें इस करार के मुख्य भाग में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया हो;

1.2.10 किसी भी करार, विलेख, लिखत, लाइसेंस कोड या किसी भी विवरण के अन्य दस्तावेज के संदर्भ को उस विशेष समय पर उस करार, विलेख, लिखत, लाइसेंस कोड या अन्य दस्तावेज के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जैसा कि उस समय उसमें संशोधन, परिवर्तन, पूरक, रूपांतरण, निलंबन या नवोन्मेष किया गया हो;

1.2.11 “लिखित” और “लिखित रूप में” शब्दों में फैक्स प्रसारण तथा प्रसारण की पुष्टि सहित शब्दों को मूर्त और स्थायी रूप से दृश्यमान रूप में पुनरुत्पादित करने का कोई भी साधन शामिल है;

1.2.12 “शामिल करना” और “जिसमें शामिल है” शब्दों की व्याख्या बिना किसी सीमा के की जाएगी;

1.2.13 अनुच्छेदों और अनुसूचियों के बीच किसी अस्पष्टता या विसंगति की स्थिति में अनुच्छेद प्रभावी होंगे।

भाग ॥

रियायत

अनुच्छेद 2

2 परियोजना का दायरा

2.1 परियोजना का दायरा

परियोजना का दायरा (“परियोजना का दायरा”) निम्नलिखित होगा:

2.1.1 इस करार के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर हवाईअड्डे का विकास और निर्माण;

2.1.2 इस करार के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे का प्रचालन और अनुरक्षण तथा हवाईअड्डा गतिविधियों और गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों का निष्पादन; और

2.1.3 इस करार के प्रावधानों के अनुसार बीआईएएल के अन्य सभी दायित्वों का निष्पादन और पूर्ति।

अनुच्छेद 3

3 रियायत प्रदान करना

3.1 रियायत

3.1.1 इस करार और लागू कानून के प्रावधानों के अधीन तथा उनके अनुसार, भारत सरकार एतद्वारा बीआईएएल को हवाईअड्डे के विकास, डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, कमीशनिंग, अनुरक्षण, संचालन और प्रबंधन को निष्पादित करने का अनन्य अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करती है (आरक्षित गतिविधियों को निष्पादित करने के अधिकार तथा संचार और दिक्कालन निगरानी/हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने के अधिकार को छोड़कर, जिन्हें एएआई द्वारा प्रदान किया जाना आवश्यक है)।

3.1.2 बीआईएएल एतद्वारा इस करार के अनुच्छेद 3.1.1 के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई रियायत को स्वीकार करता है।

3.2 अधिकारों की मान्यता

3.2.1 लागू कानूनों के अधीन तथा इस करार के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार यह मान्यता देती है कि बीआईएएल निम्नलिखित कार्य कर सकता है:

(i) अनुच्छेद 3.1 में संदर्भित गतिविधियों से संबंधित या सहायक कोई गतिविधि या व्यवसाय अथवा ऐसा कोई व्यवसाय जिसे बीआईएएल उससे संबंधित रूप में संचालित करना या उसमें संलग्न होना वांछनीय या उपयुक्त समझता है (जिसमें बीआईएएल द्वारा अनुच्छेद 3.1 में संदर्भित गतिविधियों के लिए यथोचित रूप से आवश्यक समझी जाने वाली कोई अवसंरचना सेवा भी शामिल है); और

(ii) हवाईअड्डे पर विमान, यात्रियों, सामान, कार्गो और/या डाक के आगमन, प्रस्थान और/या संचालन से संबंधित या उससे जुड़ी कोई गतिविधि या व्यवसाय; और

(iii) राजस्व उत्पन्न करने के लिए स्थल के विकास या हवाईअड्डे के संचालन से संबंधित या उससे जुड़ी कोई गतिविधि या व्यवसाय, जिसमें होटल, रेस्तरां, सम्मेलन स्थल, बैठक सुविधाएँ, व्यापार केंद्र, व्यापार मेले, रियल एस्टेट, थीम पार्क, मनोरंजन केंद्र, गोल्फ कोर्स तथा अन्य खेल और/या मनोरंजन सुविधाएँ, बैंक और एक्सचेंज तथा शॉपिंग मॉल जैसे वाणिज्यिक उपक्रमों का विकास शामिल है।

3.2.2 अनुच्छेद 3.2.1 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए, बीआईएएल इस करार की शर्तों के अधीन और उनके अनुसार, किसी भी समय किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 3.2.1 में वर्णित गतिविधियों और व्यवसायों को संचालित करने के प्रयोजन से सेवा प्रदाता अधिकार (जिसमें सेवा प्रदाता अधिकार धारकों द्वारा उप-अधिकार प्रदान करने का अधिकार भी शामिल है) ऐसे नियमों और शर्तों पर प्रदान कर सकता है, जिन्हें बीआईएएल यथोचित रूप से उपयुक्त निर्धारित करे, बशर्ते कि वे इस करार की रूपरेखा के अंतर्गत हों और इस करार के नियमों और शर्तों के विपरीत न हों, तथा यह भी बशर्ते कि यदि और जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सुरक्षा मंजूरी से संबंधित किसी लागू कानून के अंतर्गत आवश्यक हो, ऐसे सेवा प्रदाता अधिकार धारकों ने आवश्यक और अपेक्षित सुरक्षा मंजूरी प्राप्त कर ली हो।

बीआईएएल द्वारा सेवा प्रदाता अधिकार प्रदान किए जाने से इस करार के अंतर्गत बीआईएएल के किसी भी उत्तरदायित्व, कर्तव्य और दायित्व से बीआईएएल मुक्त नहीं होगा।

3.3 रियायत शुल्क

3.3.1 शुल्क

पक्षकार सहमत हैं कि अनुच्छेद 3.1 के अनुसार भारत सरकार द्वारा रियायत प्रदान किए जाने के प्रतिफल में, बीआईएएल इस अनुच्छेद 3.3 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार वार्षिक रूप से सकल राजस्व का चार प्रतिशत (4%) राशि का शुल्क भारत सरकार को भुगतान करेगा (“**रियायत शुल्क**”)।

3.3.2 सकल राजस्व

इस अनुच्छेद 3.3 के प्रयोजनों के लिए “**सकल राजस्व**” पद से बीआईएएल का सभी कर-पूर्व राजस्व अभिप्रेत है, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

(क) अनुच्छेद 8.4, 8.5 और 8.6 के अनुसार संबंधित प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए बीआईएएल द्वारा किए गए भुगतान;

(ख) बीमा से प्राप्त राशि; और

(ग) किसी पूंजीगत परिसंपत्ति या वस्तु की बिक्री से बीआईएएल को प्राप्त होने वाली कोई राशि;

(घ) हवाई दिक्कालन और हवाई यातायात प्रबंधन सेवाओं के संबंध में प्राप्त भुगतान और/या धनराशि;

(ड) लागू कानून के अंतर्गत किसी सरकारी प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से बीआईएएल द्वारा एकत्र किए गए भुगतान और/या धनराशि।

3.3.3 भुगतान

रियायत शुल्क बीआईएएल के प्रत्येक वित्तीय वर्ष (“**वित्तीय वर्ष**”) के संबंध में निर्धारित किया जाएगा, जो हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि को या उसके बाद आता है। वित्तीय वर्ष, इस अनुच्छेद 3.3.3 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर, 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 31 मार्च को समाप्त होगा। यदि हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि किसी वित्तीय वर्ष के पहले छह (6) महीनों में आती है, तो पहला वित्तीय वर्ष हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि से प्रारंभ और हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि के बाद आने वाले पहले 31 मार्च को समाप्त माना जाएगा। यदि हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम छह (6) महीनों में आती है, तो पहला वित्तीय वर्ष हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि से प्रारंभ और हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि के बाद आने वाले दूसरे क्रमिक 31 मार्च को समाप्त माना जाएगा।

3.3.4 भुगतान खाता

रियायत शुल्क की गणना और भुगतान रुपये में किया जाएगा। बीआईएएल द्वारा देय प्रत्येक भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलोर में स्थित किसी खाते में वायर ट्रांसफर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा भारत सरकार के पक्ष में या ऐसे अन्य खाते में किया जाएगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर बीआईएएल को लिखित रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

3.3.5 अनंतिम भुगतान

पहले दस (10) वित्तीय वर्षों के संबंध में रियायत शुल्क (“**आस्थगित भुगतान**”) बीस (20) समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में देय होगा, जिसमें पहली ऐसी किस्त 30 जून को और दूसरी ऐसी किस्त 31 दिसंबर को देय और भुगतान योग्य होगी (इनमें से प्रत्येक तिथि “**संदर्भ तिथि**” होगी), जो ग्यारहवें (11वें) वित्तीय वर्ष में होगी, और शेष किस्तें इसके बाद आने वाली प्रत्येक संदर्भ तिथि पर देय होंगी।

अनुच्छेद 3.3.3 के अधीन, ग्यारहवें (11वें) वित्तीय वर्ष और प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में रियायत शुल्क संदर्भ तिथि को वार्षिक रूप से बकाया आधार पर देय होगा।

रियायत शुल्क की गणना संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए बीआईएएल के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के आधार पर की जाएगी। यदि संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आने वाली संदर्भ तिथि तक ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो बीआईएएल संबंधित

वित्तीय वर्ष के संबंध में अनलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर भारत सरकार को अनंतिम भुगतान करेगा।

भारत सरकार को लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध कराए जाने के तीस (30) दिनों के भीतर:

(क) यदि अनंतिम भुगतान उस राशि से कम है जो भुगतान की जानी चाहिए थी, तो बीआईएएल भारत सरकार को बकाया राशि का भुगतान करेगा; या

(ख) यदि अनंतिम भुगतान उस राशि से अधिक है जो भुगतान की जानी चाहिए थी, तो उसे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए देय रियायत शुल्क में समायोजित किया जाएगा।

14

3.3.6 ब्याज और कर

(i) अनुच्छेद 3.3 के अंतर्गत किए गए भुगतानों को हवाईअड्डे के परिचालन व्यय का हिस्सा माना जाएगा, सिवाय अनुच्छेद 3.3.5 के अंतर्गत आस्थगित भुगतान के, जो संबंधित वर्ष में लेखाबद्ध किए जाने वाले भुगतानों के स्थान पर हैं।

(ii) विलंबित भुगतान के मामले को छोड़कर, जिस पर अनुच्छेद 18.14 लागू होगा, इस अनुच्छेद 3.3 के अनुसार किए जाने वाले किसी भी भुगतान या राशि के संबंध में कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा या देय नहीं होगा।

3.3.7 विवाद

इस अनुच्छेद 3.3 के संबंध में पक्षकारों के बीच किसी विवाद की स्थिति में, पक्षकार आपसी बातचीत के माध्यम से ऐसे विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने-अपने युक्तिसंगत प्रयास करेंगे।

यदि पक्षकार बातचीत के बाद किसी विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं, तो वे एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति करेंगे, जिसकी पहचान पर पक्षकारों की पारस्परिक सहमति होगी और जो सुलहकर्ता के रूप में कार्य करेगा।

यदि ऐसा स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए जाने के छह (6) महीनों के भीतर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में असमर्थ रहता है, तो विवाद का समाधान अनुच्छेद 16.2, 16.3 और 16.4 के अनुसार किया जाएगा।

अनुच्छेद 4

4 पूर्ववर्ती शर्तें

4.1 परियोजना के लिए पूर्ववर्ती शर्तें

इस करार के प्रावधान (अनुच्छेद 1, 4, 14, 16 और 18 में निहित प्रावधानों को छोड़कर, जो तदनुसार इस करार की तारीख से ही पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे) उस तारीख से प्रभावी होंगे और पक्षकारों पर बाध्यकारी बनेंगे जिस तारीख तक निम्नलिखित पूर्ववर्ती शर्तें पूर्ण रूप से पूरी हो चुकी होंगी:

(i) भारत सरकार द्वारा बीआईएएल और कर्नाटक सरकार से अपरिवर्तनीय सूचना प्राप्त होना कि राज्य सहायता करार सभी पक्षकारों द्वारा निष्पादित और सुपुर्द कर दिया गया है तथा उसमें निर्धारित सभी पूर्ववर्ती शर्तें (इस करार से संबंधित पूर्ववर्ती शर्त को छोड़कर) पूरी हो चुकी हैं, और ऐसी सूचना पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी;

(ii) विमान नियम, 1937 में संशोधन; और

(iii) भारत सरकार द्वारा बीआईएएल और उसके ऋणदाताओं से अपरिवर्तनीय सूचना प्राप्त होना कि वित्तीय समापन हो चुका है, और ऐसी सूचना पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी;

बशर्ते कि (क) ऐसी कोई भी पूर्ववर्ती शर्त भारत सरकार और बीआईएएल के बीच लिखित समझौते द्वारा माफ की जा सकती है और (ख) बीआईएएल किसी भी समय भारत सरकार को सूचना देकर उपर्युक्त (ii) में निर्धारित शर्तों को एकतरफा रूप से माफ कर सकता है। यदि बीआईएएल भारत सरकार की संतुष्टि के अनुसार यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि प्रारंभिक चरण के विकास और निर्माण के लिए तथा इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, तो भारत सरकार उपर्युक्त (iii) में निर्धारित शर्त को माफ करने के लिए बीआईएएल के अनुरोध पर युक्तिसंगत रूप से विचार करेगी।

4.2 पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के दायित्व

4.2.1 बीआईएएल उपर्युक्त अनुच्छेद 4.1(i) और (iii) में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ण पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तिसंगत प्रयास करेगा।

4.2.2 भारत सरकार उपर्युक्त अनुच्छेद 4.1(ii) में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ण पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तिसंगत प्रयास करेगी।

4.3 पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति न होना

4.3.1 पूर्ति न होने पर निलंबन

यदि अनुच्छेद 4.1 में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तें इस करार की तारीख से छह (6) महीने बाद आने वाली तिथि तक पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई हैं या माफ नहीं की गई हैं, तो बीआईएएल या भारत सरकार, अनुच्छेद 4.3.2 के अधीन, दूसरे पक्षकार को इक्कीस (21) दिनों की लिखित सूचना देकर इस करार को समाप्त करने का अधिकार रखेंगे और ऐसी सूचना की अवधि समाप्त होने पर यह करार किसी भी पक्षकार पर किसी परिणामी लागत या परिणाम के बिना समाप्त हो जाएगा।

4.3.2 पूर्ति के लिए समय का विस्तार

अनुच्छेद 4.3.1 में निर्दिष्ट तिथि से पहले किसी भी समय, पक्षकारों को लिखित रूप में पारस्परिक सहमति द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति या छूट के लिए निर्धारित तिथि को उस अवधि तक बढ़ाने का अधिकार होगा, जिस पर पक्षकार सहमत हों।

16

4.4 प्रभावी तिथि

अनुच्छेद 4.1 के अधीन, यह करार इसके पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।

अनुच्छेद 5

5 भारत सरकार के दायित्व

5.1 भारत सरकार के दायित्व

5.1.1 भारत सरकार अपने स्वयं के खर्च और लागत पर इस करार में निर्धारित अपने सभी दायित्वों को पूरा करेगी, उनका अनुपालन करेगी और उनका निर्वहन करेगी तथा नागरिक विमानन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देशन के अधीन किसी सांविधिक निकाय को ऐसा कोई कार्य करने का निर्देश नहीं देगी, जो इस करार का पक्षकार होने पर भारत सरकार के स्थान पर ऐसे निकाय द्वारा इस करार का उल्लंघन माना जाता।

5.1.2 बीआईएएल या उसके शेयरधारकों अथवा उनके संबंधित ठेकेदारों, सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर तथा ऐसे पक्षकारों द्वारा लागू कानून का पूर्ण अनुपालन और उसका निरंतर पालन किए जाने के अधीन, नागरिक विमानन मंत्रालय यह प्रयास करेगा कि उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली या उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाली तथा परियोजना के लिए या उससे संबंधित सभी मंजूरीयाँ उसके द्वारा ऐसी अवधि के भीतर प्रदान की जाएँ, जो निम्नलिखित में से बाद की तारीख को समाप्त होगी: (i) संबंधित सांविधिक अवधि (यदि कोई हो) की समाप्ति, और (ii) विधिवत पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पैंतालीस (45) दिन बाद।

नागरिक विमानन मंत्रालय अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि परियोजना के लिए या उससे संबंधित आवश्यक अन्य सभी मंजूरीयाँ ऐसी अवधि के भीतर प्रदान की जाएँ, जो निम्नलिखित में से बाद की तारीख को समाप्त होगी: (i) संबंधित सांविधिक अवधि (यदि कोई हो) की समाप्ति, और (ii) विधिवत पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पैंतालीस (45) दिन बाद।

5.2 विशिष्टता

5.2.1 अंतरराष्ट्रीय

हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख की पच्चीसवीं वर्षगांठ से पहले, हवाईअड्डे से 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर किसी नए या मौजूदा हवाईअड्डे को भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में विकसित करने अथवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे में सुधार या उन्नयन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.2.2 घरेलू

मैसूर और हासन हवाईअड्डों को छोड़कर, हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख की पच्चीसवीं वर्षगांठ से पहले, हवाईअड्डे से 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर किसी नए या मौजूदा हवाईअड्डे को भारत सरकार द्वारा घरेलू हवाईअड्डे के रूप में विकसित करने अथवा घरेलू हवाईअड्डे में सुधार या उन्नयन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.3 समान व्यवहार

हवाईअड्डे के परिचालन के प्रारंभ होने के बाद भारत सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी या करने से नहीं चूकेगी जिससे हवाईअड्डे या बीआईएएल के साथ इस प्रकार भेदभाव हो कि अन्य प्रमुख हवाईअड्डों को हवाईअड्डे या बीआईएएल, जैसा भी मामला हो, की तुलना में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त हो।

[इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, “भेदभाव” का अर्थ केवल ऐसे प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश जारी करना है जो हवाईअड्डे और/या बीआईएएल के संबंध में अन्य प्रमुख हवाईअड्डों और/या अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों की तुलना में भेदभावपूर्ण प्रकृति के हों, किंतु इसमें राजकोषीय या कर संबंधी मामलों के संबंध में कानूनों या सांविधिक, प्रशासनिक या कार्यकारी आदेशों को जारी करना शामिल नहीं होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अन्य प्रमुख हवाईअड्डे की स्थापना को सुगम बनाने के लिए यदि भारत सरकार (या उसके 18 मंत्रालयों और विभागों में से कोई) ऐसे प्रमुख हवाईअड्डे की स्थापना के लिए रियायतें या वित्त, भूमि अथवा अन्य सुविधाएँ प्रदान करती है, तो इसे इस अनुच्छेद के लिए भेदभाव नहीं माना जाएगा।]

5.4 समर्थन

5.4.1 भारत सरकार परियोजना के कार्यान्वयन को स्वीकार करती है और उसका समर्थन करती है;

5.4.2 भारत सरकार (i) बीआईएएल में संयुक्त उद्यम भागीदारों के रूप में निजी प्रवर्तकों को नियुक्त करने और निजी प्रवर्तकों को परियोजना प्रदान करने के निर्णय को अथवा (ii) इस करार को, इस करार के अंतर्गत अनुमत या लागू कानून के अनुसार किए जाने के अतिरिक्त, रद्द नहीं करेगी।

5.4.3 बीआईएएल के शेयरधारकों और ऋणदाताओं द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले निवेश की मान्यता में तथा ऐसे शेयरधारकों और ऋणदाताओं द्वारा सभी लागू कानूनों के महत्वपूर्ण अनुपालन के अधीन, भारत सरकार इस करार के विपरीत ऐसा कोई कदम या कार्रवाई नहीं करेगी जिसके परिणामस्वरूप या जिसके परिणामस्वरूप होने की संभावना हो कि ऐसे

शेयरधारक या ऋणदाता परियोजना में अपने निवेश या आर्थिक हित से वंचित हो जाएँ या पर्याप्त रूप से वंचित हो जाएँ, सिवाय लागू कानून के अनुसार।

5.5 मौजूदा हवाईअड्डा

5.5.1 मौजूदा हवाईअड्डा

(i) बीआईएएल, अपेक्षित हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख से छह (6) महीने पूर्व, भारत सरकार को उस तारीख की सूचना देगा जिस तारीख को उसके अनुसार हवाईअड्डा प्रारंभ होना अपेक्षित है।

(ii) जिस तारीख को हवाईअड्डा प्रारंभ होता है, उस तारीख से और उसके प्रभाव से भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मौजूदा हवाईअड्डा वाणिज्यिक नागरिक विमानन परिचालनों के लिए खुला या उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होगा और एएआई अधिनियम 1994 के अंतर्गत अब उसे सिविल एन्क्लेव के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

(iii) जिस तारीख को हवाईअड्डा प्रारंभ होता है, उस तारीख से और उसके प्रभाव से भारत सरकार एक उपयुक्त अधिसूचना जारी और प्रकाशित करेगी जिसमें यह उल्लेख होगा कि मौजूदा हवाईअड्डा वाणिज्यिक नागरिक विमानन परिचालनों के लिए अब खुला या उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है (जिसमें इन प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय हवाईअड्डा गतिविधि के लिए या किसी भी समय भारतीय वायु सेना या भारत के अन्य सशस्त्र बलों के स्वामित्व या उनके द्वारा संचालित या उनके लिए संचालित विमान द्वारा उपयोग अथवा विशेष सरकारी रूप से किराए पर लिए गए बीआईपी विमानों द्वारा गणमान्य व्यक्तियों के परिवहन या अन्यथा उनके उपयोग या गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाएगा) और यह भी कि अब उसे एएआई अधिनियम के अंतर्गत सिविल एन्क्लेव के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि मौजूदा हवाईअड्डे का अंतरराष्ट्रीय कोड (बीएलआर) हवाईअड्डे को हस्तांतरित कर दिया जाए।

(iv) सामान्य विमानन सेवाएँ (वाणिज्यिक विमानों से संबंधित सेवाओं के अतिरिक्त) मौजूदा हवाईअड्डे पर वाणिज्यिक विमानों के लिए बंद किए जाने के बावजूद उपर्युक्त पैराग्राफ (ii) और (iii) के अनुसार प्रदान की जाती रह सकती हैं।

5.5.2 उत्तरदायित्व

पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि वाणिज्यिक नागरिक विमानन परिचालनों के लिए मौजूदा हवाईअड्डे को बंद किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे बंद किए जाने के संबंध में या

उसके कारण लागत, व्यय, देयताएँ, लाभ की हानि और/या तृतीय पक्षों द्वारा किए गए दावे हो सकते हैं।

पक्षकार एतद्वारा सहमत हैं कि न तो बीआईएल और न ही भारत सरकार ऐसी लागत, व्यय, देयताओं, लाभ की हानि और/या तृतीय पक्षों द्वारा किए गए दावों के लिए उत्तरदायी होगी या उनका हिसाब देने के लिए बाध्य होगी, जो ऐसे बंद किए जाने के संबंध में या उसके कारण हों। पक्षकार आगे सहमत हैं कि एएआई मौजूदा हवाईअड्डे को बंद करने की लागत के संबंध में एक वचनबद्धता प्रदान करेगा, जहाँ तक ऐसी लागतें मौजूदा हवाईअड्डे पर एएआई द्वारा तृतीय पक्षों के साथ किए गए मौजूदा रियायत/अन्य करारों से संबंधित हैं। किसी संदेह से बचने के लिए, मौजूदा हवाईअड्डे पर एचएल द्वारा किए गए रियायत/अन्य करारों से संबंधित लागतों के लिए एएआई उत्तरदायी नहीं होगा।

अनुच्छेद 6

6 अभ्यावेदन और वारंटियाँ

6.1 अभ्यावेदन और वारंटियाँ

6.1.1 इस करार के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को यह अभ्यावेदन और वारंटी देता है कि प्रभावी तिथि को:

(i) उसके पास इस करार को विधिवत निष्पादित करने और सुपुर्द करने की शक्ति और प्राधिकार है तथा उसने इसके लिए आवश्यक सभी कार्रवाई की है;

(ii) इस करार के अंतर्गत उसके दायित्व विधि के अनुसार वैध और बाध्यकारी होंगे तथा उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे;

(iii) वह भारत के कानूनों के अधीन है और अनुच्छेद 18.13 के अधीन, एतद्वारा इस करार के संबंध में किसी भी उन्मुक्ति का स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से परित्याग करता है;

(iv) इस करार का निष्पादन, सुपुर्दगी और कार्यान्वयन किसी ऐसे वचन, करार, समझ, डिक्री या आदेश की शर्तों के साथ विरोधाभासी नहीं होगा, जिसके लिए वह पक्षकार है या जिससे वह अथवा उसकी कोई संपत्ति या परिसंपत्ति बाध्य या प्रभावित है, न ही इसके परिणामस्वरूप उसका उल्लंघन होगा, न ही यह उसके अधीन चूक का गठन करेगा अथवा अपेक्षित निष्पादन में तेजी लाएगा तथा इसके परिणामस्वरूप किसी लागू कानून का उल्लंघन नहीं होगा;

(v) उसे किसी न्यायालय के किसी आदेश, रिट, निषेधाज्ञा या डिक्री अथवा किसी संबंधित प्राधिकरण के किसी विधिक रूप से बाध्यकारी आदेश के संबंध में किसी उल्लंघन या चूक की जानकारी नहीं है, जिससे इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने की उसकी क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; और

(vi) उसने सभी महत्वपूर्ण मामलों में लागू कानून का अनुपालन किया है और उस पर कोई ऐसा जुर्माना, दंड, निषेधाज्ञात्मक राहत या कोई अन्य दीवानी या आपराधिक देयता नहीं लगाई गई है, जिसका सामूहिक रूप से इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने की उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ सकता है।

6.1.2 इसके अतिरिक्त, बीआईएएल भारत सरकार को यह अभ्यावेदन और वारंटी देता है कि इस करार की तारीख को:

(i) यह भारत के कानूनों के अंतर्गत निगमित शेयरों द्वारा सीमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है तथा विधिवत गठित है और अपने निगमन के समय से निरंतर अस्तित्व में है;

(ii) यह हवाईअड्डों के प्रचालन और प्रबंधन तथा अन्य आनुषंगिक गतिविधियों के व्यवसाय के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न नहीं है; और

(iii) बीआईएएल की शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार है:

पक्षकार	बीआईएएल की जारी और चकाए गए शेयर पूंजी का प्रतिशत
निजी प्रवर्तक और अन्य निवेशक (जैसा कि शेयरधारक करार में इन शब्दों को परिभाषित किया गया है) (सामूहिक रूप से)	74% (सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स 40%, युनीक ज्यूरिक 17%, और एल एंड टी 17%)
राज्य प्रवर्तक (जैसा कि शेयरधारक करार में इस शब्द को परिभाषित किया गया है) (सामूहिक रूप से)	26%
कुल	100%

(iv) किसी न्यायालय या किसी अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या अन्य प्राधिकरण के समक्ष विधि या साम्या के अंतर्गत इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई, वाद, कार्यवाही या जाँच लंबित नहीं है अथवा इसकी जानकारी के अनुसार ऐसी कोई कार्रवाई, वाद, कार्यवाही या जाँच किए जाने की धमकी नहीं दी गई है, जिसका परिणाम इस करार का उल्लंघन हो सकता है या जो व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने की इसकी क्षमता में कोई महत्वपूर्ण कमी ला सकती है; और

(v) भारत सरकार को इस करार में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुल्क, कमीशन या अन्यथा के रूप में किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति द्वारा इसकी ओर से नकद या वस्तु के रूप में कोई राशि भुगतान नहीं की गई है, स्वीकार नहीं की गई है अथवा किसी व्यक्ति को भुगतान या किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।

6.2 लॉक-इन

अनुच्छेद 14 के अध्यक्षीन तथा शेयरधारक करार की शर्तों के अनुसार, सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच और फ्लूघाफेन ज्यूरिक एजी की शेयरधारिता निम्नलिखित लॉक-इन प्रतिबंधों के अध्यक्षीन होगी:

(i) सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच, हवाईअड्डा प्रारंभ होने के पश्चात तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए बीआईएएल की चुकता पूंजी का कम से कम चालीस प्रतिशत (40%) अभिदत्त और धारित करेगा तथा हवाईअड्डा प्रारंभ होने के पश्चात सात (7) वर्षों की अवधि के लिए कम से कम छब्बीस प्रतिशत (26%) अभिदत्त और धारित करेगा; और

(ii) फ्लूघाफेन ज्यूरिक एजी, हवाईअड्डा प्रारंभ होने के पश्चात तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए बीआईएएल की चुकता पूंजी का कम से कम पाँच प्रतिशत (5%) अभिदत्त और धारित करेगा।

6.3 अनुमोदन

बीआईएएल हर समय परियोजना के निष्पादन के लिए लागू कानून के अंतर्गत आवश्यक सभी अनापत्तियाँ और अनुमोदन, जिनमें पंजीकरण, लाइसेंस और परमिट (जिसमें आव्रजन, अस्थायी निवास, कार्य और निकास परमिट शामिल हैं) सम्मिलित हैं, प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा।

6.4 अस्वीकरण

6.4.1 बीआईएएल स्वीकार करता है कि इस करार के निष्पादन से पहले, इसने परियोजना के दायरे का पूर्ण और सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात स्वतंत्र मूल्यांकन किया है तथा उन कठिनाइयों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण किया है, जो इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने या जिनका इसके द्वारा सामना किए जाने की संभावना है।

6.4.2 बीआईएएल परियोजना के दायरे से संबंधित कठिनाइयों, जोखिमों और खतरों (जिसमें ऊपर अनुच्छेद 6.4.1 में उल्लिखित किसी भी विषय में या उससे संबंधित कोई अपर्याप्तता, गलती या त्रुटि शामिल है) को स्वीकार करता है और एतद्वारा स्वीकार करता है तथा सहमत है कि भारत सरकार किसी भी प्रकार से इसके लिए बीआईएएल के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। किसी संदेह से बचने के लिए, इस अनुच्छेद 6.4 के अनुसार बीआईएएल द्वारा स्वीकार की गई कठिनाइयों, जोखिमों और खतरों में ऐसे किसी दायित्व को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसके लिए इस करार की शर्तों के अनुसार भारत सरकार उत्तरदायी है।

भाग III

विकास और प्रचालन

अनुच्छेद 7

7 हवाईअड्डे का निर्माण

7.1 मास्टर प्लान

बीआईएएल प्रत्येक पाँच (5) वर्ष में मास्टर प्लान की समीक्षा करेगा। यदि ऐसी समीक्षा पर बीआईएएल यह मानता है कि हवाईअड्डे में बदली हुई परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन करना आवश्यक है, तो बीआईएएल मास्टर प्लान में संशोधन करेगा और ऐसे संशोधित मास्टर प्लान की एक प्रति भारत सरकार को उपलब्ध कराएगा।

7.2 निर्माण और विस्तार

बीआईएएल मास्टर प्लान, अच्छी उद्योग प्रथा और लागू कानून के अनुसार प्रारंभिक चरण का डिजाइन, खरीद, निर्माण, पूर्णता, परीक्षण और कमीशनिंग करेगा तथा उसके संबंध में किसी भी दोष का निवारण करेगा। बीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य विनिर्देशों और अच्छी उद्योग प्रथा के अनुरूप हों।

बीआईएएल, बढ़ी हुई मांग, वित्त पोषण की उपलब्धता, उस समय हवाईअड्डे के आर्थिक और लाभकारी संचालन तथा हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं की उचित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उनके अधीन, हवाईअड्डे के विस्तार के लिए विस्तृत प्रस्ताव विकसित और कार्यान्वित करेगा।

जहाँ तक बीआईएएल गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों के प्रावधान के संबंध में कोई पूंजी निवेश, राशि या लागत वहन करता है और ऐसे निवेश, राशि या लागत को समाप्ति राशि, ऋण या निपटान राशि की गणना में शामिल किए जाने की आवश्यकता होती है, बीआईएएल भारत सरकार की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करेगा।

7.3 स्वतंत्र इंजीनियर

बीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा तैयार की गई और वित्तपोषण करारों की शर्तों के अनुसार ऋणदाताओं को प्रस्तुत की गई कोई भी रिपोर्ट और प्रमाण-पत्र तथा भविष्य के किसी वित्तपोषण के अंतर्गत नियुक्त किसी स्वतंत्र इंजीनियर की कोई रिपोर्ट भी भारत सरकार को उपलब्ध कराई जाए, ताकि भारत सरकार हवाईअड्डे के निर्माण और कमीशनिंग की प्रगति की निगरानी कर सके।

बीआईएएल यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र इंजीनियर हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख से पहले भारत सरकार को इस करार की अनुसूची 10 के अनुरूप रूप और विषय-वस्तु में एक “पूर्णता प्रमाण-पत्र” प्रदान करे।

7.4 स्थल और सामग्री

7.4.1 स्थल का संगठन

बीआईएएल निर्माण की अवधि के दौरान सुरक्षा सावधानियों, अग्नि सुरक्षा, सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन, माल, सामग्री, संयंत्र और उपकरणों की आपूर्ति, प्रदूषण नियंत्रण, सक्षम कार्मिक और श्रमिकों तथा औद्योगिक संबंधों के रखरखाव और सामान्य स्थल सेवाओं के संबंध में स्थल को व्यवस्थित करेगा, जिसमें बिना किसी सीमा के स्थल तक और स्थल पर पहुँच, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के कार्यालयों और परिसरों के लिए स्थान का आवंटन तथा केवल अधिकृत व्यक्तियों तक स्थल पर पहुँच का प्रतिबंध शामिल है।

7.4.2 सामग्री

बीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यों में केवल ऐसी सामग्री और वस्तुएँ शामिल हों जो अच्छी और वाणिज्यिक गुणवत्ता की हों तथा लागू कानून के अनुसार निर्मित और तैयार की गई हों और यह कि सभी कारीगरी निर्माण और/या स्थापना के समय लागू लागू कानून और अच्छी उद्योग प्रथा के अनुसार हो।

7.5 हवाईअड्डा प्रारंभ

बीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख वित्तीय समापन के तैंतीस (33) महीने बाद पड़ने वाली तारीख तक हो जाए, बशर्ते कि ऐसी तारीख को निम्नलिखित के कारण या परिणामस्वरूप होने वाली किसी देरी के संदर्भ में समायोजित किया जाएगा:

(i) अप्रत्याशित घटना; और/या

(ii) इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन में भारत सरकार की कोई विफलता या देरी; और/या

(iii) इस करार के अनुच्छेद 8.14 के अंतर्गत अपने अधिकारों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कोई व्यवधान या हस्तक्षेप; और/या

(iv) राज्य सहायता करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन में कर्नाटक सरकार की कोई विफलता या देरी; और/या

(v) भूमि पट्टा करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन में कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोई विफलता या देरी; और/या

(vi) सीएनएस/एटीएम करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन में एएआई की कोई विफलता या देरी; और/या

(vii) शेयरधारक करार के खंड 7 के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन में एएआई या कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की कोई विफलता या देरी; और/या

(viii) किसी संबंधित प्राधिकरण द्वारा अपनी सेवाओं के निष्पादन में कोई विफलता या देरी।

यदि बीआईएएल, उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से, वित्तीय समापन के उनतालीस (39) महीने बाद पड़ने वाली तारीख तक हवाईअड्डा प्रारंभ करने में विफल रहता है, तो बीआईएएल भारत सरकार को सहमत परिसमाप्त हर्जाने के रूप में प्रत्येक दिन की देरी के लिए एक लाख रुपये (100,000) की राशि का भुगतान करेगा। इसकी गणना वित्तीय समापन से उनतालीस (39) महीने की अवधि पूरी होने वाली तारीख से प्रारंभ होकर हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख या वित्तीय समापन से पैंतालीस (45) महीने पूरे होने वाली तारीख, इनमें से जो पहले हो, तक की जाएगी।

7.6 लाइसेंस

7.6.1 लाइसेंस प्रदान करना

भारत सरकार अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करेगी और बीआईएएल को डीजीसीए द्वारा बीआईएएल को प्रारंभ में दो वर्ष की अवधि के लिए वैध हवाईअड्डा लाइसेंस प्रदान करने में सहायता करेगी, ताकि वह डीजीसीए को अपने आवेदन की तारीख से अधिकतम पैंतालीस (45) दिनों के भीतर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ कर सके, बशर्ते कि बीआईएएल ने इस करार की शर्तों के अनुसार हवाईअड्डे का निर्माण पूरा कर लिया हो और निम्नलिखित का अनुपालन किया हो:

(i) वायुयान नियमावली 1937 के नियम 86 और अनुसूची V के भाग क की अपेक्षाएँ;

(ii) वायुयान नियमावली 1937 के नियम 133क के अनुसार डीजीसीए द्वारा जारी कोई विशेष निर्देश या दिशानिर्देश; और

(iii) प्रमुख हवाईअड्डे के लिए हवाईअड्डा लाइसेंस जारी करने के संबंध में डीजीसीए की कोई अन्य मानक आवश्यकता।

7.6.2 निरंतर लाइसेंस

उपरोक्त अनुच्छेद 7.6.1 के अंतर्गत हवाईअड्डा लाइसेंस जारी किए जाने के बाद, भारत सरकार अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करेगी और बीआईएएल को डीजीसीए द्वारा बीआईएएल को जारी उक्त हवाईअड्डा लाइसेंस का अगले दो वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण कराने में सहायता करेगी। यह नवीनीकरण तत्काल पिछली दो वर्ष की अवधि के लिए जारी हवाईअड्डा लाइसेंस की समाप्ति से पहले और बीआईएएल द्वारा डीजीसीए को आवेदन करने की तारीख से अधिकतम पैंतालीस (45) दिनों के भीतर किया जाएगा, बशर्ते कि बीआईएएल सभी महत्वपूर्ण मामलों में निम्नलिखित का निरंतर अनुपालन करता रहे:

(i) लागू कानून और वायुयान नियमावली 1937;

(ii) वायुयान नियमावली 1937 के नियम 133क के अनुसार डीजीसीए द्वारा जारी कोई विशेष निर्देश या दिशानिर्देश;

(iii) इस करार के प्रावधान; और

(iv) प्रमुख हवाईअड्डे के लिए हवाईअड्डा लाइसेंस जारी करने के संबंध में डीजीसीए की कोई अन्य मानक आवश्यकता, जिसमें ऐसे लाइसेंस के संबंध में डीजीसीए को देय सभी पिछली बकाया राशियों का भुगतान शामिल है,

और यह भी बशर्ते कि वर्तमान लाइसेंस के अंतर्गत बीआईएएल द्वारा कोई उल्लंघन लंबित न हो।

7.7 कमीशनिंग

भारत सरकार अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि एएआई और डीजीसीए, बीआईएएल की लागत पर और समयबद्ध तरीके से, अनुच्छेद 7.6 में उल्लिखित लाइसेंस प्रदान करने और/या हवाईअड्डे के सुरक्षित संचालन के लिए किए जाने वाले सभी आवश्यक परीक्षण और प्रक्रियाएँ पूरी करें।

अनुच्छेद 8

8 प्रचालन और रखरखाव

8.1 हवाईअड्डा प्रचालन और रखरखाव

बीआईएएल हवाईअड्डे के संचालन और रखरखाव में हर समय लागू कानून का अनुपालन करेगा तथा अच्छी उद्योग प्रथा और मानकों के अनुसार हवाईअड्डे का प्रचालन, रखरखाव और अच्छी परिचालन स्थिति एवं दशा में रखेगा तथा यथोचित रूप से आवश्यक सीमा तक उसका नवीनीकरण, प्रतिस्थापन और उन्नयन करेगा। इन प्रयोजनों के लिए हवाईअड्डे में वे प्रणालियाँ या उपकरण शामिल नहीं होंगे जिनका संचालन सीएनएस/एटीएमकरार की शर्तों के अनुसार एएआई द्वारा किया जाना है।

सभी रखरखाव, मरम्मत और अन्य कार्य इस प्रकार किए जाएँगे कि हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं को होने वाली असुविधा को न्यूनतम किया जा सके।

8.2 संयुक्त समन्वय समिति

पक्षकार हवाईअड्डे का विकास, रखरखाव और संचालन अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर प्राप्त मानकों के अनुरूप उच्च मानकों पर करना चाहते हैं। आरक्षित गतिविधियाँ भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार के निर्देशन में की जाएँगी। इस करार के अंतर्गत अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में बीआईएएल और भारत सरकार की सहायता करने के लिए बीआईएएल, भारत सरकार और आरक्षित गतिविधियाँ प्रदान करने वाले अन्य संबंधित प्राधिकरणों से मिलकर एक संयुक्त समन्वय समिति गठित की जाएगी। संयुक्त समन्वय समिति इस करार के निष्पादन के बाद पहले महीने से प्रत्येक महीने में एक बार बैठक करेगी, बशर्ते कि पक्षकार ऐसी समिति के निर्णयों से बाध्य नहीं होंगे। नागर विमानन मंत्रालय इस प्रक्रिया में सहायता करने के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करेगा, किंतु किसी संदेह से बचने के लिए, संयुक्त समन्वय समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा।

8.3 आरक्षित गतिविधियाँ

भारत सरकार इस अनुच्छेद 8 के अनुसार आरक्षित गतिविधियों को पूरा करेगी और लागू कानून के अंतर्गत उसे उपलब्ध सभी अधिकारों का प्रयोग करेगी, जिनके द्वारा हवाईअड्डे पर यात्रियों, सामान और कार्गो के निरंतर प्रवाह को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सेवाओं की निरंतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

8.4 सीमा शुल्क, आप्रवासन और संगरोध

8.4.1 पक्षकार हवाईअड्डे का विकास और संचालन अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर प्राप्त मानकों के अनुरूप करना चाहते हैं और इस संबंध में सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध प्रक्रियाएँ भारत सरकार द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर स्थापित की जाएँगी। पक्षकारों का आशय है कि भारत सरकार द्वारा इस करार के अनुसार स्थापित सीमा शुल्क और आव्रजन प्रक्रियाओं तथा संगरोध सेवाओं के संबंध में उपयुक्त सेवा स्तर मानकों पर सहमत होने का यथोचित प्रयास किया जाए और बीआईएएल द्वारा अनुरोध किए जाने पर नागर विमानन मंत्रालय तदनुसार सहायता करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

8.4.2 बीआईएएल हर समय संबंधित प्राधिकरण को निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा:

(i) हवाईअड्डे पर ऐसी पहुँच और सुविधाएँ; और

(ii) इस करार की अनुसूची 8 में निर्धारित स्थान की आवश्यकताएँ,

ताकि संबंधित प्राधिकरण हवाईअड्डे पर आरक्षित गतिविधियाँ कर सके। ये पहुँच, सुविधाएँ और स्थान ऐसी शर्तों और नियमों पर उपलब्ध कराए जाएँगे जो सामान्यतः अन्य प्रमुख हवाईअड्डों पर लागू शर्तों और नियमों के अनुरूप हों।

8.4.3 बीआईएएल संबंधित प्राधिकरण की सहमति के बिना हवाईअड्डे पर संबंधित प्राधिकरण को उपलब्ध कराए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का अधिकारी नहीं होगा।

8.4.4 हवाईअड्डे पर किसी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास में यदि ऊपर उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान या सुविधा का स्थानांतरण या पुनर्विन्यास शामिल है, तो बीआईएएल संबंधित प्राधिकरण को विधिवत सूचित करेगा और बीआईएएल तथा संबंधित प्राधिकरण हवाईअड्डे पर ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप संबंधित प्राधिकरण की स्थान संबंधी आवश्यकताओं में आवश्यक किसी संशोधन पर चर्चा करेंगे और सहमत होंगे।

8.5 सुरक्षा

8.5.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि जब तक इस करार के अंतर्गत अन्यथा सहमति न हो, वह अन्य सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर जिस प्रकार और उन्हीं शर्तों पर विमानन सुरक्षा प्रदान करती है, उसी प्रकार और उन्हीं शर्तों पर हवाईअड्डे पर सभी विमानन सुरक्षा प्रदान करेगी। बशर्ते कि भारत सरकार और बीआईएएल, आपसी चर्चा के बाद, यदि उचित समझा जाए, हवाईअड्डे पर विमानन सुरक्षा सेवाएँ संयुक्त रूप से प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएँ कर सकते हैं। पक्षकार स्वीकार करते हैं कि इस करार की तारीख को सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला

शुल्क प्रति प्रस्थान करने वाले यात्री के लिए 130 रुपये हैं, जिसे सभी प्रमुख हवाईअड्डों के लिए समान रूप से संशोधित किया जा सकता है।

8.5.2 इस करार के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बीआईएएल हवाईअड्डे की सुरक्षा के संबंध में बीसीएस द्वारा समय-समय पर स्थापित ऐसे नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा, बशर्ते कि यदि ऐसे नियम और विनियम समान या समान प्रकार के संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाईअड्डों पर सामान्य रूप से और लगातार लागू नहीं किए जाते हैं, तो बीआईएएल उन नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

8.5.3 बीआईएएल बीसीएस या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अपेक्षित सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी होगा, सिवाय डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी), हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी), हाथ में ले जाए जाने वाले यात्री सामान की स्क्रीनिंग के लिए एक्स-रे स्कैन मशीनें X-Ray और वॉकी-टॉकी के, जिन्हें एएआई द्वारा खरीदा, स्थापित, संचालित, अनुरक्षित और प्रतिस्थापित किया जाएगा, जहाँ तक ये उपकरण एंटी-हाइजैकिंग और एंटी-साबोटैज कार्यों से संबंधित हैं; बशर्ते कि समान या समान प्रकार के संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाईअड्डों पर समान दायित्व लगाए गए हों।

8.5.4 हवाईअड्डे की इमारत, यात्रियों, हवाईअड्डे पर कार्य करने वाले व्यक्तियों और हवाईअड्डे पर आने वाले अन्य आगंतुकों तथा हवाईअड्डे पर विमानों, माल और अन्य संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ भी बीसीएस द्वारा निर्धारित की जाएँगी।

बीआईएएल बीसीएस द्वारा समय-समय पर जारी सभी ऐसी प्रक्रियाओं और निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा, बशर्ते कि ऐसी प्रक्रियाएँ और निर्देश समान या समान प्रकार के संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाईअड्डों पर लगातार लागू किए जाते हों।

8.5.5 सुरक्षा ड्यूटी करने के लिए कार्मिक बीसीएस, भारत सरकार या GoK द्वारा नामित सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए जाएँगे।

8.5.6 बीआईएएल हर समय नामित सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

8.5.7 बीआईएएल नामित सुरक्षा एजेंसी को निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा:

(i) हवाईअड्डे पर ऐसी पहुँच और सुविधाएँ; और

(ii) इस करार की अनुसूची 8 में निर्धारित स्थान संबंधी आवश्यकताएँ,

ताकि नामित सुरक्षा एजेंसी इस करार के अंतर्गत अपने कार्य कर सके। ये सुविधाएँ और स्थान ऐसी शर्तों और नियमों पर उपलब्ध कराए जाएँगे जो समान या समान प्रकार के संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाईअड्डों पर लागू शर्तों और नियमों के सामान्यतः अनुरूप हों।

8.5.8 बीआईएएल नामित सुरक्षा एजेंसी की सहमति के बिना हवाईअड्डे पर नामित सुरक्षा एजेंसी को उपलब्ध कराए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का अधिकारी नहीं होगा।

8.5.9 हवाईअड्डे पर किसी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास में यदि ऊपर उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए नामित सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान या सुविधा का स्थानांतरण या पुनर्विन्यास शामिल है, तो बीआईएएल नामित सुरक्षा एजेंसी को विधिवत सूचित करेगा और बीआईएएल तथा नामित सुरक्षा एजेंसी हवाईअड्डे पर ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप नामित सुरक्षा एजेंसी की स्थान संबंधी आवश्यकताओं में आवश्यक किसी संशोधन पर चर्चा करेंगे और सहमत होंगे।

8.6 मौसम विज्ञान सेवा

8.6.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि वह हवाईअड्डे पर शिकागो कन्वेंशन के अंतर्गत समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार और अन्य सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाली समान शर्तों पर मौसम विज्ञान सेवाएँ प्रदान करेगी।

8.6.2 बीआईएएल, मौसम विज्ञान सेवाओं के प्रावधान के संबंध में, संबंधित प्राधिकरण को निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा:

(i) ऐसी पहुँच; और

(ii) इस करार की अनुसूची 8 में निर्धारित स्थान संबंधी आवश्यकताएँ,

ताकि संबंधित प्राधिकरण इस करार के अंतर्गत अपने कार्य कर सके।

संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्य तथा इस अनुच्छेद 8.6 के अंतर्गत बीआईएएल द्वारा प्रदान की जाने वाली पहुँच और स्थान ऐसी शर्तों और नियमों पर होंगे जो सामान्यतः अन्य प्रमुख हवाईअड्डों पर लागू शर्तों और नियमों के अनुरूप हों।

8.6.3 बीआईएएल संबंधित प्राधिकरण की सहमति के बिना हवाईअड्डे पर संबंधित प्राधिकरण को उपलब्ध कराए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का अधिकारी नहीं होगा।

8.6.4 हवाईअड्डे पर किसी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास में यदि ऊपर उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान या सुविधा का स्थानांतरण या पुनर्विन्यास शामिल है, तो बीआईएएल संबंधित प्राधिकरण को विधिवत सूचित करेगा और बीआईएएल तथा संबंधित प्राधिकरण हवाईअड्डे पर ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप संबंधित प्राधिकरण की स्थान संबंधी आवश्यकताओं में आवश्यक किसी संशोधन पर चर्चा करेंगे और सहमत होंगे।

8.7 VIP लाउंज

बीआईएएल हवाईअड्डे पर राज्य अतिथियों और राज्य के गणमान्य व्यक्तियों के उपयोग और सुविधा के लिए हर समय अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक सरकारी VIP लाउंज उपलब्ध कराएगा और उसका रखरखाव करेगा।

8.8 मानक

इस अनुच्छेद 8 में किसी भी बात की ऐसी व्याख्या नहीं की जाएगी जिससे बीआईएएल को इस रियायत करार के अंतर्गत हवाईअड्डे पर आवश्यक स्थान या सुविधाओं से संबंधित मानकों को कम करने या उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का अधिकार प्राप्त हो।

8.9 हवाईअड्डा व्यवसाय का प्रबंधन

बीआईएएल, अच्छी उद्योग प्रथा और लागू कानून के अनुसार तथा इस करार की शर्तों के अनुसार:

8.9.1 हवाईअड्डे का प्रबंधन और संचालन एक वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में प्रतिस्पर्धात्मक, कुशल और आर्थिक तरीके से करेगा;

8.9.2 इस करार के अंतर्गत बीआईएएल के किसी अन्य दायित्व या अधिकार को सीमित किए बिना, हवाईअड्डे पर हवाईअड्डा गतिविधियाँ उपलब्ध कराएगा या उनके प्रावधान को सुनिश्चित करेगा; और

8.9.3 हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं की उचित आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखेगा।

8.10 सामान्य दायित्व

8.10.1 बीआईएएल, लागू कानून के अधीन:

(i) हवाईअड्डे को प्रत्येक समय विमानों के उड़ान भरने और उतरने के लिए खुला रखेगा, जब तक और जब तक कोई संबंधित प्राधिकरण आरक्षित गतिविधि प्रदान करने में विफल रहने के कारण बीआईएएल ऐसा करने में असमर्थ है; और

(ii) हवाईअड्डे के प्रचालन के संबंध में उसके द्वारा किए गए सभी खर्चों के लिए उत्तरदायी होगा और उनका शीघ्र भुगतान करेगा, जिसमें बिना किसी सीमा के कर, बीमा और हवाईअड्डे को या हवाईअड्डे पर सभी सेवाओं या उपयोगिताओं जैसे बिजली, पानी, गैस, कचरा संग्रहण, सीवरेज, गंदे पानी, जल निकासी और टेलीफोन का प्रावधान शामिल है।

8.11 स्लॉट

बीआईएएल को हवाईअड्डे पर स्लॉट आवंटित करने का अंतिम अधिकार होगा, बशर्ते कि उनका आवंटन निष्पक्ष रूप से और मनमाने ढंग से न किया जाए, और वह संबंधित एयरलाइन संचालकों को मौजूदा हवाईअड्डे के बंद होने के समय वहाँ आवंटित स्लॉट उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास करेगा।

8.12 भेदभाव-निषेध

समय-समय पर लागू किसी कानून या अंतरराष्ट्रीय संधि के दायित्वों के अधीन, भारत सरकार हवाईअड्डे का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त वायु यातायात के वर्गों या विवरणों के संबंध में भेदभाव-निषेध की नीति का पालन करेगी और, उचित विनियमों के अधीन, हवाईअड्डे पर विमान की आवाजाही पर अनुचित सीमाएँ नहीं लगाएगी या अन्यथा हवाईअड्डे की क्षमता को प्रतिबंधित नहीं करेगी।

8.13 प्रचालन में व्यवधान

यदि हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख के बाद बीआईएएल, भारत सरकार की लिखित सहमति के बिना और इस करार के अंतर्गत अपने अधिकारों के अनुसार किए जाने के अतिरिक्त, अड़तालीस (48) घंटे से अधिक समय के लिए हवाईअड्डे का प्रचालन बंद कर देता है या पर्याप्त रूप से बंद कर देता है, तो किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर भारत सरकार बीआईएएल के साथ बैठक करेगी ताकि एक योजना तथा संयुक्त प्रचालन और प्रबंधन समिति की नियुक्ति (और ऐसी समिति की नियुक्ति की जाने वाली शर्तों और नियमों) पर चर्चा और सहमति की जा सके, जिससे हवाईअड्डे का प्रचालन यथासंभव शीघ्र पुनः प्रारंभ कराया जा सके।

यदि भारत सरकार और बीआईएएल उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के छह (6) घंटे के भीतर किसी योजना पर सहमत होने और संयुक्त प्रचालन एवं प्रबंधन समिति नियुक्त करने में

असमर्थ रहते हैं, तो भारत सरकार को उस समय तक हवाईअड्डे का प्रचालन करने का अधिकार होगा, जब तक बीआईएएल हवाईअड्डे का प्रचालन पुनः शुरू करने में सक्षम न हो जाए।

8.14 निर्माण या संचालन में व्यवधान

इस करार में अन्यथा प्रदान किए जाने के अतिरिक्त और/या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति के अतिरिक्त और/या इस करार की तारीख को विद्यमान किसी कानून में प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, भारत सरकार बीआईएएल द्वारा या उसकी ओर से हवाईअड्डे के डिजाइन, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग, रखरखाव, वित्तपोषण, संचालन, प्रबंधन और/या विकास में हस्तक्षेप या व्यवधान नहीं डालेगी।

किसी अन्य आपात स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण, भारत सरकार को पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के लिए हवाईअड्डे के निर्माण या संचालन में हस्तक्षेप करने या व्यवधान डालने का अधिकार होगा।

8.15 द्विपक्षीय समझौते

भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों को प्रभावित किए बिना या किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित किए बिना, भारत सरकार, जहाँ संभव हो, सभी मौजूदा वायु सेवा करारों का नवीनीकरण करने का प्रयास करेगी और हवाईअड्डे को प्रभावित करने वाले किसी भी मौजूदा वायु सेवा करार को रद्द या समाप्त न करने का प्रयास करेगी।

किसी संदेह से बचने के लिए, भारत सरकार को किसी अन्य राज्य या उसके नामित वाहक द्वारा ऐसे वायु सेवा करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का अनुपालन करने में विफल रहने के कारण या ऐसे वायु सेवा करार के अन्य पक्षकार द्वारा उसके उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप किसी वायु सेवा करार को रद्द या समाप्त करने का अधिकार होगा।

8.16 दिन और रात में संचालन

उपयुक्त सुविधाएँ स्थापित करने और सभी लागू कानूनों तथा मानकों, जिनमें पर्यावरण संबंधी कानून शामिल हैं, का अनुपालन करने के अधीन तथा यह बशर्ते कि यदि अन्य प्रमुख हवाईअड्डों पर भी पर्याप्त रूप से समान प्रतिबंध लागू हों, बीआईएएल को हवाईअड्डे का प्रचालन करने तथा दिन और रात दोनों समय किसी भी समय विमानों को उड़ान भरने और उतरने की अनुमति देने का अधिकार होगा।

8.17 अधिकारियों के लिए प्रवेश

8.17.1 प्रवेश

अनुच्छेद 8.17.2 के प्रावधानों और बीसीएस के दिशानिर्देशों के अधीन, बीआईएल को ऐसे व्यक्तियों को साइट और/या हवाईअड्डे के सभी भागों में प्रवेश प्रदान करने का अधिकार होगा, जैसा वह निर्धारित करे।

8.17.2 न्यूनतम व्यवधान

जहाँ तक ऐसा प्रवेश भारत सरकार और/या एएआई को प्रदान किया गया है, संबंधित व्यक्तियों द्वारा ऐसी पहुँच और सुविधाओं का उपयोग और प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि हवाईअड्डे के निर्माण, कमीशनिंग, पूर्णता, विकास, रखरखाव और संचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

अनुच्छेद 9

9 प्रचालन और रखरखाव की निगरानी

9.1 कार्य-निष्पादन मानक

पक्षकार यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हवाईअड्डे के माध्यम से यात्रा करने के समग्र अनुभव से यात्रियों को संतुष्टि प्राप्त हो और यह स्वीकार करते हैं कि यह अनुभव विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं को प्रदान करने के लिए परस्पर कार्य करने वाले कई निकायों का परिणाम है।

हवाईअड्डे पर सेवाओं के प्रावधान के लिए बीआईएएल मुख्य रूप से उत्तरदायी है और हवाईअड्डे पर सुविधाओं, मानकों और सेवाओं में सुधार के लिए कार्य करेगा।

9.2 कार्य-निष्पादन मानकों की निगरानी

9.2.1 इस करार की पूरी अवधि के दौरान हवाईअड्डे के कार्य-निष्पादन की निगरानी इस अनुच्छेद 9 के अनुसार यात्री सर्वेक्षणों के माध्यम से की जाएगी। हवाईअड्डे के कार्य-निष्पादन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड अनुसूची 9, भाग 2 में निर्धारित आईएटीए ग्लोबल एयरपोर्ट मॉनिटर सेवा मानक होंगे या समय-समय पर पारस्परिक रूप से सहमत ऐसे मानदंड होंगे (“मानक”)।

9.2.2 बीआईएएल आईएटीए सर्वेक्षणों में भाग लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे के कार्य-निष्पादन का निर्धारण करने के लिए आईएटीए की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक सर्वेक्षण किया जाए। ऐसा पहला सर्वेक्षण हवाईअड्डा प्रारंभ होने के बाद तीसरे (3रे) वर्ष के दौरान किया जाएगा।

9.2.3 यदि लगातार तीन (3) सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि बीआईएएल के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत सेवा मानकों के संबंध में हवाईअड्डे को लगातार आईएटीए की वर्तमान 1 से 5 की रेटिंग के पैमाने पर साढ़े तीन (3.5) से कम रेटिंग दी गई है, तो बीआईएएल हवाईअड्डे के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा, जिसे एक (1) वर्ष के भीतर लागू किया जाना होगा।

9.2.4 यदि हवाईअड्डे को बीआईएएल के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत सेवा मानकों के संबंध में अगले एक (1) वर्ष तक आईएटीए की वर्तमान 1 से 5 की रेटिंग के पैमाने पर साढ़े तीन (3.5) से कम रेटिंग मिलती रहती है, तो भारत सरकार बीआईएएल को हवाईअड्डे के कार्य-निष्पादन

में सुधार के लिए एक और कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दे सकती है, जिसे एक (1) वर्ष के भीतर लागू किया जाना होगा।

9.2.5 यदि बीआईएएल ऐसी कार्य योजना तैयार करने में विफल रहता है या ऐसी कार्य योजना के कार्यान्वयन के बाद वाले वर्ष के लिए किए गए सर्वेक्षण में बीआईएएल के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत सेवा मानकों के संबंध में हवाईअड्डे को साढ़े तीन (3.5) से कम रेटिंग मिलती रहती है, तो भारत सरकार को परिसमाप्त हर्जाना लगाने और/या अनुच्छेद 8.2 में उल्लिखित संयुक्त समन्वय समिति में भाग लेने वाले संबंधित प्राधिकरणों को बीआईएएल को रेटिंग में सुधार करने में सहायता देने के लिए निर्देश देने का अधिकार होगा। रेटिंग में गिरावट के लिए उत्तरदायी कारकों को ध्यान में रखते हुए परिसमाप्त हर्जाने की राशि पर पक्षकारों के बीच चर्चा की जाएगी और सहमति की जाएगी।

9.2.6 उपर्युक्त अनुच्छेद 9.2.5 के अनुसार कोई भी परिसमाप्त हर्जाना हवाईअड्डा विकास निधि में जमा किया जाएगा। हवाईअड्डा विकास निधि की धनराशि का उपयोग भारत सरकार के निर्देशानुसार हवाईअड्डे में सुधार के लिए किया जाएगा।

9.2.7 यदि बीआईएएल द्वारा ऐसे परिसमाप्त हर्जाने का भुगतान करने के लिए पहली बार उत्तरदायी होने की तारीख के बाद के दो (2) वर्षों से संबंधित सर्वेक्षण में बीआईएएल के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत सेवा मानकों के संबंध में बीआईएएल के खराब कार्य-निष्पादन के कारण हवाईअड्डे को वर्तमान 1 से 5 आईएटीए पैमाने पर साढ़े तीन (3.5) से कम रेटिंग मिलती रहती है, तो भारत सरकार को इस करार को समाप्त करने का अधिकार होगा।

9.2.8 यदि वर्तमान आईएटीए रेटिंग पैमाने में परिवर्तन होता है, तो पक्षकार सहमत हैं कि इस अनुच्छेद 9.2 में परिकल्पित रेटिंग के समतुल्य स्तर लागू किए जाएंगे। बीआईएएल वर्तमान आईएटीए पैमाने 1 से 5 पर साढ़े तीन (3.5) से अधिक कार्य-निष्पादन मानक प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

9.2.9 जिस तारीख से आईआरए को हवाईअड्डे पर ऐसी संबंधित गतिविधियों की समीक्षा, निगरानी और मानक तथा दंड निर्धारित करने तथा उन्हें विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होगी, उस तारीख से बीआईएएल को अनुच्छेद 9.2.1 से 9.2.7 के प्रावधानों के स्थान पर आईआरए द्वारा बनाए गए सभी ऐसे विनियमों का अनुपालन करना होगा।

9.2.10 उपर्युक्त अनुच्छेद 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5 और 9.2.7 में निहित किसी बात के बावजूद, यदि भारत सरकार किसी अन्य प्रमुख हवाईअड्डे के संबंध में ऐसा रियायत करार करती है जिसमें भारत सरकार द्वारा रियायत करार समाप्त करने के प्रयोजन के लिए रेटिंग 3.5 निर्धारित की गई है, तो इस अनुच्छेद 9 के प्रयोजनों के लिए रेटिंग 3.5 ही बनी रहेगी।

हालाँकि, यदि भारत सरकार किसी अन्य प्रमुख हवाईअड्डे के संबंध में ऐसा रियायत करार करती है जिसमें भारत सरकार द्वारा रियायत करार समाप्त करने के प्रयोजन के लिए 3.5 से कम और 3 से कम नहीं रेटिंग निर्धारित की गई है, तो ऐसी कम रेटिंग इस अनुच्छेद 9 पर लागू की जाएगी।

9.3 अभिलेख

सभी लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, बीआईएएल हवाईअड्डे के डिजाइन, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग, रखरखाव, संचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में पूर्ण अभिलेख रखेगा, जिसमें हवाईअड्डे के सभी पहलुओं से संबंधित रखरखाव पुस्तिका और “एस बिल्ट” चित्र शामिल हैं।

बीआईएएल ऐसे अभिलेखों को भारत सरकार द्वारा सत्यापन के उद्देश्य से उचित सूचना और सामान्य कारोबारी घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा ताकि भारत सरकार द्वारा इस करार की शर्तों और नियमों के साथ बीआईएएल के अनुपालन का सत्यापन किया जा सके तथा माँगे जाने पर उनकी प्रतियाँ भारत सरकार को (भारत सरकार की लागत पर) उपलब्ध कराएगा।

भाग IV

वित्तीय प्रावधान

अनुच्छेद 10

10 प्रभार

10.1 प्रभार लगाने का अधिकार रखने वाले पक्षकार

लागू कानून के अधीन, बीआईएएल, संबंधित सेवा प्रदाता अधिकार प्रदान किए गए किसी सेवा प्रदाता अधिकार धारक या एएआई के अतिरिक्त कोई व्यक्ति निम्नलिखित के संबंध में कोई शुल्क या फीस नहीं लगा सकता:

(a) हवाईअड्डे पर ऐसी किसी सुविधा और/या सेवा के प्रावधान के संबंध में जो हवाईअड्डा गतिविधियों में शामिल है; या

(b) हवाईअड्डे या साइट पर यात्रियों या वाहनों के आवागमन के संबंध में।

10.2 हवाईअड्डा प्रभार

10.2.1 अनुसूची 6 (“विनियमित प्रभार”) में निर्दिष्ट हवाईअड्डा प्रभार आईसीएओ नीतियों के अनुरूप होंगे।

10.2.2 अनुसूची 6 में निर्धारित विनियमित शुल्क हवाईअड्डे पर संकेतात्मक प्रभार होंगे। हवाईअड्डा प्रारंभ होने से पहले बीआईएएल विनियमित प्रभार के लिए नागर विमानन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करेगा, जो परियोजना की अंतिम लेखापरीक्षित लागत पर आधारित होंगे।

नागर विमानन मंत्रालय, प्रस्तावित विनियमित प्रभार के अनुच्छेद 10.2.1 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुपालन के अधीन, बीआईएएल द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।

10.2.3 यदि किसी भी समय आईआरए को विनियमित शुल्क अनुमोदित करने की शक्ति प्राप्त होने की तारीख से पहले बीआईएएल ऐसे प्रभारों में संशोधन करना चाहता है, तो वह ऐसे संशोधनों के लिए नागर विमानन मंत्रालय की सहमति प्राप्त करेगा। नागर विमानन मंत्रालय, प्रस्तावित प्रभार के अनुच्छेद 10.2.1 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुपालन के अध्याधीन, बीआईएएल द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर ऐसे संशोधनों को अनुमोदित करेगा।

10.2.4 जिस तारीख से आईआरए को विनियमित प्रभार अनुमोदित करने की शक्ति प्राप्त होगी, उस तारीख से बीआईएएल को उसके लिए आईआरए से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

इस संबंध में बीआईएएल, आईआरए द्वारा बनाए गए किसी भी विनियम के अनुसार, आगामी संबंधित अवधि के लिए प्रस्तावित विनियमित प्रभार का विवरण तथा समीक्षा के लिए आईआरए द्वारा अपेक्षित ऐसी जानकारी आईआरए को प्रस्तुत करेगा।

जब तक पक्षकार लिखित रूप में अन्यथा सहमत न हों, ऐसे अनुमोदित विनियमित शुल्क अनुच्छेद 10.2.1 में उल्लिखित सिद्धांतों का उस समय तक अनुपालन करेंगे जब तक निम्नलिखित में से जो पहले हो:

- (i) प्रारंभिक चरण के संबंध में बकाया ऋण की अदायगी की तारीख; और
- (ii) वित्तीय समापन से पंद्रह (15) वर्ष।

10.3 अन्य प्रभार

बीआईएएल और/या सेवा प्रदाता अधिकार धारकों को हवाईअड्डे या साइट पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के संबंध में लगाए जाने वाले प्रभार निर्धारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, सिवाय उन सुविधाओं और सेवाओं के जिनके संबंध में विनियमित प्रभार लगाया जाता है।

10.4 करों का भुगतान

लागू कानून के अनुसार बीआईएएल द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी करों का भुगतान किसी भी पक्षकार, जिसमें ऋणदाता भी शामिल हैं, को बीआईएएल द्वारा किसी भी भुगतान से पहले प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

अनुच्छेद 11

11 बीमा का रखरखाव

11.1 रियायत अवधि के दौरान बीमा

बीआईएएल अपने स्वयं के खर्च पर हर समय अनुसूची 11 में निर्धारित बीमा, वित्तपोषण करारों के अंतर्गत आवश्यक बीमा तथा अच्छी उद्योग प्रथा के अनुसार बीआईएएल द्वारा यथोचित रूप से आवश्यक या विवेकपूर्ण समझे जाने वाले ऐसे अतिरिक्त बीमा प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा।

11.2 बीमा पॉलिसियाँ

अनुच्छेद 11.1 के अंतर्गत प्राप्त और बनाए रखने के लिए आवश्यक बीमा के संबंध में कोई बीमा पॉलिसी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर बीआईएएल भारत सरकार को ऐसे पॉलिसी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ, बीमा पॉलिसियों की प्रतियाँ और यह प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि ऐसे बीमा के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है।

बीआईएएल द्वारा भारत सरकार को ऐसे रद्दीकरण, संशोधन या नवीनीकरण न किए जाने की कम से कम पैंतालीस (45) दिनों की सूचना दिए जाने की अवधि समाप्त होने तक कोई भी बीमा रद्द, संशोधित या समाप्त या व्यपगत होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.3 बीमा कराने में विफलता का उपाय

यदि बीआईएएल इसके अंतर्गत अपने लिए उत्तरदायी सभी बीमाओं को कराने और लागू रखने में विफल रहता है, तो भारत सरकार को ऐसे किसी भी बीमा को लागू रखने और ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने तथा उसकी लागत बीआईएएल से वसूल करने का विकल्प होगा।

11.4 बीमा राशि का उपयोग

ऋणदाताओं के साथ किसी करार के अधीन, बीआईएएल को भुगतान किए गए सभी बीमा दावों की राशि का उपयोग हवाईअड्डे के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा, सिवाय उन बीमा प्राप्तियों के जो भौतिक क्षति से संबंधित नहीं हैं।

अनुच्छेद 12

12 लेखे और लेखापरीक्षा

बीआईएएल अपनी आय और व्यय, प्राप्तियों और भुगतानों तथा परिसंपत्तियों और देयताओं को दर्ज करने वाली लेखा-पुस्तकें लागू कानून के अनुसार रखेगा। यह भारत सरकार को अपनी बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि खाते की दो (2) प्रतियाँ, उन पर अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, जैसे ही यथोचित रूप से उपलब्ध हों, प्रदान करेगा।

भाग V

अप्रत्याशित घटना और निलंबन

अनुच्छेद 13

13 अप्रत्याशित घटना और समाप्ति

13.1 अप्रत्याशित घटना

यदि किसी पक्षकार ("प्रभावित पक्षकार") द्वारा इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन अप्रत्याशित घटना के कारण पूर्णतः या आंशिक रूप से रोका, बाधित या विलंबित होता है, तो अनुच्छेद 13 लागू होगा।

13.2 अप्रत्याशित घटना के परिणाम

13.2.1 निष्पादन दायित्व

बशर्ते कि वह अनुच्छेद 13.2.2 का अनुपालन करता है, कोई भी पक्षकार इस करार के अंतर्गत या इसके अनुसार किसी दायित्व का अनुपालन करने में किसी विफलता या अनुपालन में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और उन्हें अपने दायित्वों का उस सीमा तक निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिस सीमा तक इस करार के अंतर्गत किसी पक्षकार द्वारा अपने दायित्वों का निष्पादन अप्रत्याशित घटना के कारण पूर्णतः या आंशिक रूप से रोका, बाधित, अवरुद्ध या विलंबित होता है।

विशेष रूप से, किंतु इसे सीमित किए बिना, ऐसे किसी दायित्व के निष्पादन के लिए अनुमत समय (जिसमें अनुच्छेद 7.5 के अनुसार हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख प्राप्त करना भी शामिल है) तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

13.2.2 अधिसूचना

यथोचित रूप से व्यावहारिक होने पर, किंतु किसी भी स्थिति में किसी अप्रत्याशित घटना के प्रारंभ होने की तारीख के बाद 72 घंटे से अधिक नहीं, यदि कोई पक्षकार ऐसी अप्रत्याशित घटना को इस करार के अंतर्गत किसी दायित्व के निष्पादन में देरी या विफलता के कारण के रूप में लागू करना चाहता है, तो वह दूसरे पक्षकार को ऐसी तारीख तथा ऐसी अप्रत्याशित घटना की प्रकृति और अपेक्षित अवधि के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।

ऐसी अप्रत्याशित घटना की सूचना की तारीख के बाद यथोचित अवधि के भीतर, जिस पक्षकार ने ऐसी देरी के कारण के रूप में अप्रत्याशित घटना को लागू किया है, वह दूसरे पक्षकार को

ऐसी देरी या विफलता की प्रकृति और निष्पादन के समय पर उसके प्रत्याशित प्रभाव का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

13.2.3 शमन

प्रभावित पक्षकार अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को रोकने, न्यूनतम करने और कम करने के लिए सभी यथोचित कदम उठाएगा।

13.3 चूक

13.3.1 बीआईएल की चूक की घटनाएँ

निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना “बीआईएल चूक की घटना” होगी:

(i) इस अनुच्छेद 13.3.1 में अन्यथा प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, यदि बीआईएल इस करार की शर्तों का महत्वपूर्ण उल्लंघन करता है और यदि उसका उपचार संभव है, तो बीआईएल को ऐसे उल्लंघन के घटित होने को निर्दिष्ट करते हुए भारत सरकार से सूचना प्राप्त होने की तारीख से लगातार एक सौ बीस (120) दिनों के भीतर ऐसे उल्लंघन का उपचार नहीं किया गया है। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि अनुच्छेद 6.2 के उल्लंघन में शेयरों का कोई भी हस्तांतरण बीआईएल की चूक की घटना माना जाएगा, जब तक कि ऐसा हस्तांतरण शेयरधारक करार के अनुसार केएसआईआईडीसी को न किया गया हो;

(ii) यदि हवाईअड्डा प्रारंभ, हवाईअड्डा प्रारंभ लक्ष्य तारीख के बारह (12) महीने बाद पड़ने वाली तारीख तक नहीं हुआ है;

(iii) यदि हवाईअड्डा प्रारंभ होने के बाद बीआईएल, भारत सरकार की लिखित सहमति के बिना, लगातार चौदह (14) दिनों से अधिक या किसी भी कैलेंडर वर्ष में कुल मिलाकर तीस (30) दिनों से अधिक समय तक हवाईअड्डे का प्रचालनकरना बंद कर देता है, चाहे यह कार्य या चूक के कारण हो;

(iv) यदि इस करार के अंतर्गत बीआईएल द्वारा देय और भुगतान योग्य कोई राशि भारत सरकार या उसकी ओर से किए गए अनुरोध के इक्कीस (21) दिनों के भीतर भुगतान नहीं की जाती है;

(v) यदि बीआईएल के परिसमापन, दिवालियापन या विघटन के लिए कोई आदेश किया जाता है या कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे, यदि ऐसा करना संभव हो, तो उसके बाद नब्बे (90) दिनों के भीतर समाप्त या, जैसा भी मामला हो, निरस्त नहीं किया जाता है;

(vi) यदि इस करार के अंतर्गत बीआईएएल द्वारा दिया गया कोई महत्वपूर्ण अभ्यावेदन या वारंटी गलत है; और

(vii) अनुच्छेद 9.2.7 के अनुसार सहमत मानकों को प्राप्त करने में बीआईएएल की विफलता।

बशर्ते कि उपर्युक्त पैराग्राफ (i) से (iii) और (vii) में उल्लिखित घटनाएँ बीआईएएल की चूक की घटना नहीं होंगी, यदि वे अनुच्छेद 7.5 के प्रावधान में निर्दिष्ट किसी घटना का परिणाम और/या परिणामस्वरूप हों, सिवाय उक्त प्रावधान के पैराग्राफ (iv) और (v) में उल्लिखित घटनाओं के।

13.3.2 भारत सरकार की चूक की घटनाएँ

निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना “भारत सरकार की चूक की घटना” होगी:

(i) इस अनुच्छेद 13.3.2 में अन्यथा प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, यदि भारत सरकार इस करार की शर्तों का ऐसा उल्लंघन करती है जिसका बीआईएएल के अधिकारों या दायित्वों पर महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि उसका उपचार संभव है, तो बीआईएएल द्वारा ऐसे उल्लंघन के घटित होने को निर्दिष्ट करते हुए भारत सरकार को सूचना प्राप्त होने की तारीख से लगातार एक सौ बीस (120) दिनों के भीतर ऐसे उल्लंघन का उपचार नहीं किया गया है;

(ii) यदि इस करार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देय और भुगतान योग्य कोई राशि बीआईएएल या उसकी ओर से किए गए अनुरोध की प्राप्ति के इक्कीस (21) दिनों के भीतर भुगतान नहीं की जाती है;

(iii) यदि इस करार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिया गया कोई महत्वपूर्ण अभ्यावेदन या वारंटी गलत है;

(iv) अनुच्छेद 15.4 और अनुच्छेद 15.5 में उल्लिखित किसी घटना के घटित होने के बाद, यदि अनुच्छेद 15.4 और अनुच्छेद 15.5 के अनुसार मुआवजे के लिए बीआईएएल के कुल बकाया दावे अनुच्छेद 15.6 में निर्धारित अधिकतम मुआवजा राशि से अधिक हो जाते हैं।

इस पैराग्राफ (iv) के प्रयोजन के लिए, बीआईएएल के कुल बकाया दावों में वे दावे शामिल नहीं होंगे जिनके संबंध में बीआईएएल को अनुच्छेद 15.4 और अनुच्छेद 15.5 के अनुसार पूर्णतः मुआवजा दिया जा चुका है।

अनुच्छेद 15.4 और अनुच्छेद 15.5 में उल्लिखित किसी घटना के घटित होने के बाद भारत सरकार को किसी भी समय उन अनुच्छेदों के अनुसार बीआईएएल को मुआवजा देने के स्थान पर इस अनुच्छेद 13.3.2 के अनुसार करार की समाप्ति का अनुरोध करने का अधिकार होगा;

(v) यदि सीएनएस/एटीएम करार भारत सरकार के निर्देश पर समाप्त किया जाता है।

13.4 चूक के परिणाम

13.4.1

बीआईएएल की चूक की घटना घटित होने की स्थिति में भारत सरकार को बीआईएएल को यह सूचित करने का अधिकार होगा कि ऐसी घटना घटित हुई है और, यदि उसका उपचार संभव है, तो उचित अवधि के भीतर, जो एक सौ बीस (120) दिनों से कम नहीं होगी, उसका उपचार करने की आवश्यकता होगी। यदि ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उल्लंघन का उपचार नहीं किया गया है, तो भारत सरकार या उसके द्वारा नामित कोई इकाई बीआईएएल को इस करार को समाप्त करने की सूचना जारी करने का अधिकार रखेगी, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा। यदि भारत सरकार समाप्ति के ऐसे अधिकार का प्रयोग करती है, तो भारत सरकार नीचे अनुच्छेद 13.5 में निर्धारित तरीके से हवाईअड्डे में बीआईएएल के सभी अधिकार, स्वत्व और हित प्राप्त करेगी, बशर्ते कि हस्तांतरण तारीख को, जो ऐसी समाप्ति सूचना जारी किए जाने के 180 दिनों के बाद नहीं होगी, समाप्ति राशि के बराबर राशि का भुगतान किया जाए। “निलंबन राशि” का अर्थ ऋण की एक सौ प्रतिशत (100%) राशि (अनुच्छेद 7.2 के अनुसार गणना की गई) होगी, जिसमें से उस बीआईएएल चूक की घटना के घटित होने के बाद किए गए दावों के संबंध में बीआईएएल द्वारा प्राप्त या बीआईएएल को देय और भुगतान की गई किसी भी बीमा राशि को घटाया जाएगा, जिसके कारण इस अनुच्छेद 13.4.1 के अंतर्गत निलंबन हुआ।

13.4.2

भारत सरकार की चूक की घटना की स्थिति में बीआईएएल को भारत सरकार को यह सूचित करने का अधिकार होगा कि ऐसी घटना घटित हुई है और, यदि उसका उपचार संभव है, तो उचित अवधि के भीतर, जो एक सौ बीस (120) दिनों से कम नहीं होगी, उसका उपचार करने की आवश्यकता होगी। यदि ऐसी सूचना में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के बाद भारत सरकार की चूक की घटना को जन्म देने वाली घटना का उपचार नहीं किया गया है, तो बीआईएएल को भारत सरकार को इस करार को समाप्त करने की सूचना जारी करने का अधिकार होगा, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा। यदि बीआईएएल समाप्ति के ऐसे अधिकार का प्रयोग करता है, तो भारत सरकार नीचे अनुच्छेद 13.5 में निर्धारित तरीके से हवाईअड्डे में बीआईएएल

के सभी अधिकार, स्वत्व और हित प्राप्त करेगी, बशर्ते कि हस्तांतरण तारीख को, जो ऐसी समाप्ति सूचना जारी किए जाने के 180 दिनों के बाद नहीं होगी, निम्नलिखित में से अधिक राशि का भुगतान किया जाए:

(i) निपटान राशि (अनुच्छेद 7.2 के अनुसार गणना की गई); या

(ii) ऋण की एक सौ प्रतिशत (100%) राशि (अनुच्छेद 7.2 के अनुसार गणना की गई),

जिसमें से भारत सरकार की चूक की घटना के घटित होने के बाद किए गए दावों के संबंध में बीआईएएल द्वारा प्राप्त या बीआईएएल को देय और भुगतान की गई किसी भी बीमा राशि को घटाया जाएगा, जिसके कारण इस अनुच्छेद 13.4.2 के अंतर्गत समाप्ति हुई।

13.5 हवाईअड्डे का हस्तांतरण

13.5.1 इस करार के अनुच्छेद 13.4 के अंतर्गत भारत सरकार या बीआईएएल द्वारा निलंबन के अधिकार का प्रयोग किए जाने पर और मुआवजे के लिए बीआईएएल के किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बीआईएएल की सभी परिसंपत्तियाँ हस्तांतरण तारीख को भारत सरकार या उसके नामित व्यक्ति को बिना किसी भुगतान के (अनुच्छेद 13.4.1 या अनुच्छेद 13.4.2, जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट राशियों के भुगतान को छोड़कर) हस्तांतरित की जाएँगी और किसी भी सुरक्षा से मुक्त तथा नीचे अनुच्छेद 13.5.3 में प्रदान की गई किसी भी भार और देयता से मुक्त होंगी।

किसी संदेह से बचने के लिए, इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

(i) बीआईएएल की सभी अचल, चल और अमूर्त संपत्ति (जिसमें बौद्धिक संपदा, योजनाएँ, डिजाइन और चित्र शामिल हैं), स्टॉक, सामग्री, वाहन और स्पेयर;

(ii) बीआईएएल और किसी सेवा प्रदाता अधिकार धारक के बीच इस करार के प्रावधानों के अनुसार किए गए सभी करारों और अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत या उनके अनुसार अधिकार और दायित्व (भारत सरकार द्वारा ऐसे करारों और अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत या उनके अनुसार दायित्व ग्रहण करने के प्रतिफल में); और

(iii) बीआईएएल द्वारा किए गए अन्य सभी करारों के अंतर्गत या उनके अनुसार अधिकार और दायित्व (जिसमें किसी संदेह से बचने के लिए बीमा करार, गारंटी और वारंटी शामिल हैं) (भारत सरकार द्वारा ऐसे करारों के अंतर्गत या उनके अनुसार दायित्व ग्रहण करने के प्रतिफल में)।

13.5.2 अनुच्छेद 13.5.1 में निहित किसी बात के बावजूद, हवाईअड्डे के किसी हस्तांतरण से पहले भारत सरकार को गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों से संबंधित उन करारों और समझौतों की समुचित जाँच करने का अधिकार होगा, जिनके अधिकार और दायित्व वह ग्रहण कर रही है, और वह ऐसे करारों के अधिकार और दायित्व ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होगी, जो भारत सरकार की एकमात्र राय में अनुचित रूप से कठिन या भारपूर्ण हैं और ऐसे करारों के किए जाने के समय भी भारपूर्ण माने जाते। भारत सरकार ऐसी समुचित जाँच करेगी और उन करारों तथा समझौतों की पहचान करेगी जिन्हें वह ग्रहण करने के लिए तैयार है, बीआईएएल द्वारा इस प्रयोजन के लिए डेटा रूम खोले जाने के 45 दिनों के भीतर, भारत सरकार या बीआईएएल द्वारा अनुच्छेद 13.4 के अंतर्गत समाप्ति के अधिकार का प्रयोग किए जाने के बाद। किसी संदेह से बचने के लिए, जहाँ तक भारत सरकार ऐसी गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों को अपने अधिकार में लेने का विकल्प चुनती है जिन्हें अनुच्छेद 7.2 के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, समाप्ति राशि या निपटान राशि की गणना में ऐसी गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों के निवेश, राशियाँ या लागत शामिल होंगी।

13.5.3 इस अनुच्छेद 13.5 में निहित किसी बात के बावजूद, हस्तांतरण तारीख से पहले किए गए कार्यों या की गई चूकों के कारण उत्पन्न बीआईएएल की या हवाईअड्डे से संबंधित कोई भी देयता (उत्पन्न या आकस्मिक) भारत सरकार या उसके नामित व्यक्तियों द्वारा ग्रहण या हस्तांतरित नहीं की जाएगी। भारत सरकार या उसके नामित व्यक्ति केवल हस्तांतरण तारीख के बाद उत्पन्न होने वाली हवाईअड्डे से संबंधित देयताओं के लिए उत्तरदायी होंगे।

13.5.4 भारत सरकार की चूक की घटना के कारण होने की सीमा को छोड़कर, बीआईएएल अच्छी उद्योग प्रथा के अनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि अनुच्छेद 13.5.1 में उल्लिखित सभी संपत्ति, परिसंपत्तियाँ, अधिकार और अन्य मर्दे, जो भारत सरकार में निहित या भारत सरकार को हस्तांतरित की जाती हैं, अच्छी कार्यशील स्थिति और अच्छी मरम्मत की स्थिति में हों तथा हवाईअड्डा भारत सरकार को एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में अच्छी परिचालन स्थिति में हस्तांतरित किया जाए। हालाँकि, इस प्रावधान को संतुष्ट माना जाएगा यदि बीआईएएल उस समय अपने रखरखाव संबंधी दायित्वों का अनुपालन कर रहा हो।

13.6 निलंबन-पूर्व दायित्व

इस करार के निलंबन या अवसान से भारत सरकार और/या बीआईएएल के उस समय तक अर्जित सभी अधिकारों और दायित्वों (या ऐसे अवसान या समाप्ति से पहले किए गए किसी कार्य या चूक के संबंध में उसके बाद अर्जित होने वाले अधिकारों और दायित्वों) पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही उन प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो स्पष्ट रूप से निरंतर

दायित्वों का प्रावधान करते हैं या जो ऐसे अवसान या निलंबन अथवा ऐसे अवसान या निलंबन के परिणामों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हैं।

13.7 अवधि

13.7.1 जब तक अनुच्छेद 4.3.1, अनुच्छेद 13.4 के अनुसार या पक्षकारों के बीच लिखित पारस्परिक सहमति से पहले समाप्त न किया जाए, यह करार अनुच्छेद 4 के अनुसार अपने प्रारंभ से हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख की तीसवीं (30वीं) वर्षगांठ तक पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगा, जिसके बाद बीआईएएल के विकल्प पर करार की अवधि को और तीस (30) वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा।

बशर्ते कि इस करार के निम्नलिखित अनुच्छेद हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख की तीसवीं (30वीं) वर्षगांठ से आगे प्रभावी और लागू नहीं रहेंगे:

5.1.2 (भारत सरकार के दायित्व), 5.5 (मौजूदा हवाईअड्डा), 7.7 (कमीशनिंग), 8.17.2 (न्यूनतम व्यवधान), 10.2 (हवाईअड्डा शुल्क), और 15.5 (कानून में परिवर्तन)।

बीआईएएल हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख की सत्ताईसवीं (27वीं) वर्षगांठ से पहले किसी भी समय इस रियायत करार की अवधि को और तीस (30) वर्षों के लिए बढ़ाने के उपर्युक्त विकल्प का प्रयोग कर सकता है। यदि बीआईएएल इस रियायत करार की अवधि बढ़ाने के अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो रियायत करार हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख की तीसवीं (30वीं) वर्षगांठ पर समाप्त हो जाएगा और भारत सरकार या उसका नामित व्यक्ति अनुच्छेद 13.5 में निर्धारित तरीके से हवाईअड्डे में बीआईएएल के सभी अधिकार, स्वत्व और हित प्राप्त करेगा, बशर्ते कि हस्तांतरण तारीख को बीआईएएल को निम्नलिखित का कुल भुगतान किया जाए:

(i) बीआईएएल की जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी के अंकित मूल्य का एक सौ प्रतिशत (100%); और

(ii) ऋण का एक सौ प्रतिशत (100%)।

13.7.2 यदि इस करार की अवधि अनुच्छेद 13.7.1 के अंतर्गत बढ़ाई जाती है, तो पक्षकार हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख की पचपनवीं (55वीं) वर्षगांठ की समाप्ति से इस करार की अवधि को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य नियमों और शर्तों पर बढ़ाने के लिए बातचीत प्रारंभ करेंगे। यदि पक्षकार हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख की सत्तावनवीं (57वीं) वर्षगांठ की समाप्ति तक हवाईअड्डे के विस्तार की संशोधित शर्तों और नियमों पर सहमत होने में असमर्थ रहते हैं, तो नीचे अनुच्छेद 13.7.3 में प्रदान किए गए को छोड़कर, करार हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख की साठवीं (60वीं) वर्षगांठ पर समाप्त हो जाएगा और भारत सरकार या उसका नामित

व्यक्ति अनुच्छेद 13.5 में निर्धारित तरीके से हवाईअड्डे में बीआईएएल के सभी अधिकार, स्वत्व और हित प्राप्त करेगा, बशर्ते कि हस्तांतरण तारीख को बीआईएएल को ऋण का एक सौ प्रतिशत (100%) भुगतान किया जाए।

13.7.3 यदि बीआईएएल और भारत सरकार हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तारीख की सत्तावनवीं (57वीं) वर्षगांठ की समाप्ति तक इस करार के नवीनीकरण की शर्तों पर सहमत होने में असमर्थ रहते हैं, तो भारत सरकार तृतीय पक्षों के साथ चर्चा शुरू करने की हकदार होगी, बशर्ते कि भारत सरकार हवाईअड्डे के संबंध में किसी तृतीय पक्ष के साथ बीआईएएल को प्रस्तावित शर्तों से अधिक अनुकूल शर्तों पर कोई रियायत करार नहीं करेगी।

13.8 समाप्ति के अन्य अधिकार

इस करार को समाप्त करने के संबंध में पक्षकारों के अधिकार इस करार में स्पष्ट रूप से निर्धारित अधिकारों तक सीमित होंगे।

13.9 उत्तरजीविता

अनुच्छेद 13.4, 13.5 और 18 इस करार की समाप्ति के बावजूद पक्षकारों पर बाध्यकारी बने रहेंगे।

13.10 निलंबन

भारत सरकार को पूर्व लिखित सूचना दिए जाने के अधीन, बीआईएएल को अनुच्छेद 7.5 के प्रावधान में निर्दिष्ट किसी भी घटना के घटित होने पर हवाईअड्डे के निर्माण और/या संचालन एवं रखरखाव को निलंबित करने का अधिकार होगा।

भाग VI

अन्य प्रावधान

अनुच्छेद 14

14 समनुदेशन और प्रतिभूति

14.1 समनुदेशन और प्रतिभूति

14.1.1 इस समझौते की तारीख के पश्चात भारत के कानून में किसी ऐसे परिवर्तन के बावजूद, जो अन्यथा इस समझौते के समनुदेशन की अनुमति दे सकता है, कोई भी पक्ष (अनुच्छेद 14.1.2 के अनुसार अनुमत मामलों को छोड़कर) इस समझौते या इसके अंतर्गत अथवा इसके अनुसरण में उत्पन्न किसी अधिकार या दायित्व अथवा इसमें किसी लाभ या हित का समनुदेशन नहीं करेगा और न ही इस समझौते या इसके अंतर्गत अथवा इसके अनुसरण में उत्पन्न किसी अधिकार या दायित्व अथवा इसमें किसी लाभ या हित पर कोई प्रतिभूति सृजित करेगा या उसे विद्यमान रहने देगा।

14.1.2 ऋणदाताओं को प्रतिभूति प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए, बीआईएएल इस समझौते के अंतर्गत अपने कुछ या सभी अधिकारों और दायित्वों का समनुदेशन और हस्तांतरण कर सकता है, बशर्ते कि बीआईएएल पहले भारत सरकार को उन किसी भी ऋणदाताओं की पहचान के बारे में सूचित करेगा, जिन्हें वह इस अनुच्छेद के अनुसार इस समझौते के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों का समनुदेशन और हस्तांतरण करने का इरादा रखता है। भारत सरकार, युक्तिसंगत रूप से कार्य करते हुए, ऐसी सूचना दिए जाने के दस (10) दिनों की अवधि के भीतर बीआईएएल को सूचित करने का हकदार होगा कि वह बीआईएएल द्वारा सूचित किए गए एक या अधिक ऋणदाताओं को किए जाने वाले समनुदेशन या हस्तांतरण पर आपत्ति करता है, ऐसी स्थिति में बीआईएएल को भारत सरकार द्वारा सूचित उन ऋणदाताओं को इस समझौते के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों का समनुदेशन और हस्तांतरण करने की अनुमति नहीं होगी।

14.1.3 बीआईएएल यह वचन देता है कि वह उप-रियायत या अन्यथा, इस समझौते के अंतर्गत अपने सभी अधिकारों और दायित्वों को प्रत्यायोजित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15

15 दायित्व और क्षतिपूर्ति

15.1 बीआईएएल का दायित्व

अनुच्छेद 15.2 और अनुच्छेद 13.3 के अधीन, बीआईएएल और भारत सरकार (तथा उनके संबंधित कर्मचारियों, सेवकों और अभिकर्ताओं) के बीच, बीआईएएल अकेले किसी भी उपयोगकर्ता(ओं) द्वारा हवाईअड्डे पर या किसी अन्य व्यक्ति(यों) द्वारा अथवा अन्यथा वहन या भुगती गई किसी भी लागत, व्यय, हानि, दायित्व या क्षति के लिए उत्तरदायित्व वहन करेगा, जो हवाईअड्डे और गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और संचालन से उत्पन्न होती है या उससे संबंधित है, तथा भारत सरकार (या उसके किसी संबंधित कर्मचारी, अभिकर्ता और/या सेवक) के विरुद्ध कोई दावा किए बिना, उस सीमा तक जिसमें ऐसी लागत, व्यय, हानि, दायित्व या क्षति बीआईएएल (तथा उसके कर्मचारियों, सेवकों और अभिकर्ताओं) की लापरवाही के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है।

15.2 कानूनी कार्यवाहियों के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान

भारत सरकार और बीआईएएल एक-दूसरे को सूचना देने के लिए बाध्य होंगे, यदि इस रियायत समझौते से संबंधित उनके विरुद्ध किसी न्यायालय या अधिकरण में कोई कानूनी कार्यवाही आरंभ की जाती है।

15.3 सूचना

भारत सरकार और बीआईएएल, जैसे ही युक्तिसंगत रूप से व्यावहारिक हो, इस बात की जानकारी होने के तुरंत बाद, एक-दूसरे को अपने विरुद्ध किसी मांग, दावे, कार्रवाई या कार्यवाही अथवा प्रत्याशित मांग, दावे, कार्रवाई या कार्यवाही के बारे में सूचित करेंगे, जिसके संबंध में वे अनुच्छेद 15.1 और 15.2 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। वे ऐसी किसी मांग, दावे, कार्रवाई या कार्यवाही के बचाव में एक-दूसरे को युक्तिसंगत सहायता प्रदान करेंगे।

15.4 भारत सरकार द्वारा देय क्षतिपूर्ति

इस समझौते में दिए गए प्रावधानों के अधीन, अनुच्छेद 8.11 (स्लॉट), 8.16 (दिन के समय और रात के समय संचालन) या 10 (हवाईअड्डा शुल्क) के अंतर्गत किसी उल्लंघन या चूक की स्थिति में, भारत सरकार, बीआईएएल द्वारा लिखित अनुरोध किए जाने पर, ऊपर सूचीबद्ध

प्रत्येक घटना के परिणामों के विरुद्ध बीआईएएल को क्षतिपूर्ति करेगा और, अनुच्छेद 15.6 के अधीन, भुगतान के लिए ऐसे अनुरोध के तीस (30) दिनों के भीतर बीआईएएल को ऐसी राशियों का भुगतान करेगा जो ऐसी घटना के परिणामस्वरूप बीआईएएल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगती गई हानि, लागत, व्यय, दायित्व या क्षति के बराबर होंगी, जिसमें किसी संदेह को दूर करने के लिए निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) ऐसी घटना के परिणामस्वरूप बीआईएएल द्वारा अपने किसी ठेकेदार या सेवा प्रदाता अधिकार धारक को देय या देय होकर भुगतान की गई सभी राशियाँ;
- (ii) ऐसी घटना के परिणामस्वरूप बीआईएएल द्वारा उधार लिए गए धन के संबंध में ऋणदाताओं को देय अतिरिक्त ब्याज, शुल्क और अन्य सभी राशियाँ; और
- (iii) ऐसी घटना के परिणामस्वरूप देय या देय होकर भुगतान किए गए सभी अतिरिक्त ओवरहेड तथा परिचालन लागत और व्यय।

बशर्ते कि भारत सरकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत बीआईएएल को किए जाने वाले भुगतानों में से उन राशियों को समायोजित कर सकता है, जो भारत सरकार के प्रति ऐसे किसी दायित्व का गठन करती हैं, जिसे बीआईएएल द्वारा पहले स्वीकार किया जा चुका है।

बशर्ते यह भी कि बीआईएएल, ऊपर सूचीबद्ध ऐसी घटना, जिसके लिए वह क्षतिपूर्ति का दावा करना चाहता है, के घटित होने की जानकारी प्राप्त होने से दस (10) दिनों की अवधि के भीतर भारत सरकार को उस घटना के घटित होने के बारे में सूचित करेगा।

15.5 कानून में परिवर्तन

यदि कानून में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बीआईएएल को हवाईअड्डे के विकास या संचालन के संबंध में लागत में वृद्धि या कर-पश्चात शुद्ध प्रतिफल में कमी अथवा अन्य वित्तीय भार, हानि, दायित्व या क्षति होती है, जिसका कुल वित्तीय प्रभाव किसी भी वर्ष में दस मिलियन रुपये (10,000,000) से अधिक है, तो बीआईएएल भारत सरकार को सूचित कर सकता है और इस समझौते में ऐसे संशोधनों का प्रस्ताव कर सकता है, जिससे बीआईएएल को उसी वित्तीय स्थिति में रखा जा सके जिसमें वह होता, यदि ऐसा कोई कानून में परिवर्तन नहीं हुआ होता जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त लागत वृद्धि, प्रतिफल में कमी या अन्य वित्तीय भार, हानि, दायित्व या क्षति हुई है।

बीआईएएल द्वारा उपर्युक्त रूप से सूचना दिए जाने पर, पक्षकार यथासंभव शीघ्र, किंतु बीआईएएल द्वारा सूचना दिए जाने के बाद 30 (तीस) दिनों से अधिक नहीं, बैठक करेंगे और

या तो इस समझौते में संशोधनों पर सहमत होंगे या उपर्युक्त को लागू करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर सहमत होंगे।

बशर्ते कि यदि इस अनुच्छेद के अनुसार बैठक के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर पक्षकारों के बीच कोई समझौता नहीं होता है, तो बीआईएएल लिखित सूचना द्वारा भारत सरकार से ऐसी राशि का भुगतान करने की मांग कर सकता है, जिससे बीआईएएल को उसी वित्तीय स्थिति में रखा जा सके जिसमें वह होता, यदि ऐसा कोई कानून में परिवर्तन नहीं हुआ होता जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त लागत वृद्धि, प्रतिफल में कमी या अन्य वित्तीय भार, हानि, दायित्व या क्षति हुई है। ऐसी सूचना के साथ बीआईएएल द्वारा भारत सरकार को ऐसे सहायक दस्तावेज और साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनसे भारत सरकार ऐसे दावे का मूल्यांकन कर सके। भारत सरकार ऐसी सूचना और साक्ष्य प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ऐसी क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। यदि भारत सरकार बीआईएएल के ऐसे क्षतिपूर्ति दावे की राशि पर विवाद करता है, तो उसका अंतिम निपटारा इसमें निहित विवाद समाधान तंत्र के अनुसार किया जाएगा।

15.6 अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि

इस समझौते की अवधि के दौरान अनुच्छेद 15.4 और 15.5 के अंतर्गत किसी भी और सभी दावों के संबंध में भारत सरकार का कुल दायित्व एक सौ (100) करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।

15.7 दायित्व

पक्षकारों का आशय है कि इस समझौते में निहित अधिकार, दायित्व और देयताएँ इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों और देयताओं का पूर्ण विवरण होंगी। तदनुसार, इस समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लिखित उपाय तथा इसके अनुसरण में किए गए किसी दस्तावेज में उल्लिखित उपाय, इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित एक-दूसरे के प्रति पक्षकारों की देयताओं के लिए पक्षकारों के एकमात्र और अनन्य उपाय होंगे, जिसमें इसके संबंध में दिया गया कोई अभ्यावेदन, वारंटी या वचन भी शामिल है, भले ही कानून या इक्विटी के अंतर्गत अन्यथा कोई उपाय उपलब्ध हो।

15.8 शमन

बीआईएएल, लागू कानून के अनुसार, कानून में परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सभी युक्तिसंगत कदम उठाएगा, जिसमें, जहाँ तक व्यावहारिक हो, हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं पर लगाए जाने वाले शुल्क में वृद्धि करना भी शामिल है।

अनुच्छेद 16

16 विवाद समाधान

16.1 बातचीत और सुलह

पक्षकार इस समझौते से उत्पन्न होने वाले, इसके संबंध में या इससे संबंधित पक्षकारों के बीच किसी विवाद, मतभेद, दावे, प्रश्न या विवादास्पद विषय ("विवाद") को बातचीत के माध्यम से आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने-अपने युक्तिसंगत प्रयास करेंगे।

16.2 मध्यस्थ को संदर्भ

विवादों के निपटारे के संबंध में संबंधित आईआरए कानून में निहित किसी भी प्रावधान के अधीन, ऐसा कोई विवाद जिसे पक्षकार अनुच्छेद 16.1 के अनुसार, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाद के अस्तित्व की लिखित सूचना दिए जाने के साठ (60) दिनों के भीतर (या पक्षकारों द्वारा सहमत ऐसी लंबी अवधि के भीतर) हल करने में असमर्थ रहते हैं, उसका अंतिम निर्धारण भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 तथा यूनीसिट्रल नियमों ("नियम") के अनुसार तीन मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा, जिन्हें नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और नियमों के बीच किसी विवाद की स्थिति में, पूर्व के प्रावधान प्रभावी होंगे।

पक्षकार सहमत हैं कि अनुच्छेद 15.4 के अनुसार अनुच्छेद 10 (हवाईअड्डा शुल्क) के उल्लंघन के संबंध में भारत सरकार द्वारा देय क्षतिपूर्ति से संबंधित किसी भी विवाद का निर्धारण केवल इस अनुच्छेद 16.2 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा।

16.3 विविध

मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। प्रत्येक पक्ष नियमों के अनुसार मध्यस्थता के व्यय का भुगतान करेगा और लागत के संबंध में अंतिम दायित्व मध्यस्थीय निर्णय के अनुसार होगा।

कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्ष का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी या अभिकर्ता अथवा सलाहकार या विधिक परामर्शदाता नहीं होगा और न ही किसी भी प्रकार से पक्षकारों से संबंधित या उनके साथ निकटता से जुड़ा होगा।

मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

16.4 निर्णय/अवॉर्ड

इस अनुच्छेद 16 के अनुसार नियुक्त मध्यस्थ अधिकरण का कोई भी निर्णय या अवॉर्ड पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

पक्षकार सहमत हैं कि किया गया कोई भी मध्यस्थीय निर्णय संबंधित पक्ष की परिसंपत्तियों (अनुच्छेद 18.13 में भारत सरकार के संबंध में उल्लिखित अपवर्जन में आने वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर) के विरुद्ध, जहाँ कहीं भी ऐसी परिसंपत्तियाँ स्थित हों या पाई जाएँ, पक्षकारों द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है तथा किसी भी मध्यस्थीय निर्णय पर निर्णय, जहाँ आवश्यक हो, किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

मध्यस्थीय निर्णय के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए पक्षकार ऐसे किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं।

अनुच्छेद 17

17 जन शिकायतों का निवारण

17.1 शिकायत रजिस्टर

17.1.1 बीआईएएल हवाईअड्डे पर एक जनसंपर्क कार्यालय बनाए रखेगा, जहाँ वह एक रजिस्टर (“शिकायत रजिस्टर”) रखेगा, जो किसी भी व्यक्ति (“शिकायतकर्ता”) द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए हर समय उपलब्ध रहेगा।

शिकायत दर्ज किए जाने के तुरंत बाद, बीआईएएल शिकायतकर्ता को एक रसीद देगा, जिसमें तारीख और शिकायत संख्या दी जाएगी।

17.1.2 शिकायत रजिस्टर सुरक्षित रूप से बंधा हुआ होगा और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत क्रमांक अंकित होगा। इसमें शिकायत संख्या, तारीख, शिकायतकर्ता का नाम और पता, शिकायत का सार तथा बीआईएएल द्वारा की गई कार्रवाई सहित उपयुक्त कॉलम होंगे।

शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता और उस तक पहुँच के संबंध में सूचना बीआईएएल द्वारा हवाईअड्डे पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

17.2 शिकायतों का निवारण

अनुच्छेद 17.3 के अधीन, बीआईएएल प्रत्येक दिन शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण करेगा और प्रत्येक शिकायत के निवारण के लिए शीघ्र और युक्तिसंगत कार्रवाई करेगा।

की गई कार्रवाई को शिकायत रजिस्टर में संक्षेप में दर्ज किया जाएगा और उसके विवरण को बताते हुए एक उत्तर बीआईएएल द्वारा शिकायतकर्ता को डाक प्रमाण-पत्र के तहत भेजा जाएगा।

17.3 आरक्षित गतिविधियाँ

जहाँ तक किसी शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायतें आरक्षित गतिविधियों के निष्पादन या अन्यथा से संबंधित हैं, बीआईएएल संबंधित प्राधिकरण को सूचित करेगा, जो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर प्रत्येक शिकायत के निवारण के लिए शीघ्र और युक्तिसंगत कार्रवाई करेगा।

की गई कार्रवाई को शिकायत रजिस्टर में संक्षेप में दर्ज किया जाएगा और उसके विवरण को बताते हुए एक उत्तर संबंधित प्राधिकरण द्वारा शिकायतकर्ता को डाक प्रमाण-पत्र के तहत भेजा जाएगा।

अनुच्छेद 18

18 विविध

18.1 उपाय, अधिकार-त्याग, संशोधन और सहमतियाँ

भारत सरकार या बीआईएएल द्वारा इस समझौते के अंतर्गत किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का प्रयोग न करना अथवा उसके प्रयोग में विलंब करना, ऐसे अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का अधिकार-त्याग नहीं माना जाएगा और न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का एकल या आंशिक प्रयोग उसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग अथवा किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय के प्रयोग को रोकता है।

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, इस समझौते में प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उपाय संचयी होंगे और किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय (चाहे कानून द्वारा या अन्यथा प्रदान किए गए हों) के अनन्य नहीं होंगे।

18.2 संशोधन, छूट और सहमतियाँ

18.2.1 संशोधन

(i) इस समझौते के किसी भी प्रावधान में संशोधन, पूरक या परिवर्तन केवल पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित समझौते के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) भारत सरकार या बीआईएएल किसी भी समय दूसरे पक्ष से इस समझौते के किसी भाग के संचालन की समीक्षा करने के लिए चर्चा में प्रवेश करने का अनुरोध कर सकता है और, किसी भी पक्ष पर किसी प्रतिबद्धता के बिना, यह निर्धारित कर सकता है कि क्या इसे पारस्परिक सहमति से संशोधित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि जब तक ऐसी पारस्परिक सहमति न हो, इस समझौते के प्रावधान (जैसा कि उस समय, यदि कोई संशोधन हुआ हो तो, सबसे हाल में संशोधित किए गए हों) लागू होते रहेंगे, चाहे ऐसी चर्चाओं या समीक्षा का परिणाम कुछ भी हो और चाहे ऐसी कोई चर्चा या समीक्षा हो या न हो।

(iii) इस समझौते के किसी अन्य प्रावधान की शर्तों के बावजूद, यदि इस समझौते के किसी प्रावधान में किसी संशोधन, पूरक या परिवर्तन के लिए कानून द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक हो, तो इसे इस समझौते का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

18.2.2 छूट और सहमतियाँ

(i) इस समझौते के किसी प्रावधान या किसी प्रावधान के उल्लंघन हेतु छूट उसके होने से पहले या बाद में केवल पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित समझौते के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) इस समझौते के किसी प्रावधान के अंतर्गत या उसके अनुसरण में दी जाने वाली कोई भी सहमति लिखित रूप में और उस घटना, कार्रवाई या चूक से पहले दी जानी चाहिए जिसके लिए वह मांगी गई है।

(iii) ऐसा कोई भी छूट या सहमति उसे देने वाले व्यक्ति(यों) द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली किसी भी शर्त के अध्यधीन दी जा सकती है और केवल उसी मामले तथा उसी उद्देश्य के लिए प्रभावी होगी जिसके लिए वह दी गई है।

18.2.3 बीआईएएल के सूचीबद्ध होने पर संशोधन

(i) बीआईएएल इस समझौते की अवधि के दौरान उपयुक्त चरण पर आईपीओ कराने की संभावना पर विचार कर सकता है।

(ii) ऐसे किसी आईपीओ से पहले, पक्षकार संबंधित स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित इस समझौते में किए जाने वाले किसी भी संशोधन पर सहमत होंगे और संबंधित स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किसी भी प्रासंगिक सूचना को सार्वजनिक करेंगे।

18.3 संपूर्ण समझौता

यह समझौता और इसके अनुसरण में किए जाने वाले दस्तावेज, इस समझौते की विषय-वस्तु के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण समझौते का गठन करते हैं और ऐसी विषय-वस्तु के संबंध में उनके बीच किए गए किसी भी पूर्व लिखित या मौखिक समझौते का स्थान लेते हैं।

18.4 आगे का आश्वासन

18.4.1 आगे का आश्वासन

प्रत्येक पक्ष ऐसे दस्तावेजों को निष्पादित करेगा और ऐसे कार्य तथा कृत्य करेगा, तथा किसी संबंधित तृतीय पक्ष से भी ऐसे दस्तावेजों को निष्पादित कराने और ऐसे कार्य तथा कृत्य कराने के लिए सभी युक्तिसंगत प्रयास करेगा, जिनकी अनुरोध करने वाला पक्ष, इस समझौते के सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ अनुरोध करने वाले पक्ष को प्रदान करने के उद्देश्य से, युक्तिसंगत रूप से अपेक्षा कर सकता है। बशर्ते कि इससे अनुरोध किए गए पक्ष को कोई नुकसान न हो और इसकी लागत तथा जोखिम अनुरोध करने वाला पक्ष वहन करे।

18.4.2 प्रत्यक्ष समझौता

भारत सरकार, ऋणदाताओं के अनुरोध पर, ऋणदाताओं के साथ इस समझौते की अनुसूची 5 के रूप में संलग्न प्रारूप में मूलतः एक प्रत्यक्ष समझौता करेगा, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, भारत सरकार इस बात पर सहमत होगा कि वह समझौते के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के किसी भी इरादे की पूर्व सूचना देगा, ऐसे ऋणदाताओं को बीआईएएल की ओर से किसी चूक को दूर करने का अधिकार देगा और/या कुछ परिस्थितियों में ऐसे ऋणदाताओं को स्वयं को प्रतिस्थापित करने या बीआईएएल के स्थान पर दायित्वों को पूरा करने तथा समझौते के अंतर्गत बीआईएएल के लाभों का उपभोग करने के लिए किसी तृतीय पक्ष को प्रतिस्थापित व्यक्ति के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देगा।

18.5 आंशिक अमान्यता

18.5.1 यदि किसी समय इस समझौते का कोई प्रावधान किसी भी क्षेत्राधिकार के किसी कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार से अवैध, अमान्य या अप्रवर्तनीय है या हो जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता अथवा किसी अन्य क्षेत्राधिकार के कानून के अंतर्गत ऐसे प्रावधान की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता किसी भी प्रकार प्रभावित या बाधित नहीं होगी और इस समझौते के शेष भाग की वैधता, वैधानिकता और प्रवर्तनीयता प्रभावित नहीं होगी।

18.5.2 पक्षकार सद्भावना से बातचीत करेंगे, ताकि ऐसे एक या अधिक प्रावधानों पर सहमति हो सके जिन्हें ऐसे किसी अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय प्रावधान के स्थान पर रखा जा सके और जो भारत सरकार के लिए संतोषजनक हों तथा सभी परिस्थितियों में पक्षकारों के वाणिज्यिक हितों का उपयुक्त संतुलन यथासंभव व्यावहारिक रूप से बनाएँ।

18.6 कोई साझेदारी नहीं

न तो यह समझौता और न ही कोई अन्य समझौता या व्यवस्था, जिसका यह एक भाग है, और न ही ऐसे किसी समझौते या व्यवस्था के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा अपने-अपने दायित्वों का निष्पादन, पक्षकारों के बीच साझेदारी का गठन करेगा। किसी भी पक्ष को (जब तक इस समझौते या अन्यथा लिखित रूप में स्पष्ट रूप से अधिकार प्रदान न किया गया हो और उसे वापस न लिया गया हो) किसी अन्य पक्ष को उसके अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

18.7 समय का अत्यंत महत्वपूर्ण होना

समय इस समझौते का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होगा, चाहे वह उल्लिखित तारीखों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में हो अथवा उन तारीखों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में हो जिन्हें इस समझौते के अनुसार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

18.8 समय की गणना

इस समझौते में संदर्भित समय भारत के बेंगलोर का समय होगा। इस समझौते के अंतर्गत निर्धारित या अनुमत किसी अवधि की गणना करते समय, उस कार्य, घटना या चूक का दिन, जिससे निर्धारित समयावधि प्रारंभ होती है, शामिल किया जाएगा। यदि इस प्रकार गणना की गई अवधि का अंतिम दिन कार्य दिवस नहीं है, तो अवधि अगले कार्य दिवस के अंत तक जारी रहेगी।

18.9 सूचनाएँ

18.9.1 लिखित रूप में संचार

इस समझौते के अंतर्गत या इसके संबंध में किया जाने वाला कोई भी संचार लिखित रूप में किया जाएगा और, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, फैक्स या पंजीकृत पत्र द्वारा किया जा सकता है।

18.9.2 पते

इस समझौते के अंतर्गत या इसके संबंध में किए या वितरित किए जाने वाले किसी भी संचार या दस्तावेज के लिए प्रत्येक पक्ष का पता और फैक्स नंबर (और विभाग या अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके ध्यानार्थ संचार किया जाना है) निम्नानुसार है:

भारत सरकार :

नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली - 110003
फैक्स: 011-24602397
ध्यानार्थ: [सचिव, नागर विमानन मंत्रालय]

बीआईएल:

बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
36 कनिंघम रोड
बैंगलोर - 560 052
भारत
फैक्स: 080-22081284
ध्यानार्थ: मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक

या ऐसा वैकल्पिक पता, फैक्स नंबर या विभाग अथवा अधिकारी, जिसकी सूचना पक्ष दूसरे पक्ष को कम से कम पाँच (5) कार्य दिवस की सूचना देकर दे सकता है।

18.10 मानी गई सुपुर्दगी

जब तक इस समझौते में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, इस समझौते के अंतर्गत या इसके अनुसरण में किया गया कोई भी संचार प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त माना जाएगा (यदि फैक्स द्वारा प्रेषित किया गया हो तो प्रेषण की पुष्टि के साथ, अथवा टैलेक्स द्वारा और, टैलेक्स के मामले में, उत्तर-पहचान प्राप्त होने पर) उस स्थान के अगले कार्य दिवस को जहाँ उसे भेजा गया है, अथवा (अन्य किसी मामले में) जब उसे अनुच्छेद 18.9.2 में अपेक्षित पते पर छोड़ा जाता है या उस पते पर पंजीकृत डाक द्वारा (यदि किसी अन्य देश को भेजा जाना हो तो एयरमेल द्वारा), डाक-शुल्क पूर्व-भुगतान और उस पते पर संबोधित करके भेजे जाने के दस (10) ऐसे कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त माना जाएगा। इन प्रयोजनों के लिए, कार्य दिवस शनिवार, रविवार और बैंक अवकाशों के अलावा अन्य दिन होंगे।

18.11 शासी भाषा

इस समझौते की व्याख्या को नियंत्रित करने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा होगी।

किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी आवश्यक नोटिस तथा इस समझौते से किसी भी प्रकार से संबंधित और इस समझौते के निष्पादन, कार्यान्वयन और समाप्ति से

संबंधित सभी अन्य संचार और दस्तावेज, जिसमें विवाद समाधान की कोई कार्यवाही भी शामिल है, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

18.12 शासी कानून

यह समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और उनके अनुसार व्याख्यायित किया जाएगा।

18.13 संप्रभु प्रतिरक्षा

भारत सरकार बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

18.13.1 सहमत है कि इसके द्वारा इस समझौते तथा उन समझौतों और अन्य दस्तावेजों का निष्पादन, सुपुर्दगी और पालन, जो उस प्रतिभूति का गठन करते हैं जिसका यह पक्ष है, सार्वजनिक या सरकारी कृत्यों के बजाय निजी और वाणिज्यिक कृत्य हैं;

18.13.2 सहमत है कि यदि इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी लेन-देन के संबंध में इसके विरुद्ध या इसकी परिसंपत्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो स्वयं की ओर से या अपनी परिसंपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाही से कोई संप्रभु प्रतिरक्षा का दावा नहीं किया जाएगा;

इस अनुच्छेद 18.13 के प्रयोजनों के लिए, “परिसंपत्तियों” में वर्तमान या भावी “मिशन के परिसर”, जैसा कि 1961 में हस्ताक्षरित राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन में परिभाषित किया गया है, “वाणिज्य दूतावास परिसर”, जैसा कि 1963 में हस्ताक्षरित वाणिज्य दूतावास संबंधों पर वियना कन्वेंशन में परिभाषित किया गया है, भारत सरकार की सैन्य संपत्ति या सैन्य परिसंपत्तियाँ अथवा उनसे संबंधित संपत्ति या परिसंपत्तियाँ, भारत के संवैधानिक प्राधिकरणों के परिसर और कार्यालय तथा राष्ट्रीय धरोहर शामिल नहीं होंगे।

18.14 डिफॉल्ट ब्याज

इस समझौते की शर्तों के अंतर्गत देय और भुगतान योग्य कोई भी राशि, जो अपनी देय तिथि पर भुगतान नहीं की गई है, भारतीय स्टेट बैंक की प्राइम लेंडिंग रेट से दो प्रतिशत (2%) अधिक की दर से ब्याज वहन करेगी।

इसके साक्ष्य में, भारत सरकार और बीआईएएल ने अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए, विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, निम्नलिखित की उपस्थिति में:

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

अजय प्रसाद

सचिव नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

साक्षी के हस्ताक्षर

नसीम जैदी

संयुक्त सचिव

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से और उसके लिए, एक निदेशक द्वारा, निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित:

निदेशक का नाम और हस्ताक्षर

वोल्फगेंग बिशॉफ

निदेशक

बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

साक्षी के हस्ताक्षर

के.वी. रंगास्वामी

निदेशक

बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से और उसके लिए, एक निदेशक द्वारा,
निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित:

निदेशक का नाम और हस्ताक्षर

एस. कृष्ण कुमार

निदेशक

बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

साक्षी के हस्ताक्षर

हर्बर्ट मेयर

निदेशक

बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

अनुसूची 1

मंजूरियाँ

अनुसूची 1

भारत सरकार द्वारा परियोजना मंजूरियाँ

क्रम सं.	आवश्यक मंजूरी
1	<u>भारत सरकार</u>
1.1	परियोजना के लिए मंत्रिमंडलीय स्वीकृति
1.2	एएआई अधिनियम में संशोधन
2	<u>नागर विमानन मंत्रालय</u>
2.1	नया हवाईअड्डा स्थापित करने हेतु मंजूरी
2.2	वायुयान नियमावली, 1937 में संशोधन
3	<u>नागर विमानन महानिदेशालय</u>
3.1	साइट के लिए अंतिम अनुमोदन
3.2	नए हवाईअड्डे के प्रचालन के लिए लाइसेंस
4	<u>रक्षा मंत्रालय</u>

क्रम सं.	आवश्यक मंजूरी
4.1	एकीकृत हवाई क्षेत्र प्रबंधन पर समझौता
4.2	नया हवाईअड्डा स्थापित करने के लिए अनापति प्रमाण-पत्र
5	<u>पर्यावरण और वन मंत्रालय</u>
5.1	पर्यावरणीय मंजूरी
5.2	गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु अनुमोदन
6	<u>विस्फोटक विभाग</u> विमानन ईंधन डिपो के स्थान के लिए अनापति प्रमाण-पत्र
7	<u>वित्त मंत्रालय</u> आधिकारिक राजपत्र में हवाईअड्डे को "सीमा शुल्क हवाईअड्डा" घोषित करने की अधिसूचना

अनुसूची 2

हवाईअड्डे के प्रारंभिक चरण का विवरण

1 स्थान

प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए स्थल बेंगलोर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के पूर्व में, बेंगलोर से 29 किलोमीटर और 30 किलोमीटर के बीच तथा देवनहल्ली शहर से 4 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।

स्थल 4309.45 एकड़ (1744.01 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला है और अक्षांश $13^{\circ} 15' 50''$ से $13^{\circ} 12' 15''$ उत्तर तथा देशांतर $77^{\circ} 40' 20''$ से $77^{\circ} 44' 09''$ पूर्व तक सीमित है।

हवाईअड्डे के लेआउट डिजाइन में स्थल के भीतर दूसरी समानांतर रनवे (भविष्य में) के लिए प्रावधान किया गया है। रनवे के बीच 1925 मीटर की पृथक्करण दूरी रखी गई है।

यह दूरी आईसीएओ दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षित स्वतंत्र रनवे संचालन की अनुमति देती है तथा टर्मिनल और अन्य वाणिज्यिक विकास के लिए रनवे के बीच के क्षेत्र के इष्टतम उपयोग की सुविधा प्रदान करती है।

2 टैक्सीवे

रनवे और एप्रन के बीच प्रस्तावित टैक्सीवे प्रणाली विमान को न्यूनतम विलंब के साथ आवागमन करने में सक्षम बनाएगी और रनवे को अपनी अधिकतम क्षमता पर संचालित करने की अनुमति देगी।

प्रारंभिक चरण में हवाईअड्डे की टैक्सीवे प्रणाली में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- आंशिक सिंगल टैक्सीवे
- प्रवेश/निकास टैक्सीवे
- एप्रन टैक्सी लेन

प्रारंभिक चरण में, रनवे के लिए प्रवेश/निकास टैक्सीवे 09 थ्रेशोल्ड से 800 मीटर, 2800 मीटर और 4000 मीटर पर प्रस्तावित किए गए हैं, ताकि रनवे से और रनवे की ओर विमानों की आवाजाही को तेज किया जा सके तथा टैक्सी करने के समय और दूरी को कम किया जा सके।

इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल पूर्ण रूप से लदा हुआ बी747 उड़ान भरने से पहले रनवे 09 पर बैक ट्रैक करेगा।

3 एप्रन

एप्रन और टर्मिनल का लेआउट तथा दोनों के बीच का संबंध अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

एप्रन डिजाइन के उद्देश्यों में शामिल हैं:

- रनवे से/तक टैक्सी करने की दूरी को न्यूनतम करना।
- विलंब से बचने के लिए पर्याप्त टैक्सी लेन उपलब्ध कराना।
- एयरसाइड सड़कों और उपकरण पार्किंग क्षेत्रों का प्रावधान करना ताकि विमान के लिए ग्राउंड सपोर्ट पर्याप्त और कुशल हो।
- यह सुनिश्चित करना कि संचालन सुरक्षित रूप से किया जा सके।

प्रारंभिक चरण में 3 इन-कॉन्टैक्ट स्टैंड के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें भविष्य में दो कॉन्टैक्ट स्टैंड जोड़ने का विकल्प है।

4 एयरसाइड सेवा सड़कें

विमानों के परिचालन को बनाए रखने वाले वाहनों के परिवहन के लिए, एयरसाइड और लैंडसाइड सड़क प्रणाली से जुड़ने हेतु एक एयरसाइड सड़क प्रणाली प्रस्तावित है।

एक एयरसाइड सेवा सड़क (एप्रन सेवा सड़क) टर्मिनल भवन के एयरसाइड वाले हिस्से में चलेगी। यह आइसोलेशन बे, अग्निशमन केंद्र, कार्गो, ईंधन फार्म और रखरखाव क्षेत्र की सेवा करेगी तथा हवाईअड्डे की परिधि के चारों ओर बजरी वाली सड़क के रूप में आगे जारी रहेगी।

5 मुख्य प्रवेश सड़क

टर्मिनल कॉम्प्लेक्स को एनएच7 से जोड़ने के लिए रनवे के समानांतर दो लेन वाली बिटुमिनस पहुंच सड़क प्रस्तावित है।

यह सड़क मुख्य रूप से यात्री टर्मिनल की सेवा करेगी और हवाईअड्डे की सहायता सुविधाओं को भी जोड़ेगी।

महत्वपूर्ण जंक्शनों पर गोल चक्कर प्रस्तावित हैं।

6 हवाई यातायात नियंत्रण टावर

प्रस्तावित नियंत्रण टावर की ऊंचाई 65 मीटर है। यह ऊंचाई परिचालन क्षेत्रों और एप्रोच के लिए स्पष्ट दृश्य रेखा प्रदान करेगी। नियंत्रण टावर लैंडसाइड पर रनवे की सेंटर लाइन से 890 मीटर की दूरी पर स्थित है।

लगभग 2300 वर्ग मीटर के फर्श क्षेत्र वाला एक एटीसी कॉम्प्लेक्स (तकनीकी ब्लॉक) उन हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं के लिए प्रस्तावित है जो टावर में नहीं की जाती हैं, जैसे एप्रोच नियंत्रण।

तकनीकी ब्लॉक में एटीसी ब्रीफिंग, एंटी-हाइजैकिंग नियंत्रण कक्ष, एमईटी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यशाला, डेटा प्रबंधन प्रणाली, पुस्तकालय, प्रशिक्षण कक्ष और कार्यालय भी होंगे।

7 एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था

रनवे प्रकाश व्यवस्था में थ्रेशोल्ड, एज और एंड लाइट्स शामिल होंगी।

दोनों एप्रोच पर पीएपीआई के साथ कैट । प्रिंसीजन एप्रोच लाइटिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी।

ऊंची सर्वदिशीय एज लाइट्स वाली टैक्सीवे लाइटिंग प्रणाली आंशिक सिंगल टैक्सीवे, निकास और प्रवेश टैक्सीवे तथा एप्रन के कनेक्शनों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। रात्रिकालीन परिचालनों के दौरान विमानों के कुशल और सुरक्षित परिचालन की अनुमति देने के लिए एप्रन फ्लडलाइटिंग उपलब्ध कराई जाएगी। साइनेज उपलब्ध कराया जाएगा।

8 बचाव और अग्निशमन सुविधाएँ

हवाईअड्डा एयरोड्रोम कैट IX के अनुरूप सुरक्षा का स्तर प्रदान करने के लिए सुसज्जित होगा।

अग्निशमन केंद्र इस प्रकार स्थित है कि इष्टतम दृश्यता और सतह की स्थिति में मूवमेंट क्षेत्र के किसी भी हिस्से तक प्रतिक्रिया समय न्यूनतम हो।

नियोजित अग्निशमन केंद्र का कुल क्षेत्रफल 1457 वर्ग मीटर है।

अग्निशमन केंद्र के ऊपर एक वॉचटावर स्थित है।

9 जल आपूर्ति

पीने योग्य जल की आपूर्ति बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान में चिन्हित सेवा क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा और दबाव में की जाएगी। औसत दैनिक मांग के 2 दिनों के लिए पीने योग्य जल भंडारण टैंक और अग्निशमन के लिए एक दिन की मांग हेतु कच्चे जल के भंडारण टैंक, हवाईअड्डे की सुविधाओं के लिए वितरण नेटवर्क सहित, निर्मित किए जाएंगे। प्रारंभिक चरण में प्रस्तावित भूमिगत पीने योग्य जल संप की क्षमता 4000 घन मीटर और कच्चे जल संप की क्षमता 1800 घन मीटर है। जल को हाइड्रो-पन्यूमेटिक पंपिंग प्रणाली का उपयोग करके पंप किया जाएगा।

पीने योग्य जल का वितरण सेवा क्षेत्र से शुरू होने वाली पूर्व-पश्चिम दिशा में चलने वाली लैंडसाइड मुख्य पाइपलाइन के माध्यम से किया जाएगा। अलग से, अग्नि सुरक्षा के लिए समान अवधारणा का एक वितरण नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। यह नेटवर्क हाइड्रेंट से सुसज्जित होगा।

10 सीवेज निपटान

सीवरेज और वर्षा जल निकासी को अलग-अलग प्रणालियों के रूप में डिजाइन किया गया है। सीवरेज प्रणाली में एक संग्रहण नेटवर्क, पंप पिट, सीवेज उपचार संयंत्र आदि शामिल होंगे। हवाईअड्डे से संबंधित सुविधाओं का सीवेज जल पूर्व-पश्चिम दिशा में चलने वाली और मैनहोल से सुसज्जित लैंडसाइड तथा एयरसाइड मुख्य डक्ट के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। 1500 घन मीटर क्षमता का सीवेज उपचार संयंत्र निर्मित किया जाएगा।

सीवेज उपचार संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट जल का उपचार किया जाएगा और उपचारित जल को बागवानी के लिए पुनर्चक्रित किया जाएगा।

11 जल निकासी

जल निकासी प्रणाली का डिजाइन स्थलाकृति, पूर्ण किए गए फॉर्मेशन स्तरों, पक्के क्षेत्रों और भवन की छतों से सतही बहाव द्वारा निर्धारित किया जाता है। मौजूदा सतह की स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ और, परिणामस्वरूप, सभी हवाईअड्डा-संबंधित सुविधाओं की ग्रेडेड पट्टी, उत्तर-दक्षिण दिशा में जल-विभाजक बनाती हैं। खुले लाइन वाले नाले निर्मित किए जाएंगे। पक्के क्षेत्रों के नीचे आरसीसी बॉक्स कलवर्ट या पाइप कलवर्ट उपलब्ध कराए जाएंगे।

12 दूरसंचार

दूरसंचार प्रणाली में एक एक्सचेंज सुविधा और वितरण नेटवर्क शामिल होगा।

13 विद्युत

हवाईअड्डे को विद्युत आपूर्ति बीईएससीओएम/केपीटीसीएल द्वारा 66केवी स्तर पर प्रदान की जाएगी। मुख्य इनकमिंग सबस्टेशन में 66केवी को 11केवी तक कम करने के लिए 2 16एमवीए ट्रांसफॉर्मर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन ट्रांसफॉर्मरों से हवाईअड्डे की मुख्य विद्युत प्रणाली को 11केवी स्तर पर आपूर्ति की जाएगी। विद्युत शक्ति प्रणाली में ट्रांसफॉर्मर स्टेशन, वितरण नेटवर्क और आपातकालीन विद्युत आपूर्ति शामिल होगी। वितरण नेटवर्क की योजना रिंग मेन्स के साथ बनाई जाएगी, ताकि विद्युत आपूर्ति हमेशा दो अलग-अलग स्रोतों से संभव हो। एक सहायक विद्युत जनरेटर प्रणाली (लगभग 6 एमवीए) पावर स्टेशन उत्तर में स्थापित की जाएगी, जो विद्युत आपूर्ति विफल होने की स्थिति में हवाईअड्डे के आवश्यक उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करेगी।

14 यात्री टर्मिनल भवन

14.1 लेआउट अवधारणा

यात्री टर्मिनल को एकल, दो-स्तरीय टर्मिनल भवन के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू संचालन को समायोजित करने में सक्षम होगा। आगमन और प्रस्थान को लंबवत रूप से अलग किया गया है, जिसमें आधुनिक, सरल और सीधे प्रवाह वाली प्रणाली है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान लाउंज तथा अधिकांश खुदरा आउटलेट स्तर 2 (पहली मंजिल) पर स्थित हैं। चेक-इन सुविधाएँ और बैगेज रिक्लेम स्तर 1 (भूतल) पर स्थित हैं। वीआईपी लाउंज स्तर 2 (पहली मंजिल) पर स्थित है। संपूर्ण टर्मिनल को संचालन में सुगमता और न्यूनतम रखरखाव के लिए डिजाइन किया गया है। टर्मिनल पूरी तरह वातानुकूलित है।

14.2 टर्मिनल भवन की क्षमताएँ

प्रारंभिक विकास में टर्मिनल भवन को पीक आवर में 2017 यात्रियों के लिए डिजाइन किया जाएगा। [प्रस्तावित डिजाइन/मानक सर्वोत्तम उद्योग पद्धति और परिचालन मानकों को प्रतिबिंबित करेंगे।] डिजाइन सभी मौसम परिस्थितियों में 24 घंटे के संचालन के लिए उपयुक्त होगा। उपलब्ध कराई गई सुविधाएँ आईएटीए/आईसीएओ मानकों को पूरा करेंगी। नियोजित कुल फर्श क्षेत्र लगभग 55000 वर्ग मीटर है। यातायात वृद्धि के साथ संचालन को बाधित किए बिना और मौजूदा फैकेड से मेल रखते हुए टर्मिनल का मॉड्यूलर विस्तार संभव है।

प्रस्तावित टर्मिनल उपकरण में शामिल हैं:

- होल्ड बैगेज के लिए इन-लाइन एक्स-रे बैगेज स्कैनर
- फ्लाइट सूचना प्रणाली
- सीसीटीवी/पीए प्रणाली
- फायर अलार्म एवं धुआँ पहचान प्रणाली
- बैगेज कन्वेयर
- एस्केलेटर, एलिवेटर एवं स्वचालित दरवाजे
- आप्रवासन, सीमा शुल्क के लिए काउंटर
- यात्री बैठने की व्यवस्था/सार्वजनिक फर्नीचर
- रेस्तरां फर्नीचर
- साइन/पिक्टोग्राफ
- भवन प्रबंधन प्रणाली
- बैगेज ट्रॉली
- चेक-इन काउंटर

15 ईंधन फार्म

बैंगलोर में उतरने वाले विमानों में ईंधन भरने के लिए विमानन ईंधन की आपूर्ति हेतु भंडारण क्षेत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है। मास्टर प्लान में हवाईअड्डे के स्थल के पश्चिम में ईंधन फार्म के लिए स्थान आवंटित किया गया है।

डिपो से विमान तक ईंधन पहुँचाने के लिए ईंधन हाइड्रेंट प्रणाली का प्रावधान आपूर्तिकर्ता के साथ रियायत समझौते में शामिल किया जाएगा।

प्रारंभिक चरण में, चूँकि विमानों की आवाजाही की दर बहुत अधिक नहीं है और ईंधन की आवश्यकता बहुत अधिक नहीं है, इसलिए दूरस्थ स्टैंडों पर विमानों में ईंधन भरने के लिए ईंधन हाइड्रेंट और ईंधन टैंकों के संयोजन का उपयोग किया जाएगा।

16 टर्मिनल पार्किंग

विकास के प्रथम चरण में टर्मिनल भवन के सामने जमीनी स्तर पर कार पार्क की योजना बनाई गई है। इसका स्थान यात्रियों और हवाईअड्डे पर आने वाले आगंतुकों के लिए सुविधाजनक होगा। पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ के लिए अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। निजी कारों, टैक्सियों, स्टाफ कारों, स्टाफ वाहनों, वीआईपी कारों और वीवीआईपी कारों के लिए पार्किंग उपलब्ध कराई गई है।

17 प्रशासनिक भवन

हवाईअड्डा प्रबंधन, विमान ऑपरेटर्स, सुरक्षा और स्टाफ कैंटीन के कार्यालयों को रखने के लिए तकनीकी ब्लॉक के निकट लैंडसाइड पर एक अलग प्रशासनिक भवन की योजना बनाई गई है। नियोजित प्रशासनिक ब्लॉक का कुल क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर है।

18 रखरखाव भवन

हवाईअड्डे के वाहनों, विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों तथा अन्य उपयोगों के लिए रखरखाव सुविधाएँ आवश्यक हैं। रखरखाव सुविधा में सामग्री और स्पेयर पार्ट्स के लिए भंडारण स्थान शामिल होगा। इस सुविधा के लिए उपलब्ध कराया गया स्थान 2190 वर्ग मीटर है।

19 ग्राउंड उपकरण रखरखाव क्षेत्र

एप्रन पर उपयोग किए जाने वाले ग्राउंड उपकरण भारी और सामान्य सड़कों पर उपयोग के लिए अनुपयुक्त होते हैं। एयरसाइड पर जीएसई रखरखाव क्षेत्र की योजना बनाई गई है। जीएसई भवन का क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग मीटर है।

20 सुरक्षा दीवार

लैंडसाइड और एयरसाइड सुविधाओं को अलग करने वाली सुरक्षा दीवार या सुरक्षा बाड़ बीसीएस विनिर्देशों के अनुसार निर्मित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बीआईएएल की संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक सीमा दीवार भी निर्मित की जाएगी।

अनुसूची 3

भाग 1 - हवाईअड्डा गतिविधियाँ

हवाईअड्डा गतिविधियों में निम्नलिखित सेवाएँ, सुविधाएँ और उपकरण शामिल हैं:

- एयरोड्रोम नियंत्रण सेवाएँ
- एयरफील्ड
- एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था
- हवाईअड्डे से संबंधित हवाई नेविगेशन सेवाएँ
- एयरसाइड और परिधि सुरक्षा, जिसमें प्रवेश नियंत्रण और गश्त शामिल है
- एयरसाइड और लैंडसाइड पहुँच मार्ग तथा फोरकोर्ट, जिसमें राइटिंग, यातायात संकेत, साइनेज और निगरानी शामिल है
- एप्रन और विमान पार्किंग क्षेत्र
- एप्रन नियंत्रण और विमान स्टैंड का आवंटन
- आगमन कॉन्कोर्स और मिलन क्षेत्र
- बैगेज प्रणालियाँ, जिसमें आउटबाउंड और रीक्लेम शामिल हैं
- पक्षी भगाने की व्यवस्था
- चेक-इन कॉन्कोर्स
- सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई, हीटिंग, प्रकाश व्यवस्था और एयर कंडीशनिंग
- सीमा शुल्क और आव्रजन हॉल

- आपातकालीन सेवाएँ
- दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ
- अग्निशमन सेवा
- उड़ान सूचना और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालियाँ
- गंदे पानी और सतही जल की निकासी
- मार्गदर्शन प्रणालियाँ और मार्शलिंग
- सूचना डेस्क और स्टाफ व्यवस्था
- टर्मिनल-से-टर्मिनल पारगमन प्रणालियाँ
- भू-दृश्यांकन और उद्यानिकी
- लिफ्ट, एस्केलेटर और यात्री कन्वेयर
- लोडिंग ब्रिज
- खोई हुई संपत्ति
- मौसम विज्ञान सेवाएँ / एआईएस
- शोर इन्सुलेशन और ध्वनि रोधक व्यवस्था
- यात्री और हाथ के सामान की तलाशी
- पियर और गेट कक्ष
- पुलिस व्यवस्था और सामान्य सुरक्षा
- प्रार्थना कक्ष
- रनवे
- शेड्यूलिंग समिति सहायता
- साइनेज
- स्टाफ तलाशी
- टैक्सीवे
- शौचालय और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कक्ष
- अपशिष्ट और कचरा उपचार एवं निपटान
- हाथ में ले जाए जाने वाले और चेक-इन किए गए सामान के लिए एक्स-रे सेवा
- विमान सफाई सेवाएँ
- विमान ईंधन भरने की सेवाएँ
- एयरलाइन लाउंज
- बैंक / एटीएम - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा
- ब्यूरो डी चेंज - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा

- बिजनेस सेंटर - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा
- वाहन पार्किंग
- कार्गो हैंडलिंग
- कार्गो टर्मिनल
- कॉन्फ्रेंस सेंटर - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा
- शुल्क-मुक्त बिक्री - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा
- फ्लाइट कैटरिंग सेवाएँ
- माल समेकक/फॉरवर्डर या एजेंट
- सामान्य विमानन ग्राउंड हैंडलिंग
- सामान्य विमानन टर्मिनल
- सामान्य खुदरा दुकानें - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा
- ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ
- ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण
- विमानों के लिए ग्राउंड पावर
- हैंगर
- भारी रखरखाव सेवाएँ - बीआईएएल द्वारा इन्हें केवल तभी किया जाएगा जब ऐसी सेवाएँ हवाईअड्डे और/या विमान से संबंधित हों
- होटल आरक्षण सेवाएँ - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा
- हवाईअड्डा परिसर के लिए अवसंरचना जैसे सड़कें, नालियाँ, जल आपूर्ति आदि
- लाइन रखरखाव सेवाएँ - बीआईएएल द्वारा इन्हें केवल तभी किया जाएगा जब ऐसी सेवाएँ हवाईअड्डे और/या विमान से संबंधित हों
- लॉकर किराया - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा
- मैसेंजर सेवाएँ - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा
- ऑब्जर्वेशन टेरेस
- विमानों के लिए प्री-कंडीशन्ड एयर
- पोर्टर सेवा

- डाकघर - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा
- सार्वजनिक टेलीफोन - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा
- रेस्तरां, बार और अन्य जलपान सुविधाएँ - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा
- विशेष सहायता सेवाएँ
- पर्यटक सूचना सेवाएँ - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा
- ट्रेवल एजेंसी - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा
- ट्रॉली सेवा
- उपयोगिताएँ (जिसमें बिजली, गैस, दूरसंचार और जल शामिल हैं)
- वाहन ईंधन भरने की सेवाएँ - बीआईएएल द्वारा इन्हें केवल तभी किया जाएगा जब ऐसी सेवाएँ हवाईअड्डे और/या विमान से संबंधित हों
- वाहन किराया - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा
- वैंडिंग मशीनें - बीआईएएल द्वारा केवल बुनियादी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निवेश किया जाएगा
- वीआईपी/विशेष लाउंज
- गोदाम
- स्वागत सेवाएँ

भाग 2 - गैर-हवाईअड्डा गतिविधियाँ

गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों में निम्नलिखित सेवाएँ, सुविधाएँ और उपकरण शामिल हैं:

- हवाईअड्डा शटल परिवहन सेवाएँ (होटल, सिटी सेंटर आदि)
- बिजनेस पार्क
- हाई-टेक पार्क
- होटल
- औद्योगिक पार्क
- वाणिज्यिक भवन
- विशेष आर्थिक क्षेत्र
- वाणिज्यिक परिसर
- गोल्फ कोर्स
- कंट्री क्लब
- खाद्य साइलो
- स्वतंत्र विद्युत उत्पादक
- विनिर्माण कारखानों जैसे उत्पादन केंद्र।

अनुसूची 4

फोर्स मेज्योर की परिभाषा

इस समझौते में, “फोर्स मेज्योर” का अर्थ किसी ऐसे कार्य, घटना या परिस्थिति अथवा कार्यों, घटनाओं और परिस्थितियों के संयोजन से है, जिसका नीचे उल्लेख किया गया है, जो प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे हो और ऐसी घटना/घटनाओं से प्रभावित होने का दावा करने वाले पक्ष के अनुरोध पर उत्पन्न न हुआ हो, और जिसे प्रभावित पक्ष किसी सुविधा के निर्माण के संबंध में अच्छी उद्योग प्रथा या उचित कौशल और सावधानी के प्रयोग द्वारा रोक नहीं सकता था, और जो या जिसके कोई परिणाम वास्तव में इस समझौते के अंतर्गत किसी पक्ष द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन को पूर्णतः या आंशिक रूप से रोकते, बाधित करते या विलंबित करते हों।

“फोर्स मेज्योर” में निम्नलिखित घटनाएँ और परिस्थितियाँ उस सीमा तक शामिल हैं, जहाँ वे या उनके परिणाम उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

निम्नलिखित प्रकार के कार्य, घटनाएँ या परिस्थितियाँ:

(i) हड़ताल, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्रवाई अथवा श्रम विवाद, जिसमें कोई पक्ष या उसके ठेकेदार, अथवा उनके संबंधित उप-ठेकेदार, कर्मचारी या एजेंट शामिल हों, और जो किसी

भी मामले में भारत के भीतर कार्य के निष्पादन या भारत के भीतर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में नियोजित हों;

(ii) बिजली गिरना, भूकंप, आँधी, चक्रवात, तूफान, बवंडर, आंधी, बाढ़, जल बहाव, भूस्खलन, मृदा अपरदन, भूमि धँसना, सूखा या पानी की कमी, तथा अन्य असामान्य या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अथवा प्राकृतिक तत्वों की क्रियाएँ, उल्कापिंड या विमान अथवा अन्य हवाई उपकरणों से गिरने वाली वस्तुएँ, सुपरसोनिक गति से यात्रा करने वाले विमान या अन्य हवाई उपकरणों के कारण उत्पन्न दबाव तरंगों की घटना, आग या विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण अथवा आयनीकारी विकिरण (ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ विस्फोट या संदूषण या विकिरण का स्रोत या कारण प्रभावित पक्ष या प्रभावित पक्ष द्वारा नियोजित या संलग्न व्यक्तियों द्वारा साइट पर या उसके निकट लाया गया हो या लाया गया हो, जब तक कि यह हवाईअड्डे के किसी भाग के निर्माण या संचालन के लिए आवश्यक न हो);

(iii) किसी भी माध्यम से पारगमन के दौरान कार्गो की आकस्मिक हानि या क्षति, जिसे हवाईअड्डे में शामिल किया जाना हो और जो हवाईअड्डा खोलने की तारीख से पहले हुई हो;

(iv) हवाईअड्डे की हानि या गंभीर आकस्मिक क्षति;

(v) लैंडिंग, पार्किंग, सर्विसिंग (ईंधन की आपूर्ति सहित) या टेक-ऑफ के दौरान विमान से संबंधित दुर्घटना, विस्फोट, आग या अन्य आपदा की घटना;

(vi) महामारी;

(vii) युद्ध का कार्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कार्य, नाकाबंदी, प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, बम विस्फोट या नागरिक अशांति;

(viii) तोड़फोड़, आतंकवाद या ऐसे कृत्यों का आसन्न खतरा;

(ix) दैवीय कृत्य; या

(x) उपर्युक्त के समान प्रकृति का कोई कार्य, घटना या परिस्थिति;

बशर्ते कि निम्नलिखित में से कोई भी मामला या उसके परिणाम फोर्स मेज्योर का गठन करने या उसे उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगे:

(i) कोई भुगतान करने में विफलता या असमर्थता; या

(ii) बाजार परिस्थितियों का प्रभाव, जब तक कि ऐसी बाजार परिस्थितियाँ स्वयं फोर्स मेज्योर की किसी घटना के कारण उत्पन्न न हुई हों या उसका परिणाम न हों।

और आगे यह भी प्रावधान है कि ऊपर उल्लिखित कोई कार्य, घटना या परिस्थिति, जो मुख्य रूप से किसी तीसरे पक्ष या तीसरे पक्षों (जिसमें बिना किसी सीमा के, हवाईअड्डे के निर्माण, ठेकेदार या ऑपरेटर अथवा किसी पक्ष का संबद्ध निकाय शामिल है) को प्रभावित करती है और जो किसी पक्ष को अपने दायित्वों के निष्पादन में रोकती, बाधित करती या विलंबित करती है, ऐसे पक्ष के संबंध में इस अनुसूची के अंतर्गत उचित रूप से फोर्स मेज्योर मानी जाएगी, यदि और उस सीमा तक जब वह ऐसी प्रकृति या प्रकार की हो कि यदि यह उस पक्ष के साथ हुई होती जो इस अनुच्छेद पर निर्भर होना चाहता है, तो इस अनुसूची 4 के अंतर्गत फोर्स मेज्योर की परिभाषा में आती।

[अनुसूची 5]

भारत सरकार के प्रत्यक्ष समझौते का प्रारूप

बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

36 कनिंघम रोड

बैंगलोर - 560 052

[तारीख]

सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

राजीव गांधी भवन

सफदरजंग एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स

नई दिल्ली 110 003

प्रिय श्री सचिव,

हम भारत सरकार और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (“कंपनी”) के बीच दिनांक [●] के रियायत समझौते (“रियायत समझौता”) का संदर्भ देते हैं।

जैसा कि रियायत समझौते में परिकल्पित है, कंपनी वित्तपोषण समझौतों (जैसा कि रियायत समझौते में परिभाषित किया गया है और जिसकी प्रतियाँ आपको प्रदान की गई हैं) में प्रवेश करने का प्रस्ताव करती है, जिसके अंतर्गत सुरक्षित पक्षकारों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) ने कर्नाटक राज्य में बेंगलोर के निकट देवनहल्ली में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए कंपनी को वित्तपोषण प्रदान करने पर सहमति दी है।

ऐसे वित्तपोषण की प्रतिभूति के रूप में, हम आपको एतद्वारा सूचित करते हैं कि [] को ट्रस्टी (“बंधक ट्रस्टी”) के रूप में कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों (“ऋणदाताओं”) के लाभ के लिए किए जाने वाले बंधक (“बंधक”) के अनुसार, कंपनी ने बंधक ट्रस्टी को ऋणदाताओं के लाभ के लिए कंपनी की सभी परिसंपत्तियों (“संपार्श्विक”), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रियायत समझौता भी शामिल है, में प्रथम प्राथमिकता का प्रतिभूति हित प्रदान किया है।

ऋणदाताओं और बंधक ट्रस्टी को यहाँ “सुरक्षित पक्षकार” कहा गया है।

कंपनी अनुरोध करती है कि इस स्वीकृति और सहमति की संलग्न प्रति पर हस्ताक्षर करके और उसे वापस करके, भारत सरकार सुरक्षित पक्षकारों के लाभ के लिए निम्नलिखित की पुष्टि और सहमति प्रदान करे:

(क) भारत सरकार

(i) बंधक की एक प्रति प्राप्त होने की पुष्टि करती है,

(ii) बंधक के अंतर्गत सुरक्षित पक्षकारों के लाभ के लिए रियायत समझौते में कंपनी के सभी अधिकार, स्वत्व और हितों के समनुदेशन (और जहाँ बंधक के अंतर्गत समनुदेशन संभव न हो, वहाँ प्रभार) को सुरक्षित पक्षकारों के प्रति देय दायित्वों की प्रतिभूति के रूप में सहमति देती है,

(iii) सहमत है कि ऐसे समनुदेशन (या जहाँ लागू हो, प्रभार) रियायत समझौते का उल्लंघन या प्रतिकूल नहीं करते हैं या नहीं करेंगे, और

(iv) सहमत है कि इस समझौते का उसका निष्पादन और परिदान रियायत समझौते के अनुच्छेद 14.1 में दिए गए ऐसे समनुदेशन (या जहाँ लागू हो, प्रभार) और भावी समनुदेशन के लिए उसकी उचित लिखित सहमति का गठन करता है।

(ख) भारत सरकार सहमत है कि:

(i) यदि बंधक ट्रस्टी ने कंपनी द्वारा प्रदान किए गए प्रतिभूति हितों के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करने का निर्णय लिया है, ताकि स्वयं को या अपने नामित व्यक्ति को रियायत समझौते के अंतर्गत कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके, तो बंधक ट्रस्टी के अनुरोध पर और भारत सरकार की पूर्व लिखित सहमति से, ऐसा बंधक ट्रस्टी या उसका नामित व्यक्ति कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) यदि बंधक ट्रस्टी कंपनी द्वारा प्रदान किए गए प्रतिभूति हितों के अंतर्गत उपचारों के प्रयोग के अनुसार संपार्श्विक के सभी या किसी भाग को बेचता या अन्यथा निपटाता है (चाहे फोरक्लोज़र द्वारा या अन्यथा), तो खरीदार को बंधक ट्रस्टी के अनुरोध पर और भारत सरकार की पूर्व लिखित सहमति से रियायत समझौते के अंतर्गत कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा, और दोनों ही मामलों में, प्रतिस्थापित पक्षकार रियायत समझौते के अंतर्गत ऐसे बेचे या निपटाए गए संपार्श्विक के संबंध में कंपनी के सभी अधिकार, स्वत्व और हितों का उत्तराधिकारी होगा तथा रियायत समझौते का निष्पादन कर सकेगा और उसके लाभों का हकदार होगा, मानो वह रियायत समझौते के अंतर्गत कंपनी हो।

(ग) भारत सरकार सहमत है कि वह रियायत समझौते के अंतर्गत कंपनी को देय धनराशि (रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार कंपनी को देय और देय भुगतान योग्य किसी भी धनराशि को छोड़कर, जिसे सीधे कंपनी को भुगतान किया जाएगा) केवल [बेंगलोर] में ऐसे खाते में सीधे और तत्काल उपलब्ध निधियों में जमा करने के लिए भुगतान करेगी, जैसा कि बंधक ट्रस्टी समय-समय पर निर्देशित कर सकता है (और कंपनी एतद्वारा भारत सरकार को उपर्युक्त रूप से ऐसे भुगतान करने के लिए अधिकृत और निर्देशित करती है)। बंधक ट्रस्टी या उसके नामित व्यक्ति द्वारा कंपनी द्वारा प्रदान किए गए प्रतिभूति हितों के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग किए जाने की स्थिति में, भारत सरकार बंधक ट्रस्टी से प्राप्त किसी भी और सभी लिखित निर्देशों का अनुपालन करेगी, ताकि रियायत समझौते के अंतर्गत भारत सरकार से देय धनराशि (रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार कंपनी को देय और देय भुगतान योग्य किसी भी धनराशि को छोड़कर, जिसे सीधे कंपनी को भुगतान किया जाएगा) पूर्ववर्ती वाक्य में निर्दिष्ट खाते में ऐसी धनराशि का भुगतान करने के स्थान पर सीधे बंधक ट्रस्टी को या उसके आदेशानुसार भुगतान की जाए (ऐसे भुगतानों के अन्य सभी नियम और शर्तें पूर्ववर्ती वाक्य में दिए गए अनुसार ही रहेंगी) और कंपनी को इन राशियों का भुगतान करने के अपने दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि के रूप में।

(घ) भारत सरकार सहमत है कि वह बंधक के अनुसार बंधक ट्रस्टी को कंपनी का वास्तविक और विधिसम्मत मुख्तार मानेगी।

(ड) भारत सरकार सहमत है कि वह किसी ऐसी घटना के घटित होने के तुरंत बाद बंधक ट्रस्टी को सूचित करेगी, जो भारत सरकार को रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार हवाईअड्डे में बीआईएएल के सभी अधिकारों, स्वत्व और हितों को अर्जित करने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देती है ("नोटिस")। ऐसे नोटिस में उन आधारों का युक्तिसंगत विवरण दिया जाएगा, जिनके आधार पर भारत सरकार हवाईअड्डे में बीआईएएल के सभी अधिकारों, स्वत्व और हितों को अर्जित करने की हकदार है।

(च) भारत सरकार सहमत है कि वह बंधक ट्रस्टी को नोटिस जारी किए बिना रियायत समझौते को समाप्त नहीं करेगी, उसके अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन को निलंबित नहीं करेगी, या हवाईअड्डे में बीआईएएल के सभी अधिकारों, स्वत्व और हितों को अर्जित करने के अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगी।

(छ) भारत सरकार सहमत है कि बंधक ट्रस्टी को किसी भी समय रियायत समझौते की शर्तों के अनुरूप ऐसी कार्रवाई करने या करवाने का अधिकार होगा, जो उस घटना के निवारण के लिए आवश्यक हो, जिसने नोटिस को जन्म दिया है।

(ज) यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित किया जाएगा।

(झ) इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में उत्पन्न कोई भी विवाद या मतभेद, उसकी प्रकृति की परवाह किए बिना, रियायत समझौते के अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अनुसार विवाद समाधान के लिए संदर्भित किया जाएगा, जिन प्रावधानों को संदर्भ द्वारा यहाँ शामिल किया गया है और इस समझौते का भाग बनाया गया है, मानो ऐसे प्रावधान यहाँ पूर्ण रूप से निर्धारित किए गए हों।

(ञ) रियायत समझौते के अनुच्छेद 18.13 (संप्रभु प्रतिरक्षा) के प्रावधान इस समझौते पर लागू होंगे और उन्हें संदर्भ द्वारा यहाँ शामिल किया गया है तथा इसका भाग बनाया गया है, मानो ऐसे प्रावधान यहाँ पूर्ण रूप से निर्धारित किए गए हों।

(ट) प्रारंभिक चरण के संबंध में ऋणदाताओं के प्रति कोई बकाया ऋण शेष न रहने की तारीख को यह समझौता किसी भी पक्ष द्वारा किसी अतिरिक्त कार्रवाई के बिना समाप्त हो जाएगा।

(ठ) यह समझौता वित्तपोषण समझौतों में प्रदान किए गए वित्तीय समापन (जैसा कि वित्तपोषण समझौतों में परिभाषित किया गया है) की तारीख से प्रभावी होगा।

भवदीय,
बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

द्वारा _____

नाम:

पद:

भारत सरकार एतद्वारा इस समझौते की उपर्युक्त शर्तों को स्वीकार करती है और इस [•]
दिन [•] से उनसे बाध्य होने के लिए सहमत है।

द्वारा _____

नाम:

पद:

भारत सरकार द्वारा इस समझौते के निष्पादन की तारीख को स्वीकार किया गया, स्वीकृत
और सहमत।

[•], बंधक ट्रस्टी के रूप में।

द्वारा _____

नाम:

पद:

अनुसूची 6

विनियमित प्रभार

इस समझौते के अनुच्छेद 10.2 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, बीआईएएल को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों विमानों तथा यात्री आवागमन के संबंध में एयरलाइन ऑपरेटरों, यात्रियों और अन्य उपयोगकर्ताओं से, आईसीएओ नीतियों के अनुरूप दरों पर, निम्नलिखित विनियमित प्रभार लगाने और वसूल करने का अधिकार होगा:

(i) लैंडिंग, हाउसिंग और पार्किंग प्रभार (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय):

हवाईअड्डा खोलने के समय बीआईएएल द्वारा अपनाए जाने वाले प्रभार निम्नलिखित में से अधिक होंगे:

(क) वर्ष 2001 में प्रभावी एएआई टैरिफ, जिसे नीचे दिए गए अनुसार मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ विधिवत बढ़ाया गया हो, हवाईअड्डा खोलने की तारीख तक

या

(ख) उस समय अन्य एएआई हवाईअड्डों पर लागू टैरिफ

(ii) यात्री सेवा शुल्क (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय):

हवाईअड्डा खोलने के समय बीआईएएल द्वारा अपनाया जाने वाला शुल्क निम्नलिखित में से अधिक होगा:

(क) वर्ष 2001 में प्रभावी एएआई टैरिफ, जिसे नीचे दिए गए अनुसार मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ विधिवत बढ़ाया गया हो, हवाईअड्डा खोलने की तारीख तक

या

(ख) उस समय अन्य एएआई हवाईअड्डों पर लागू यात्री सेवा शुल्क

बीआईएएल द्वारा प्रभारित किया जाने वाला यात्री सेवा शुल्क, जैसा कि ऊपर दिया गया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) पर सुरक्षा व्यय की लागत सहित है। सीआईएसएफ पर सुरक्षा व्यय से संबंधित लागत का यह घटक भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए जाने पर बीआईएएल द्वारा ऊपर की ओर संशोधित किया जाएगा।

(iii) उपभोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय):

बीआईएएल को हवाईअड्डा खोलने की तारीख से प्रभावी, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान करने वाले यात्रियों से, यात्री सुविधाओं, सेवाओं और सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए, यूडीएफ लगाने की अनुमति होगी, जिसे आगामी वर्षों में नीचे निर्धारित मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ विधिवत बढ़ाया जाएगा, और यूडीएफ का उपयोग हवाईअड्डे की सुविधाओं के विकास, प्रबंधन, रखरखाव, संचालन और विस्तार के लिए किया जाएगा।

अनुसूची 6 में निर्धारित विनियमित प्रभार हवाईअड्डे पर संकेतात्मक प्रभार होंगे। हवाईअड्डा खोलने से पहले बीआईएएल विनियमित प्रभारों के लिए नागर विमानन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करेगा, जो अंतिम लेखापरीक्षित परियोजना लागत पर आधारित होंगे।

नोट:

(क) प्रभार निकटतम एमटी (अर्थात 1000 किलोग्राम) के आधार पर परिकल्पित किए जाएंगे।

(ख) प्रत्येक एकल लैंडिंग के लिए न्यूनतम शुल्क 1000.0 रुपये होगा।

(ग) 2301 बजे (आईएसटी) से 2400 बजे (आईएसटी) के बीच अंतरराष्ट्रीय लैंडिंग पर पीक आवर अधिभार 5% होगा।

(घ) यदि यूएस \$ दरें प्रभारित की जानी हैं, तो यूएस \$ को आईएनआर में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित नियम लागू होगा: प्रथम पखवाड़े की बिलिंग अवधि के लिए माह के 1वें दिन की दर और दूसरे पखवाड़े की बिलिंग अवधि के लिए माह की 16 तारीख की दर लागू होगी।

(ङ) सभी टैरिफ बीआईएएल के लिए शुद्ध हैं। सेवा कर जैसे कोई भी कर, यदि लागू हो, प्रस्तावित टैरिफ के अतिरिक्त होंगे।

मुद्रास्फीति सूचकांक के लिए सूत्र:

आधार शुल्क (गुणा) WPI1 (भाग) WPI

जहाँ,

WPI “सभी वस्तुओं” के लिए WPI है

WPI = 31 मार्च, 2001 को WPI

WPI1 = शुल्क संशोधन की तारीख से पूर्ववर्ती 31 मार्च को WPI

किसी संदेह से बचने के लिए, रूट नेविगेशन सुविधाएँ प्रभार और टर्मिनल नेविगेशनल प्रभार एएआई द्वारा लगाए और वसूल किए जाएंगे।

यह पृष्ठ जानबूझकर खाली छोड़ा गया है

अनुसूची 7

निपटान राशि

यदि निपटान राशि देय हो जाती है, तो निपटान राशि का अर्थ होगा (i) सकल स्थिर परिसंपत्तियाँ (सूचकांकित), (ii) निवल चालू परिसंपत्तियाँ, (iii) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य, (iv) बीआईएएल की अमूर्त परिसंपत्तियाँ और (v) हवाईअड्डा खोलने की तारीख से पहले बीआईएएल द्वारा किए गए प्री-ऑपरेटिंग लागत और व्यय, जैसा कि इस समझौते के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार जारी किए गए संबंधित समाप्ति नोटिस की तारीख को बीआईएएल की अंतिम त्रैमासिक बैलेंस शीट में दर्ज है। किसी संदेह से बचने के लिए, निपटान राशि में गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों के प्रावधान के संबंध में कोई पूंजी निवेश, राशि या लागत शामिल नहीं होगी, जिसे अनुच्छेद 7.2 के

अनुसार भारत सरकार द्वारा सहमति नहीं दी गई थी और जिसे भारत सरकार अनुच्छेद 13.5.2 में दिए गए अनुसार अपने अधीन लेने का विकल्प नहीं चुनता है।

अनुसूची 8

आरक्षित गतिविधियाँ

बीआईएएल द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला स्थान

- i) सीमा शुल्क - 335 वर्ग मीटर
- ii) आप्रवासन - 270 वर्ग मीटर
- iii) स्वास्थ्य - 18 वर्ग मीटर
- iv) सुरक्षा - 144 वर्ग मीटर
- v) मौसम विज्ञान - 240 वर्ग मीटर

नोट: फ्लोर प्लान के अंतिम संशोधन के दौरान आंकड़ों में परिवर्तन हो सकता है।

अनुसूची 9

भाग 1 - विनिर्देश

1.1.1 टर्मिनल भवन

यात्री टर्मिनल भवन का कुल निर्मित क्षेत्र 55850 वर्ग मीटर है। टर्मिनल भवन को दो-स्तरीय आरसीसी फ्रेमयुक्त संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है, ताकि भूतल पर यात्री चेक-इन, बैगेज मेक-अप, बैगेज ब्रेक डाउन और बैगेज क्लेम तथा लेवल एक पर खुदरा, शॉपिंग सेंटर, सुरक्षा जाँच, पासपोर्ट नियंत्रण और होल्डिंग क्षेत्र की सुविधा हो। सेवाएँ भूमि के नीचे बेसमेंट में स्थित हैं। टर्मिनल भवन की कुल लंबाई 168 मीटर, गहराई 144 मीटर और जमीनी स्तर से

ऊपर कुल ऊँचाई 19.05 मीटर है। एच (H) आकार के कॉलम 24मीटर x 24मीटर के ग्रिड पर स्थित हैं। 19.05मीटर पर स्थित छत प्रीकास्ट प्रीस्ट्रेसड कंक्रीट शेल तत्व को सहारा देती है। ग्राउंड फ्लोर स्लैब और प्रथम तल स्लैब क्रमशः 6मीटर x 6मीटर और 12मीटर x 12मीटर कॉलम ग्रिड पर टिके हैं।

सभी यात्री क्षेत्रों के फर्श पर होन्ड फिनिश ग्रे ग्रेनाइट लगाया गया है, जिसमें चयनित क्षेत्रों में मंडला पैटर्न प्रदान किया गया है। बैगेज मेक-अप और ब्रेक डाउन क्षेत्रों जैसे गैर-सार्वजनिक क्षेत्रों में फर्श पर कंक्रीट बिछाया गया है, जिसे वैक्यूम डीवाटरिंग तकनीक का उपयोग करके फिनिश किया गया है। सभी यात्री शौचालयों में विट्रिफाइड मैट फिनिश टाइल्स और मेल खाते हुए सिरेमिक टाइल्स डैडो प्रदान किए गए हैं। वीआईपी/सीआईपी/बिजनेस लाउंज शौचालयों में होन्ड फिनिश ग्रे ग्रेनाइट फर्श और साइडवॉल के लिए मेल खाते हुए ग्रेनाइट डैडो लगाए गए हैं। बोर्डिंग ब्रिज फिंगर्स के लिए रबर शीट फर्श प्रदान किया जाएगा।

टर्मिनल भवन के उत्तर और दक्षिण मुखभागों पर मुखभाग की पूरी लंबाई और ऊँचाई तक डबल वॉल ग्लेज्ड तत्व होंगे। पूर्व और पश्चिम मुखभागों पर ग्लास ब्लॉक इन्सर्ट के साथ प्री-कास्ट प्रबलित कंक्रीट पैनल प्रदान किए गए हैं। छत की स्काइलाइट्स भवन के अंदर डबल ग्लेज्ड यूनिट और कर्ब क्षेत्र में सिंगल लैमिनेटेड ग्लास पैनल होंगी। सभी बाहरी दीवारें 200मिमी मोटी ब्लॉक वर्क की होंगी और सभी शौचालयों की आंतरिक दीवारों में 100मिमी ब्लॉक दीवारें प्रदान की गई हैं। एयरलाइंस, सीमा शुल्क कार्यालयों, स्टाफ रूम आदि जैसे कार्यालय क्षेत्रों में जिप्सम बोर्ड वॉल पार्टिशन प्रदान किए गए हैं। ग्राउंड और प्रथम तल के सभी कॉलम 1.0मीटर x 1.5मीटर के पैनलों में इम्पीरियल रेड ग्रेनाइट स्टोन स्लैब से क्लैड किए गए हैं। बेसमेंट के कॉलम सीमेंटबोर्ड पैनलों से क्लैड किए गए हैं।

उपलब्ध किए गए टर्मिनल उपकरण में शामिल होंगे:

- होल्ड बैगेज के लिए इन-लाइन एक्स-रे बैगेज स्कैनर
- एओडीबी/सीयूटीई/फ्लाइट सूचना प्रणाली
- सीसीटीवी/पीए प्रणाली
- फायर अलार्म और धुआँ पहचान प्रणाली
- बैगेज कन्वेयर
- एस्केलेटर, लिफ्ट और स्वचालित दरवाजे
- आव्रजन, सीमा शुल्क के लिए काउंटर
- यात्री बैठने की व्यवस्था/सार्वजनिक फर्नीचर
- रेस्तरां फर्नीचर
- साइनेज/पिक्टोग्राफ

- भवन प्रबंधन प्रणाली
- बैगेज ट्रॉली
- चेक-इन काउंटर
- यात्री बोर्डिंग ब्रिज
- भवन प्रबंधन प्रणाली
- एचवीएसी

1.1.2 नियंत्रण टावर, तकनीकी ब्लॉक, प्रशासन, स्टाफ कैंटीन और सुरक्षा कार्यालय

कुल निर्मित क्षेत्र 5741वर्ग मीटर है। प्रशासन / तकनीकी / सुरक्षा ब्लॉक तीन मंजिला आरसीसी कॉलम-बीम फ्रेमयुक्त संरचना होगी। भवन की लंबाई 72मीटर और गहराई 24मीटर है। भवन की जमीनी स्तर से ऊपर कुल ऊँचाई 14.25मीटर है। फ्लोर-से-फ्लोर स्पष्ट ऊँचाई 4.30मीटर है। प्रथम तल स्लैब, द्वितीय तल स्लैब और रूफ स्लैब को 8मीटर-x 8मीटर के आरसीसी कॉलम ग्रिड द्वारा समर्थित ग्रिड फ्लोर प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है।

हवाई यातायात नियंत्रण टावर की ऊँचाई 65मीटर है और यह एक विशिष्ट संरचना होगी। नियंत्रण टावर को +4.3मीटर स्तर पर 1.50मीटर चौड़े एक्सेस ब्रिज द्वारा तकनीकी ब्लॉक से जोड़ा गया है। संरचना में 10.5मीटर x 5.10मीटर आकार का आरसीसी शाफ्ट है, जिसके अंदर सीढ़ी और लिफ्ट हैं। टावर कैब हल्के वजन वाली स्टील ट्यूबों से बना है और पैनोरमा ग्लेजिंग से क्लैड किया गया है। कैब की त्रिज्या 8.30मीटर और ऊँचाई 4मीटर है। कैब को + 61.25मीटर स्तर पर आरसीसी शाफ्ट द्वारा सहारा दिया गया है।

फिनिशिंग विनिर्देश

- कार्यालय / स्टाफ डाइनिंग में विट्रिफाइड सिरेमिक टाइल फर्श
- शौचालय और पैंट्री में विट्रिफाइड मैट टाइल फर्श
- रसोई में कोटा स्टोन फर्श
- सीढ़ी में पॉलिशड कोटा स्टोन स्लैब
- कार्यालयों में ध्वनिक सस्पेंडेड सीलिंग
- केबिन के लिए टीकवुड फ्लश आंशिक ग्लेज्ड/आंशिक पैनलयुक्त पार्टिशन
- नियंत्रण टावर कैबिन के अंदर पीविसी टाइल फिनिश के साथ फॉल्स फ्लोर
- भवन का बाहरी भाग कर्टन ग्लेजिंग, सैंड स्टोन जाली और मैट पेंट फिनिश से तैयार किया गया है।

1.1.3 ग्राउंड सपोर्ट उपकरण भवन

जीएसई भवन दो मंजिला आरसीसी संरचना है, जिसमें मोनो स्लोप स्टील रूफिंग प्रणाली और भवन के अंदर कार्यालयों के लिए आरसीसी मेजेनाइन फ्लोर है। कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 2000 वर्ग मीटर है। जीएसई भवन की लंबाई 63.25मीटर, गहराई 26मीटर और ऊँचाई 16.35मीटर है। वर्कशॉप क्षेत्रों के लिए स्ट्रक्चरल स्टील रूफिंग प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें रूफ ट्रस 9मीटर के अंतराल पर स्थित आरसीसी कॉलमों द्वारा समर्थित हैं।

फिनिशिंग विनिर्देश

- वर्कशॉप के अंदर वैक्यूम डीवाटर्ड फर्श
- कार्यालयों और सीढ़ी में कोटा स्टोन फर्श
- कार्यालयों में एल्युमिनियम ग्लेज्ड पैनलयुक्त पार्टिशन
- वर्कशॉप के लिए कलर कोटेड जीआई स्टील शीट रूफ
- शौचालयों में विट्रिफाइड मैट फिनिश टाइल्स

1.1.4 रखरखाव भवन (मोटर परिवहन, सिविल और विद्युत)

रखरखाव भवन में वाहन रखरखाव वर्कशॉप, सिविल और विद्युत कार्यालय तथा भंडारण यार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। मैकेनिकल वर्कशॉप का कुल निर्मित क्षेत्र 2190 वर्ग मीटर है, जिसमें कार्यालय और सेवा क्षेत्र 270 वर्ग मीटर है। रखरखाव वर्कशॉप की लंबाई 90मीटर और गहराई 24मीटर है। वर्कशॉप की जमीनी स्तर से ऊपर कुल ऊँचाई 11.75मीटर है। 60मीटर x 9मीटर आकार के पार्किंग बे प्रदान किए गए हैं। वर्कशॉप के लिए स्ट्रक्चरल स्टील रूफिंग प्रणाली प्रदान की गई है, जिसमें रूफ ट्रस 15मीटर तक फैले हुए हैं।

सिविल और विद्युत भवन का कुल निर्मित क्षेत्र 321 वर्ग मीटर है। यह एक मंजिला आरसीसी फ्रेमयुक्त संरचना है और इसमें सिविल तथा विद्युत स्टाफ के कार्यालय हैं। स्टोर और विश्राम कक्ष एनेक्स के रूप में प्रदान किए गए हैं और इसका निर्मित क्षेत्र 291 वर्ग मीटर है। स्टाफ के लिए कार पार्किंग शेड 107 वर्ग मीटर क्षेत्र में है, जिसमें 8 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है।

फिनिशिंग आइटम

- वर्कशॉप के लिए वैक्यूम डीवाटर्ड फर्श
- स्टोर/टूल ग्रिब क्षेत्र में कोटा स्टोन फर्श
- कार्यालय/विश्राम कक्ष में विट्रिफाइड पॉलिश टाइल
- शौचालयों के लिए फर्श/डैडो में विट्रिफाइड सिरेमिक मैट फिनिश टाइल
- बाहरी सतह पर वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट और आंतरिक दीवार पर ओबीडी पेंट

- वर्कशॉप के लिए कलर कोटेड जीआई शीट रूफ
- कार्यालयों में जिप बोर्ड पार्टिशन

1.1.5 फायर स्टेशन भवन

फायर स्टेशन को आईसीएओ एयरोड्रोम श्रेणी 9 के अनुरूप सुरक्षा स्तर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेशन को पाँच क्रैश फायर टैंडर और तीन एम्बुलेंस रखने के लिए डिजाइन किया गया है। डिजाइन में 3 बेड की क्षमता वाला एक मेडिकल रूम, फोम के लिए भंडारण स्थान, अग्निशमन अधिकारियों के कार्यालय, नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन दल के विश्राम कक्ष, प्रशिक्षण कक्ष आदि की व्यवस्था है।

उपकरण बे सहित कुल निर्मित क्षेत्र 1457 वर्ग मीटर है। फायर स्टेशन की लंबाई 70.20मीटर और गहराई 14.53मीटर है। भवन का क्षेत्र 19मीटर लंबा, 14.53मीटर गहरा और जमीनी स्तर से ऊपर 10.45मीटर है। भवन के ऊपर एक वॉचटावर प्रदान किया गया है। प्रथम तल स्लैब और रूफ स्लैब आरसीसी कॉलम और बीम व्यवस्था द्वारा समर्थित हैं। फायर स्टेशन में 100 000 लीटर की भूमिगत स्थिर टंकी और 50 000 लीटर की ओवरहेड टंकी प्रदान की गई है।

फिनिशिंग आइटम

- बे और स्टोर के लिए वैक्यूम डीवाटर्ड फर्श
- शौचालयों में फर्श/डैडो के लिए विट्रिफाइड सिरेमिक मैट फिनिश टाइल्स
- वॉचटावर में पीविसी टाइल फॉल्स फ्लोर
- कार्यालय/विश्राम कक्ष और अन्य क्षेत्रों के लिए कोटा स्टोन फर्श
- बाहरी सतह पर वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट और आंतरिक दीवारों पर ओबीडी पेंट

1.1.6 ए/सी प्लांट भवन

एसी प्लांट भवन का कुल निर्मित क्षेत्र 685 वर्ग मीटर है। भवन की लंबाई 47.25मीटर और गहराई 14मीटर है तथा इसमें 6.75मीटर के कॉलम अंतराल पर समान रूप से स्थित सात बे हैं। भवन की जमीनी स्तर से ऊपर कुल ऊँचाई 7.45मीटर है और यह एक मंजिला है। छत आरसीसी कॉलम और बीम व्यवस्था द्वारा समर्थित है। छत तक पहुँच के लिए भवन के बाहर सीढ़ी प्रदान की गई है।

फिनिशिंग आइटम

- वैक्यूम डीवाटर्ड फर्श
- बाहरी सतह पर वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट और आंतरिक दीवारों पर ओबीडी पेंट

1.1.7 सब-स्टेशन भवन

विद्युत और विमानन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हवाईअड्डे में रणनीतिक स्थानों पर चार सब-स्टेशन स्थित हैं। मुख्य पावर स्टेशन का कुल निर्मित क्षेत्र 699 वर्ग मीटर है। भवन की लंबाई 45.25मीटर, गहराई 17.70मीटर और ऊँचाई 7.90मीटर है। पावर हाउस नॉर्थ का कुल निर्मित क्षेत्र 198 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई 21मीटर, गहराई 9मीटर तथा ऊँचाई 5.65मीटर है। एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था के लिए दो कॉम्पैक्ट स्टेशनों में से प्रत्येक का कुल निर्मित क्षेत्र 182 वर्ग मीटर है।

फिनिशिंग आइटम

- वैक्यूम डीवाटर्ड फर्श
- बाहरी सतह पर वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट और आंतरिक दीवारों पर ओबीडी पेंट

1.1.8 वीवीआईपी ब्लॉक

वीवीआईपी ब्लॉक का कुल निर्मित क्षेत्र 282 वर्ग मीटर है। भवन की लंबाई 24मीटर और गहराई 10.50मीटर है। प्रवेश लॉबी को होन्ड फिनिशड ग्रे ग्रेनाइट से तैयार किया गया है और इसमें मंडला पैटर्न प्रदान किया गया है। अन्य क्षेत्रों में फर्श होन्ड फिनिशड ग्रे ग्रेनाइट का है। वीवीआईपी लाउंज को प्रभावशाली और सुरुचिपूर्ण आंतरिक सज्जा के साथ डिजाइन किया गया है। उत्तर और दक्षिण मुखभागों पर डबल ग्लेज्ड कर्टेन वॉल प्रदान की गई है। अच्छी तरह से सुसज्जित शौचालयों के साथ सुसज्जित विशाल विश्राम कक्ष भी प्रदान किए गए हैं।

1.1.9 अन्य भवन

अन्य भवनों में दो सार्वजनिक सुविधा भवन, रडार टीएक्स भवन, पंप हाउस और सुरक्षा केबिन शामिल हैं। दो सार्वजनिक सुविधा भवनों का कुल निर्मित क्षेत्र 326 वर्ग मीटर है। फर्श पर विट्रिफाइड मैट फिनिशड सिरेमिक टाइल्स और मेल खाते हुए डैडो लगाए गए हैं। सुरक्षा केबिन स्व-निहित हैं और उनका आकार 4.5मीटर x 4.5मीटर वर्गाकार है। इसमें संलग्न शौचालय के साथ एक चेंज रूम शामिल है। चेंज रूम में कोटा स्टोन फर्श और शौचालयों में विट्रिफाइड मैट फिनिशड टाइल्स प्रदान की गई हैं।

रडार टीएक्स भवन की लंबाई 15मीटर, गहराई 6मीटर और ऊँचाई 4.50मीटर है। भवन में विद्युत उपकरण रखने के लिए फॉल्स फ्लोर प्रदान किया गया है। भूमिगत जल संपों के ऊपर

पंप हाउस प्रदान किया जाएगा। उपर्युक्त सभी संरचनाओं के लिए बाहरी दीवारों पर वाटर प्रूफ पेंट और आंतरिक दीवारों पर ओबीडी पेंट किया जाएगा।

1.1.10 रनवे

रनवे को बी 747 विमान को स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया है और आईसीएओ एयरोड्रोम संदर्भ कोड 4ई है। रनवे विनिर्देश की विशेषताएँ हैं:

- रनवे की लंबाई - 4000मीटर
- रनवे की चौड़ाई - 45मीटर
- रनवे तथा प्रकाशयुक्त पक्के शोल्डर की चौड़ाई - 60मीटर
- पेवमेंट प्रकार - लचीला
- पेवमेंट वर्गीकरण संख्या - 80
- रनवे स्ट्रिप की चौड़ाई - 300मीटर
- प्रत्येक थ्रेशोल्ड पर स्टॉप-वे - 60मीटर x 60मीटर
- रनवे अभिविन्यास - 09/27
- उपयोगिता कारक - >95%
- 09एंड पर टर्निंग सर्कल।

अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ प्रोफाइल, ढाल परिवर्तन, दृष्टि दूरी, ढाल परिवर्तन के बीच दूरी, पेवमेंट मार्किंग, साइनेज और सतह की सटीकता आईसीएओ अनुलग्नक 14 में निर्धारित मानकों और अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार डिजाइन की गई हैं। लचीले पेवमेंट के लिए डिजाइन जीवन 20 वर्ष है।

1.1.11 टैक्सीवे

टैक्सीवे विनिर्देश की विशेषताएँ हैं:

- चौड़ाई - 25मीटर (कोड एफ)
- टैक्सीवे और शोल्डर की चौड़ाई - 45मीटर
- रनवे और टैक्सीवे की सेंटर लाइन के बीच पृथक्करण दूरी - 190मीटर
- टैक्सीवे सेंटर लाइन से टैक्सीवे सेंटर लाइन - 97.50मीटर
- पेवमेंट प्रकार - फ्लेक्सिबल
- पीसीएन - 80

अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ प्रोफाइल, ढाल परिवर्तन, दृष्टि दूरी, ढाल परिवर्तन के बीच दूरी, पेवमेंट मार्किंग, साइनेज और सतह की सटीकता आईसीएओ अनुलग्नक 14 में निर्धारित मानकों और अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार होगी। फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए डिजाइन जीवन 20 वर्ष है।

1.1.12 एप्रन

कंक्रीट एप्रन का आयाम 611मीटर x 181.5मीटर है। यह एप्रन 13 कोड-सी विमान या 7 कोड-डी/ई विमान को समायोजित कर सकता है। बी-747 के लिए आइसोलेशन बे डिजाइन किया जाएगा और प्रथम चरण में इसका निर्माण किया जाएगा। पेवमेंट प्रकार कठोर है। पीसीएन 80 है और डिजाइन जीवन 30 वर्ष है। एप्रन सर्विस रोड की चौड़ाई 10मीटर होगी।

अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ प्रोफाइल, ढाल परिवर्तन, दृष्टि दूरी, ढाल परिवर्तन के बीच दूरी, पेवमेंट मार्किंग, साइनेज और सतह की सटीकता आईसीएओ अनुलग्नक 14 में निर्धारित मानकों और अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार होगी।

1.1.13 एयरसाइड सर्विस रोड

एप्रन क्षेत्र के बाहर एयरसाइड सर्विस रोड की चौड़ाई 7मीटर और 1.5मीटर चौड़े बजरी शोल्डर होंगे। टर्मिनल, फायर स्टेशन, जीएसई, कार्गो और फ्यूएल फार्म को जोड़ने के लिए दो-लेन बिटुमिनस पेवमेंट प्रदान किया जाएगा। फायर स्टेशन को रनवे से जोड़ने वाली आपातकालीन सड़क भी 7.0मीटर चौड़ाई के साथ डिजाइन की जाएगी।

हवाईअड्डे की सुरक्षा दीवार के साथ प्रदान की गई हवाईअड्डा परिधि सड़क और अन्य एयरसाइड निरीक्षण सड़कें 3.50मीटर की ऊपरी चौड़ाई वाली ग्रेन्युलर पेवमेंट की होंगी।

1.1.14 मुख्य पहुँच, द्वितीयक पहुँच सड़क और कार पार्क

मुख्य पहुँच सड़क को दो-लेन कैरिजवे के रूप में बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिशा के लिए एक लेन और बजरी शोल्डर शामिल होंगे। लचीले पेवमेंट को मानक एक्सल के संदर्भ में अनुमानित यातायात और भार के लिए डिजाइन किया जाएगा। प्रथम चरण के लिए सड़क की कुल चौड़ाई, शोल्डर सहित, 10मीटर होगी।

मुख्य पहुँच सड़क मुख्य रूप से यात्री टर्मिनल की सेवा करेगी और यह अन्य हवाईअड्डा सहायता सुविधाओं को भी जोड़ेगी। प्रमुख जंक्शनों पर राउंडअबाउट प्रस्तावित हैं।

द्वितीयक पहुँच सड़क का निर्माण लचीले पेवमेंट के साथ किया जाएगा और इसे अनुमानित यातायात के लिए डिजाइन किया जाएगा। द्वितीयक पहुँच सड़क की कुल चौड़ाई 10मीटर होगी।

प्रारंभिक चरण में टर्मिनल भवन के सामने ग्राउंड लेवल पर कार पार्क की योजना बनाई गई है। इसका स्थान यात्रियों और हवाईअड्डे पर आने वाले आगंतुकों के लिए सुविधाजनक होगा। पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ के लिए अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। निजी कारों, टैक्सियों, स्टाफ कार, स्टाफ वाहनों, वीआईपी कारों और वीवीआईपी कारों के लिए पार्किंग प्रदान की गई है।

1.1.15 एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था

एक पूर्णतः परिचालित एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- रनवे दिशा 09 एवं 27 के लिए उच्च तीव्रता वाली कैट-1 एप्रोच प्रकाश व्यवस्था (900मीटर) स्थापित की जाएगी
- दोनों एप्रोच दिशाओं 09 एवं 27 के लिए प्रिसीजन एप्रोच पाथ इंडिकेटर प्रणाली (पीएपीआई) स्थापित की जाएगी
- रनवे प्रकाश व्यवस्था में निम्नलिखित व्यक्तिगत प्रकाश व्यवस्थाएँ शामिल होंगी:
 - रनवे थ्रेशोल्ड प्रकाश व्यवस्था
 - रनवे किनारे और अंतिम प्रकाश व्यवस्था
- टैक्सीवे के किनारे को चिह्नित करने के लिए ऊँची सर्वदिशात्मक लाइटें प्रदान की जाएंगी
- प्रकाशित संकेत प्रदान किए जाएंगे
- नियंत्रण और निगरानी प्रणाली
- रिमोट नियंत्रण और निगरानी
- एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था नियंत्रण कार्य स्टेशन
- दोनों लैंडिंग दिशाओं के लिए प्रकाशित पवन दिशा सूचक प्रदान किया जाएगा
- एयरोड्रोम रोटेटिंग बीकन
- एप्रन फ्लड लाइट्स

प्रणालियाँ संबंधित आईसीएओ मैनुअल, मानकों और सिफारिशों के अनुपालन में प्रदान की जाएंगी।

1.1.16 आंतरिक और बाहरी प्रकाश व्यवस्था

निम्नलिखित भवनों/क्षेत्रों के लिए आंतरिक और बाहरी प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी:

- टर्मिनल भवन
- प्रशासन / तकनीकी / सुरक्षा और एटीसी

- रखरखाव भवन
- ग्राउंड सपोर्ट उपकरण भवन एवं अन्य भवन
- फायर स्टेशन
- स्ट्रीट लाइटिंग
- कार पार्क लाइटिंग

कंप्यूटर, वाटर कूलर, कॉफी मशीन, विज्ञापन मॉड्यूल, हैंड ड्रायर, सीसीटीवी/टीवी, चित्रलेख आदि के लिए पर्याप्त संख्या में पावर सॉकेट लगाए जाएंगे। प्रस्थान और आगमन क्षेत्रों में कन्वेयर बेल्ट के लिए बिजली की आवश्यकताएँ शामिल हैं। एस्केलेटर, लिफ्ट, स्वचालित दरवाजों और एचवीएसी के लिए बिजली की आवश्यकताएँ शामिल हैं। अर्थिंग प्रणाली शामिल है। सभी भवनों के लिए लाइटनिंग प्रोटेक्शन शामिल है।

1.1.17 विद्युत वितरण

हवाईअड्डे को विद्युत आपूर्ति बीईएससीओएम/केपीटीसीएल द्वारा 66केवी स्तर पर प्रदान की जाएगी। मुख्य पावर स्टेशन में 66केवी को 11केवी तक कम करने के लिए 2 16एमवीए ट्रांसफॉर्मर प्रदान किए जाएंगे। इन ट्रांसफॉर्मरों से हवाईअड्डे की मुख्य विद्युत प्रणाली को 11केवी स्तर पर आपूर्ति की जाएगी।

विद्युत शक्ति प्रणाली में ट्रांसफॉर्मर स्टेशन, एक वितरण नेटवर्क और आपातकालीन विद्युत आपूर्ति शामिल है। वितरण नेटवर्क की योजना रिंग मेन्स के साथ बनाई जाएगी, ताकि विद्युत आपूर्ति हमेशा दो अलग-अलग स्रोतों से संभव हो। पावर स्टेशन नॉर्थ में एक सहायक पावर जनरेटर प्रणाली (लगभग 6 एमवीए) स्थापित की गई है, जो विद्युत आपूर्ति विफल होने की स्थिति में हवाईअड्डे के आवश्यक उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करेगी।

1.1.18 केबल प्रणाली

- संबंधित भवनों में सामान्य और आपातकालीन विद्युत आपूर्ति इनकमिंग प्रदान की जाएगी। केबल पीविसी इंसुलेटेड एल्युमिनियम / कॉपर, आर्मर्ड / अनआर्मर्ड होंगे। पैनल / उपकरण के स्थानों के आधार पर केबलों को ओवरहेड केबल ट्रे / केबल ट्रेंच के माध्यम से ले जाया जाएगा।
- हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग प्रणालियों के लिए विद्युत वितरण को एचवीएसी प्रणाली में शामिल माना गया है।
- केंद्रीकृत बैटरी और बैटरी चार्जर प्रणाली से संबंधित भवनों के लिए नियंत्रण आपूर्ति फीडर प्रदान किया जाएगा।

1.1.19 आंतरिक प्रकाश व्यवस्था

माना गया डिजाइन एल्यूएक्स स्तर है:

- चेक-इन - 450 एल्यूएक्स
- कार्यालय क्षेत्र - 300 एल्यूएक्स
- तकनीकी क्षेत्र - 300 एल्यूएक्स
- बैगेज क्लेम - 300 एल्यूएक्स
- प्रस्थान/आगमन क्षेत्र - 300 एल्यूएक्स
- शॉपिंग क्षेत्र - 300 एल्यूएक्स

1.1.20 बाहरी क्षेत्र प्रकाश व्यवस्था

मुख्य पहुँच सड़क, द्वितीयक पहुँच सड़क और भवनों तक अन्य पहुँच मार्गों के लिए सड़क प्रकाश व्यवस्था नीचे दर्शाए अनुसार प्रदान की जाएगी:

- मुख्य पहुँच सड़क -20 एल्यूएक्स
- द्वितीयक पहुँच सड़क -14 एल्यूएक्स
- भवनों तक पहुँच -14 एल्यूएक्स
- पार्किंग क्षेत्रों के लिए 14 एल्यूएक्स की रोशनी के साथ प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।

1.1.21 अग्नि सुरक्षा प्रणाली

प्रस्तावित प्रणाली

निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा प्रणालियाँ प्रदान की जाएंगी:

- हाइड्रेंट प्रणाली
- स्प्रिंकलर प्रणाली
- फायर अलार्म प्रणाली
- पोर्टेबल अग्निशामक

1.1.22 एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन प्रणाली

निम्नलिखित भवनों के लिए एयर-कंडीशनिंग प्रणाली प्रदान की जाएगी। इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय एयर-कंडीशनिंग प्रणाली प्रदान की जाएगी।

- यात्री टर्मिनल भवन
- प्रशासनिक ब्लॉक
- तकनीकी भवन
- एटीसी टावर
- शौचालयों के लिए वेंटिलेशन प्रणाली।

1.1.23 पेयजल, कच्चा जल और सीवेज नेटवर्क

पेयजल प्रणाली

बीडब्ल्यूएसएसबी द्वारा आपूर्ति किए गए पेयजल को भूमिगत संपों में लिया और संग्रहित किया जाएगा। दो दिनों की मांग के लिए पेयजल भंडारण प्रदान किया जाएगा। भूमिगत संप की क्षमता 4000 घन मीटर होगी।

भूमिगत संप से पानी को हाइड्रो-पन्यूमेटिक प्रणाली द्वारा नीचे दर्शाए गए विभिन्न भवनों में वितरित किया जाएगा:

- टर्मिनल भवन
- प्रशासन भवन
- फायर स्टेशन भवन
- हवाई यातायात नियंत्रण परिसर
- हवाईअड्डा रखरखाव भवन
- ग्राउंड सपोर्ट उपकरण भवन
- सुरक्षा कार्यालय / पुलिस स्टेशन / स्टाफ कैटीन

हाइड्रो-पन्यूमेटिक पंपिंग प्रणाली में पेयजल ट्रांसफर पंप, एयर कंप्रेसर और एयर वेसल तथा आवश्यक पाइपिंग, इंस्ट्रुमेंटेशन नियंत्रण जैसे लेवल कंट्रोलर, लेवल प्रोब आदि शामिल होंगे। हाइड्रो-पन्यूमेटिक प्रणाली में 50% स्टैंडबाय क्षमता होगी।

1.1.24 कच्चा जल

बीडब्ल्यूएसएसबी हवाईअड्डे की बैटरी सीमाओं तक अनुपचारित कच्चा जल उपलब्ध कराएगा। एक दिन की मांग के लिए कच्चे जल का भंडारण प्रदान किया जाएगा। संप की क्षमता 1800 घन मीटर होगी।

अनुपचारित जल को भूमिगत संपों में लिया और संग्रहित किया जाएगा। इस पानी को हाइड्रो-पन्यूमेटिक पंपिंग प्रणाली का उपयोग करके पंप किया जाएगा और हवाईअड्डा परिसर के

एचडीपीई पाइप नेटवर्क के माध्यम से फर्श/उपकरण की धुलाई और बागवानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वितरित किया जाएगा।

1.1.25 सीवर नेटवर्क

पूरे हवाईअड्डा परिसर के लिए उपयुक्त व्यास के कास्ट आयरन पाइप, जो भूमिगत दबे होंगे, तथा आवश्यक संख्या में मैनहोल और निरीक्षण कक्षों सहित सीवर नेटवर्क की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार नेटवर्क के माध्यम से एकत्र किए गए सीवेज का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचार किया जाएगा और उपविधियों के अनुसार उसका निपटान किया जाएगा।

1.1.26 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (1500 घन मीटर/दिन)

हवाईअड्डा सुविधा द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट जल के उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रदान किया जाएगा। एसटीपी को प्रतिदिन 1500 मीटर³ सीवेज के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है। प्रक्रिया योजना 24 घंटे के संचालन चक्र वाली एक्सटेंडेड एरेशन प्रक्रिया है।

1.1.27 तूफानी जल निपटान

कठोर लैंडस्केप वाले क्षेत्रों, अर्थात् मुख्य रूप से टैक्सीवे और रनवे के बीच, से तूफानी जल खुले लाइनयुक्त नालों (बेसिक स्ट्रिप के बाहर निर्मित) और/या भूमिगत पाइपों तथा कल्वर्टों में बहेगा। मोल्ड्स की जमीन की सतहों को डिजाइन की गई ढाल के अनुसार ग्रेड किया गया है और टैक्सीवे तथा सड़क क्रॉसिंग के नीचे कल्वर्टों के माध्यम से एक-दूसरे से जोड़ा गया है, ताकि बहता हुआ तूफानी जल सिल्टिंग बेसिन में छोड़ा जा सके। पक्के क्षेत्रों को अनुप्रस्थ सतही ढाल के साथ डिजाइन किया गया है ताकि तूफानी जल पर्याप्त रूप से बह सके।

जल एकत्र करने के लिए खुले नाले, इनलेट और पाइप कल्वर्ट बनाए जाएंगे और उन्हें हवाईअड्डे की तूफानी जल निकासी प्रणाली में डिस्चार्ज करने के लिए जोड़ा जाएगा।

भाग 2 - मानक

आईएटीए ग्लोबल एयरपोर्ट मॉनिटर मानक

निम्नलिखित मानदंडों को अनुच्छेद 9 के अनुसार वार्षिक आधार पर मापा जाएगा। सर्वेक्षणों का स्कोर आईएटीए ग्लोबल एयरपोर्ट मॉनिटर स्कोरिंग प्रणाली के अनुसार निर्धारित किया जाएगा (अर्थात एक से पाँच के पैमाने पर, जहाँ एक बहुत खराब और पाँच उत्कृष्ट है):

- (i) अपना रास्ता खोजने में आसानी;
- (ii) उड़ान सूचना स्क्रीन;

- (iii) उसी महाद्वीप के लिए कनेक्शन की उपलब्धता;
- (iv) किसी अन्य महाद्वीप के लिए कनेक्शन की उपलब्धता;
- (v) कनेक्शन बनाने में आसानी;
- (vi) बैगेज कार्ट की उपलब्धता;
- (vii) हवाईअड्डा कर्मचारियों की शिष्टता;
- (viii) रेस्तरां और भोजन सुविधाएँ;
- (ix) शॉपिंग सुविधाएँ;
- (x) वॉशरूम;
- (xi) पासपोर्ट निरीक्षण;
- (xii) सीमा शुल्क निरीक्षण;
- (xiii) प्रतीक्षा क्षेत्र/लाउंज;
- (xiv) बैगेज डिलीवरी सेवा;
- (xv) शहर तक/से जमीनी परिवहन;
- (xvi) पार्किंग सुविधाएँ;
- (xvii) सुरक्षा की भावना; और
- (xviii) हवाईअड्डे का वातावरण।

अनुसूची 10

पूर्णता प्रमाण-पत्र

हम भारत के राष्ट्रपति, जो भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच दिनांक [] के रियायत समझौते ("रियायत समझौता") का संदर्भ देते हैं। रियायत समझौते में परिभाषित सभी शब्दों का यहाँ वही अर्थ होगा।

हमें ऋणदाताओं द्वारा स्वतंत्र अभियंता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। हम एतद्वारा रियायत समझौते के खंड 7.3 की आवश्यकताओं के अनुसार यह पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करते हैं और पुष्टि करते हैं कि हवाईअड्डा रियायत समझौते की अनुसूची 9 के भाग 1 में निर्धारित विनिर्देशों का अनुपालन करता है।

दिनांक

अनुसूची 11

बीमा

(क) **निर्माण चरण:** बीआईएएल और/या ईपीसी ठेकेदार सिविल कार्यों और उपकरणों की हानि या क्षति (कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी, इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी, मरीन कार्गो पॉलिसी), तृतीय पक्ष दायित्व और कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी को कवर करने के लिए उपयुक्त बीमा पॉलिसियाँ लेंगे।

(ख) **प्रचालन चरण:** बीआईएएल अपनी संपत्ति की हानि या क्षति, तृतीय पक्ष दायित्व और कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी को कवर करने के लिए उपयुक्त बीमा पॉलिसियाँ लेगा।

अनुसूची 12

कर लाभ

क) कुल आय से कटौती:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80Iक के अंतर्गत बुनियादी अवसंरचना सुविधा अर्थात् हवाईअड्डे के विकास के व्यवसाय से होने वाले लाभ और अभिलाभ के संबंध में कर छूट का लाभ बीआईएएल को उपलब्ध है।

इस संबंध में लाभ इस प्रकार उपलब्ध होगा कि बीआईएएल द्वारा अवसंरचना सुविधा का संचालन और रखरखाव शुरू करने वाले वर्ष से प्रारंभ होने वाले 15 वर्षों में से किसी भी 10 लगातार आकलन वर्षों के लिए ऐसे व्यवसाय से प्राप्त लाभ और अभिलाभ की 100% कटौती उपलब्ध हो।

बीआईएएल को आईटी अधिनियम की धारा 10(23जी) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा आकलन वर्ष (2003-04 से 2005-06) के लिए एक उद्यम के रूप में अधिसूचित किया गया है (संदर्भ: अधिसूचना संख्या 171/2003 दिनांक 14.7.2003)। यह माना गया है कि आकलन वर्ष 2005-06 के बाद भी बीआईएएल को इस लाभ के लिए अधिसूचित किया जाता रहेगा।

ख) कुल आय का हिस्सा न बनने वाली आय से छूट:

1. जर्मनी और स्विट्जरलैंड को तकनीकी शुल्क के भुगतान पर विदहोल्टिंग टैक्स संबंधित देशों के साथ भारत के दोहरे कराधान से बचाव समझौतों के अनुसार जारी रहेगा।
2. विदेशी प्रवर्तकों को विकास लागत/प्री-एसएचए लागत की प्रतिपूर्ति पर कोई विदहोल्टिंग टैक्स नहीं।
3. विदेशी प्रवर्तकों को की गई प्रतिपूर्ति और ओएमएसए के अंतर्गत भुगतानों पर कोई आर एंड डी उपकर देय नहीं होगा।

मास्टर प्लान

(बीआईएएल द्वारा संलग्न किया जाना है)